मध्यप्रदेश पंचायिका

दिसम्बर 2014

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
सुरेश तिवारी

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

संपादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित

आवरण कथा : निःशक्तजन सशक्तीकरण के लिए मध्यप्रदेश पुरस्कृत 3

खास खबरें : समृद्धि के लिए स्वच्छता जरूरी 5

सराहना : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के वित्तीय समावेशन मॉडल को सराहा 10

योजना : सांसद आदर्श ग्राम योजना - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन 11

विशेष लेख : ग्राम आदर्श तो देश आदर्श 18

जलवायु परिवर्तन : भारतीय जीवन दर्शन के संदर्भ में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन... 22

सफल गाथा : मनरेगा : मध्यप्रदेश में मनरेगा ने बदली गांवों की तस्वीर 28

सफल गाथा : आवास : मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : सपना हुआ साकार 34

सफल गाथा : संपर्क : ग्रामीण अंचलों में सड़क संपर्क सुविधा 35

सफल गाथा : स्वच्छता : स्वच्छ भारत अभियान, मध्यप्रदेश की अभिनव पहल 36

सफल गाथा : आजीविका : आजीविका से स्थायी रोजगार 40

सफल गाथा : कृषि : कृषि बनी लाभ का व्यवसाय 44

सफल गाथा : रोजगार : रोजगार से युवाओं की उड़ान 45

सामाजिक अंकेक्षण : लोकतंत्र की अवधारणा को पूरा करता सामाजिक अंकेक्षण 46

पंचायत निर्वाचन : पंचायत एवं बिजली के अदेय प्रमाण पत्र नहीं देने पर निरस्त... 48

प्रिय पाठको,

मध्यप्रदेश में निःशक्तजन कल्याण और पुनर्वास के लिए सुनियोजित और संकल्पित प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के चलते जहां निःशक्तजनों के जीवन में बदलाव आया है। वहीं प्रदेश सम्मानित भी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर वर्ष 2014 के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निःशक्तजन सशक्तीकरण कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश को चार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश को गौरवान्वित करने की इस खबर को हमने 'आवरण कथा' में शामिल किया है।

गत 19 नवम्बर को भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय स्वच्छता महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये चयनित जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। 'समृद्धि के लिए स्वच्छता जरूरी' इस समाचार को खास खबरें में प्रकाशित किया है। इसी में पुरस्कृत जिला, जनपद व ग्राम पंचायतों की जानकारी भी प्रकाशित की गई है। इसी कॉलम में 'ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कॉलोनाइजरों को गरीबों को 6 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित करना' यह समाचार कुछ प्रस्तावित नियम सहित प्रकाशित है। 7 दिसम्बर को नई दिल्ली में योजना आयोग में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ संपन्न परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के वित्तीय समावेशन मॉडल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय बताया। इस खबर को हमने सराहना स्तंभ में शामिल किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू करने का ऐलान किया था। 11 अक्टूबर 2014 को योजना लागू करने के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का मूल पाठ 'योजना' स्तंभ में प्रकाशित किया जा रहा है। इसी स्तम्भ में सांसद आदर्श ग्राम योजना पर केन्द्रित विशेष लेख भी शामिल है साथ ही मध्यप्रदेश में सांसदों द्वारा गोद लिये गये ग्रामों का भी विवरण है।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का सामना करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इस पर विचार मंथन के लिए विगत 6 से 7 सितम्बर 2014 को 'भारतीय जीवन दर्शन के संदर्भ में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन : संकट से समाधान की ओर' विषय पर इप्को द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में माननीय श्री सुरेश सोनी जी द्वारा दिये गये उद्बोधन को 'जलवायु परिवर्तन' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास को लेकर अनेक हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन जनकल्याणकारी योजनाओं के परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। विभिन्न योजनाओं के अमल से लाभान्वित हितग्राहियों के जीवन और मध्यप्रदेश के गाँवों में होने वाले बदलाव की सफल कहानियों को मुख्यतः इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। 'सफल गाथा' कॉलम अंतर्गत शामिल इन विकास गाथाओं में मध्यप्रदेश में मनरेगा ने बदली गांवों की तस्वीर, कपिलधारा कूप से लखपति बनने का सफर, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से सपना हुआ साकार, स्वच्छ भारत अभियान मध्यप्रदेश की अभिनव पहल, आजीविका से स्थाई रोजगार, रोजगार से युवाओं की उड़ान आदि समाहित हैं। अंत में पंचायत निर्वाचन की खबरें। इस अंक में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

निःशक्तजन सशक्तीकरण के लिए मध्यप्रदेश पुरस्कृत

विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण बनाने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कलेक्टर ग्वालियर श्री पी. नरहरि को सम्मानित किया गया। श्री नरहरि ने कलेक्ट्रेट में बाधा-मुक्त वातावरण पैदा किया, जिससे 10 से 15 हजार व्यक्तियों को लाभ पहुँचा। पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करवाने में श्रेष्ठ जिला इंदौर घोषित किया गया। यह पुरस्कार इंदौर के कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्रहण किया। जिले में इंदिरा आवास योजना में 23 विकलांग व्यक्तियों को आवास मुहैया करवाये गये तथा विकलांगों के लिए सकारात्मक कार्य कर उनको मुख्यधारा से जोड़ा गया। भोपाल जिले के डॉ. रोहित त्रिवेदी को दृष्टिहीनता तथा अल्प-दृष्टि (पुरुष) के लिए जागरूकता, शिक्षा और पुनर्वास कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार इंदौर की सुश्री राबिया खान को दृष्टिहीनता तथा अल्प दृष्टि (महिला) राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के अवसर पर वर्ष 2014 के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निःशक्तजन सशक्तीकरण कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिसम्बर 2014 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रदेश के अधिकारियों को विभिन्न वर्ग में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत और राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य अधिकारी मौजूद

थे। मध्यप्रदेश को निःशक्तजन सशक्तीकरण कार्यों के लिए चार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण बनाने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कलेक्टर ग्वालियर श्री पी. नरहरि को सम्मानित किया गया। श्री नरहरि ने कलेक्ट्रेट में बाधा-मुक्त वातावरण पैदा किया, जिससे 10 से 15 हजार व्यक्तियों को लाभ पहुँचा। पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करवाने में श्रेष्ठ जिला इंदौर घोषित किया गया। यह पुरस्कार इंदौर के कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्रहण किया। जिले में इंदिरा आवास योजना में 23 विकलांग व्यक्तियों को आवास मुहैया करवाये गये तथा विकलांगों के लिए सकारात्मक कार्य कर उनको मुख्यधारा से जोड़ा गया।

भोपाल जिले के डॉ. रोहित त्रिवेदी को दृष्टिहीनता तथा अल्प-दृष्टि (पुरुष) के लिए जागरूकता, शिक्षा और पुनर्वास कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार इंदौर की सुश्री राबिया खान को दृष्टिहीनता तथा अल्प दृष्टि (महिला) राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुश्री राबिया खान ने विश्व का पाँचवां और भारत का पहला ब्रेल स्क्रिप्ट अरबी केन्द्र वर्ष 2011 में इंदौर में स्थापित किया। उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए मदरसा इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश में निःशक्तजन कल्याण और पुनर्वास के लिए सुनियोजित प्रयास हुए हैं। निःशक्तजन सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे संकल्पित प्रयासों से उनके जीवन में बदलाव आया है।

वे समाज के सभी वर्ग के साथ सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश में स्पर्श अभियान के तहत 8.10 लाख निःशक्तजन को जोड़ा गया है। निःशक्तजन कल्याण के लिए प्रदेश में 1191 विशेष शिविर लगाये गये। शिविर में 6 लाख 46 हजार 890 व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र एवं 68 हजार 182 को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिये गये। प्रदेश में 3705 निःशक्तजन के जीवन को शल्य चिकित्सा के जरिये सहज बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 5 दिसम्बर को भोपाल में भारत सरकार से निःशक्तजन के सशक्तीकरण में बेहतर कार्यों के लिए प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी दी गई। अपर मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्राप्त पुरस्कार की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सामाजिक न्याय विभाग को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में निःशक्तजन सशक्तीकरण कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मध्यप्रदेश को देने का निर्णय लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदेश को यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों दिया गया। भारत सरकार ने निःशक्तजन सशक्तीकरण कार्यों के वर्ष 2014 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर जिले का चयन किया। इसके अलावा दो अन्य श्रेणियों में भी मध्यप्रदेश के डॉ. रोहित त्रिवेदी और सुश्री राबिया खान पुरस्कृत हुए।

समृद्धि के लिये स्वच्छता जरूरी

राज्य स्तरीय स्वच्छता महोत्सव के अवसर पर भोपाल में 19 नवम्बर को उत्कृष्ट कार्यों के लिये चयनित जिलों, जनपदों और ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कारस्वरूप शील्ड और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया।

प्रदेश में सर्वाधिक शौचालय निर्माण के लिये सीहोर, भोपाल और नरसिंहपुर जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला समन्वयक को राज्य-स्तरीय पुरस्कार दिया गया। ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने के लिये सीहोर, हरदा और रायसेन के जिला कलेक्टर डॉ. सुदाम खांडे, श्री रजनीश श्रीवास्तव, श्री नरेश कुमार पाल, श्री जे.के. जैन और श्री निशांत वरवड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला समन्वयक को राज्य-स्तरीय पुरस्कार दिये गये। खुले में शौच की बुराई से मुक्त बनाने के उत्कृष्ट कार्य करने वाली 17 जनपद पंचायतों के साथ ही 105 ग्राम पंचायतों, 20 आँगनवाड़ियों और 2 विद्यालयों को भी राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि देश-प्रदेश की समृद्धि के लिये स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप संपूर्ण देश के साथ प्रदेश को भी वर्ष 2019 तक खुले में शौच की बुराई से पूरी तरह मुक्त कर दिया जायेगा। श्रीमती शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं में स्वच्छता के प्रति आई चेतना को भी सराहा।

उन्होंने कहा कि शौचालय बनाने के साथ ही उनका नियमित उपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि गाँव की नियमित स्वच्छता के लिये पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम पटेल को सक्रियता से कार्य करना होगा। गाँव की सड़कों, नालियों और स्कूल तथा आँगनवाड़ियों के शौचालय की नियमित साफ-सफाई के लिये पंच-परमेश्वर योजना में आगामी वर्ष से एक-एक सफाईकर्मी का इंतजाम किया जायेगा।

सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संजीव कुमार झा ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता अभियान के प्रति ग्रामीणों में व्यापक चेतना आई है। गाँव में लोग शौचालय निर्माण और उनका उपयोग करने के बारे में जागरूक हुए हैं। यूनिसेफ के प्रदेश प्रमुख श्री ट्रेवोर क्लार्क ने कहा कि सभी ग्रामीण घरों के लिये शौचालय निर्माण की चुनौती का सामना सबको मिल-जुलकर करना है। समुदाय संचालित स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने में यूनिसेफ सहयोग देगा।

कलेक्टर सीहोर डॉ. सुदाम खांडे तथा देवास जिले की बागली जनपद की ग्राम पंचायत नयापुरा की सरपंच श्रीमती निर्मला कठाले ने भी स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लाने किये गये कार्यों और अनुभवों को बताया।

अभियान पर आधारित एनिमेशन फिल्म और स्वच्छता को भी प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर आयुक्त मनरेगा श्रीमती सीमा शर्मा, आयुक्त एकीकृत बाल विकास श्रीमती पुष्पलता सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आजीविका फोरम श्री एल.एम. बेलवाल, अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र डॉ. अरुणा गुप्ता और एम.पी.टास्ट के राज्य प्रमुख श्री श्रीकृष्णा स्वामी भी मौजूद थे। राज्य कार्यक्रम अधिकारी जल एवं स्वच्छता मिशन श्रीमती हेमवती वर्मन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में अब हर छः माह के अंतराल से स्वच्छता महोत्सव का आयोजन होगा।

राज्य स्तरीय स्वच्छता महोत्सव के अवसर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों का विवरण

कन्सट्रक्शन जिला पुरस्कार

क्र.	जिले का नाम	जिला कलेक्टर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	जिला समन्वयक
1.	सीहोर	श्री सुदाम खांडे	श्री आर.आर. भोशले	श्री विकास बोगडे
2.	भोपाल	श्री निशान्त बरबड़े	श्री पी.सी. शर्मा	श्री पवन स्वर्णकार
3.	नरसिंहपुर	श्री नरेश कुमार पाल	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह	श्री राजेश तिवारी

खुले में शौच मुक्त जिला पुरस्कार

क्र.	जिले का नाम	जिला कलेक्टर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	जिला समन्वयक
1.	सीहोर	श्री सुदाम खांडे	श्री आर.आर. भोशले	श्री विकास बोगडे
2.	हरदा	श्री रजनीश श्रीवास्तव	श्रीमती षडमुखप्रिया मिश्रा	श्री रजनीश शुक्ला
3.	रायसेन	श्री जे.के. जैन	श्री अनुराग चौधरी	श्री बिनोद सिंह बघेल

जनपद पुरस्कार

क्र	संभाग	जिला	संभाग में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण/उपयोग के लिए प्रथम स्थान		ब्लाक समन्वयक का नाम
			मुख्य कार्यपालन अधि.	पद नाम/जनपद पंचायत का नाम	
1.	चंबल	भिण्ड	श्री एस. रघुवंशी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अटेर)	श्री बृजेश परमार
2.	भोपाल	रायसेन	श्री बृन्दावन मीणा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (उदयपुरा)	श्री अशोक यादव
3.	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती शिवानी जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (भितरवार)	श्री रोबिन श्रीवास्तव
4.	नर्मदापुरम	होशंगाबाद	श्री आर.एस. कुशवाहा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (केसला)	श्री नितिन मालवीय
5.	सागर	छतरपुर	श्री आर.एस. राणा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (लौंड़ी)	श्री सुखलाल सौर
6.	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	श्री डी.के. करपे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पांढुरना)	श्री चन्द्रशेखर डोने
7.	रीवा	सीधी	श्री राजाराम सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सिहावल)	श्री अरुण कुमार पाठक
8.	शहडोल	अनूपपुर	श्री हेमराज सिद्दीकी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कोतमा)	श्री अंकुर सिंह
9.	उज्जैन	नीमच	श्री अंतरसिंह चौहान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जावद)	श्री आर.सी. नागर
10.	इन्दौर	इन्दौर	श्री पुरुषोत्तम पाटीदार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (इन्दौर)	श्री जगजीत सिंह

जनपद पुरस्कार

क्र.	संभाग	जिला	संभाग में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण/उपयोग के लिए प्रथम स्थान		ब्लाक समन्वयक का नाम
			मुख्य कार्यपालन अधि.	पद नाम/जनपद पंचायत का नाम	
1.	चंबल			निरंक	
2.	भोपाल	सीहोर	श्री नवल मीणा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (बुदनी)	श्री योगेश कुमार राठौर
3.	ग्वालियर			निरंक	
4.	नर्मदापुरम	हरदा	श्री सुभाष शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (हरदा)	श्री अतुल अफले
5.	सागर			निरंक	
6.	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	श्री यजुवेन्द्र कोरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अमरवाड़ा)	श्री प्रीतम ठाकुर
7.	रीवा	सतना	श्री राजेन्द्र सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मझगवां)	श्री अशोक परोहा
8.	शहडोल			निरंक	
9.	उज्जैन	देवास	श्री प्रदीप पाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (खातेगांव)	श्री गेंदराव परते
10.	उज्जैन	देवास	श्री जीतेन्द्र सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (बागली)	श्री गुप्त लाल सिंह
11.	इन्दौर	इन्दौर	श्री आर.सी. पवार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सांवेर)	श्री मौसम कुशवाहा

पुरस्कृत पंचायतों का विवरण

क्र.	जिला	जनपद	पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	सचिव का नाम
1.	सीहोर	सीहोर	चितोडियालाखा	श्रीमती बिन्दाबाई	श्री पूरण सिंह
2.	सीहोर	सीहोर	डोडी	श्रीमती जानी बाई	श्री मनोहर सिंह मेवाड़ा
3.	सीहोर	सीहोर	पड़ली	श्री चन्दनसिंह मेवाड़ा	श्री रामसिंह मेवाड़ा
4.	सीहोर	आष्टा	भटोनी	श्री मांगीलाल परमार	श्री लोकसिंह
5.	सीहोर	आष्टा	बडघाटी (पिपलिया)	सुश्री पवित्राबाई	श्री महेन्द्र मेवाड़ा
6.	सीहोर	इछावर	मुण्डला	श्री बाबूलाल	श्री स्वरूपसिह
7.	सीहोर	नसरुल्लागंज	हाथीघाट	श्री भंवरसिह मीणा	श्री अर्जुनसिंह मीणा
8.	सीहोर	बुधनी	रतनपुर	श्रीमती सावित्री यादव	श्री जिया लाल यादव
9.	सीहोर	बुधनी	बोरी	श्री विनय कुमार गौर	श्री विनोद तिवारी
10.	सीहोर	बुधनी	खैरी	श्री रामसिह	श्री जगदीश यादव
11.	सीहोर	बुधनी	बारधा	सुश्री सुमंत्रा यादव	श्री गोविन्द सिह
12.	सीहोर	बुधनी	मुर्राह	श्री नीरज भाटी	श्री अमरसिंह
13	सीहोर	बुधनी	बरखेड़ा	सुश्री सीमा	श्री श्रवण कुशवाहा
14.	सीहोर	बुधनी	सांवलखेड़ा	सुश्री प्रभाबाई	सुश्री कंचन सेन
15.	सीहोर	बुधनी	मोगरा	श्री संतोष धूर्वे	श्री प्रकाश दायमा
16.	सीहोर	बुधनी	मरदानपुर	सुश्री पुष्पा सेन	श्री प्रवीण मालवीय
17.	सीहोर	बुधनी	मटठागांव	श्री प्रेमसिह यादव	श्री दयाराम मालवीय
18.	सीहोर	बुधनी	पथौड़ा	सुश्री आशा दीवान	श्री गोविन्द दायमा
19.	सीहोर	बुधनी	माथनी	श्री लखनलाल	श्री प्रदीप ठाकुर
20.	सीहोर	बुधनी	बायां	सुश्री शारदा	श्री मनोज केवट
21.	सीहोर	बुधनी	जोशीपुर	श्री कैलाश प्रसाद यादव	श्री रामगोपाल मीणा
22.	सीहोर	बुधनी	जहानपुर	सुश्री मैना थापक	श्री राधेश्याम चौहान
23.	सीहोर	बुधनी	अकोला	सुश्री पुष्पा गौर	श्री विजयसिंह
24.	सीहोर	बुधनी	सत्रामहू	सुश्री लक्ष्मीबाई	श्री अबिनाश चौहान
25.	सीहोर	बुधनी	गादर	सुश्री मुन्नी	श्री खुमानसिंह
26.	सीहोर	बुधनी	चीकली	श्री छोटेलाल	श्री मुन्नालाल चौहान
27.	सीहोर	बुधनी	आमोन	श्री शिवनारायण चौहान	श्री संतोष जाटव
28	सीहोर	बुधनी	खैरीसिलगेना	श्रीमती अनीता	श्री सतीष चौहान
29.	खरगौन	भगवानपुरा	आकनवाड़ी	सुश्री रशीदा बी	श्री राधेश्याम मालवीय
30.	होशंगाबाद	केसला	ढाबाखुर्द	श्री मनोज मरकाम	श्री प्रशान्त यादव
31.	हरदा	हरदा	अवगांवकला	श्री भागीरथ वाष्टे	श्री संतोष मंसूरे
32.	हरदा	हरदा	अवगावखुर्द	श्री सुरेशचन्द्र भाटिया	श्री मनीष व्यास
33.	हरदा	हरदा	बीड	श्री चेतराम हरलाल	श्री विनोद विश्नोई
34.	हरदा	हरदा	भन्नास	श्रीमती दयामति	श्री मनीष व्यास
35.	हरदा	हरदा	गोगिया	श्री हरिराम पटैल	श्री उमाशंकर गौर
36.	हरदा	हरदा	हरदाखुर्द	श्रीमती सीता हरनारायण	श्री मनीष व्यास
37.	हरदा	हरदा	सिरकंबा	श्रीमती राजवंती	श्री कन्हैयालाल धनगर
38.	हरदा	हरदा	सुखरास	श्री रामजीवन जागेश्वर	श्री नन्दलाल बघेले
39.	हरदा	टिमरनी	बघवाड	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत	श्री शैलेन्द्र राजपूत
40.	हरदा	टिमरनी	विच्छापुर	श्री बलराम डुडी	श्री गणेश बांके
41.	हरदा	टिमरनी	गोदडी	श्री उत्तम सिंह यदुबंशी	श्री ज्ञानदेव माणिक
42.	हरदा	टिमरनी	सौताडा	श्री आलोक पारे	श्री केशव सिंह कहार
43.	हरदा	टिमरनी	निमाचाखुर्द	श्रीमती मायावती लोगरे	श्री रामकृष्ण तिल्लौरे
44.	हरदा	टिमरनी	रायबोर	श्रीमती फुल्लोबाई श्रीराम	श्री कमलसिंह कटारे
45.	हरदा	खिरकिया	दीपगांवकला	श्री कन्हैयालाल रामा	श्री संतोष प्रजापति
46.	बैतूल	मुलताई	लेंदागोंदी	श्रीमती जतुल पवार	श्री रावजी पवार
47.	बैतूल	मुलताई	माथनी	श्रीमती जानकी बाई	श्री मुकेश पवार
48.	बैतूल	आठनेर	गुनखेड़	श्री प्रकाश कनाटे	श्री धनराज बागद्रे
49.	रायसेन	उदयपुरा	छातौर	श्रीमती रम्मो बाई	श्री जगदीश प्रसाद
50.	रायसेन	उदयपुरा	घनाबडेडिया	श्री राकेश रघु	श्री दुर्जन सिंह
51.	रायसेन	उदयपुरा	सिलारीकला	श्रीमती कांती बाई	श्री सत्यभान

क्र.	जिला	जनपद	पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	सचिव का नाम
52.	रायसेन	उदयपुरा	कल्हेढीकलां	श्रीमती रामसिया बाई	श्री लक्ष्मीनारायण
53.	रायसेन	उदयपुरा	पिपलियाकलां	श्री रामसेवक रघु	श्रीमती यशोदाबाई
54.	रायसेन	उदयपुरा	बौरास	श्रीमती हल्की बाई	श्री सुरेन्द्र राजपूत
55.	रायसेन	उदयपुरा	निवाड़ी	श्रीमती मानकुंअर बाई	श्री ब्रजबिहारी साहू
56.	रायसेन	उदयपुरा	आवरिया	श्रीमती धनवंती बाई	श्री सरदार सिंह
57.	रायसेन	उदयपुरा	थाला	श्रीमती रामदेवी	श्री हरिशचंद्र
58.	रायसेन	उदयपुरा	कानीबाड़ा	श्रीमती ललिता बाई	श्री सुदर्शन सिंह
59.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	भैंसा	श्रीमती देवकी पटेल	श्री राकेश मेहरा
60.	नरसिंहपुर	गोटेगांव	कंधरापुर	श्री रजनीश द्विवेदी	श्री हेमंत पाल
61.	नरसिंहपुर	करेली	हिरनपुर	श्री चंद्रभान पटेल	श्री ओमप्रकाश धानक
62.	नरसिंहपुर	चॉवरपाठा	मेहगुंवा (दमोहिया)	श्री अरविंद शुक्ला	श्री गंगाराम पटेल
63.	नरसिंहपुर	चीचली	आड़ेगांवखुर्द	श्री मुकेश पटेल	श्री सोहनलाल रजक
64.	इन्दौर	इन्दौर	बिहाडिया	श्रीमती किरण अनुराग	श्री विनोद प्रजापत
65.	इन्दौर	सांवेर	अजनोद	श्रीमती कृष्णाबाई किशोर डांगर	श्री रामप्रसाद
66.	इन्दौर	महू	पिगडम्बर	श्रीमती निरूपमा सोलंकी	श्री नरेन्द्र पडियार
67.	इन्दौर	देपालपुर	नेवरी	श्रीमती देवकन्याबाई राजेन्द्र	श्री देवकरण गौड
68.	सतना	सोहवल	फुटौंधा	श्रीमती पारवती दहायत	श्री पुष्पराज सिंह
69.	सतना	मझगवाँ	गुझवा	सुश्री प्रेमलता	श्री शंकर सेन
70.	सतना	मझगवाँ	तेलनी	श्री रामकृष्ण शर्मा	श्री ईश्वरदीन वर्मा
71.	सतना	मझगवाँ	बडेराकला	सुश्री रामरती यादव	सुश्री कामता भारती
72.	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	बडेगांव	श्रीमती नविता टेमरे	श्री सतीश उसरेठे
73.	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	छुई	श्रीमती रामकुमारी रौंतिया	श्री सूरज कुशमरिया
74.	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	घोघरी	श्री जमनाप्रसाद परतेती	श्री अरविंद सिरसाम
75.	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	उमारिया	श्रीमती सिपतिया	श्री मुलायम सिंह जांवरे
76.	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	सेजा	श्री शिवराज यादव	श्री गजेन्द्र वर्मा
77.	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	पुरतला	श्रीमती सरस्वती परतेती	श्री गरजन भलावी
78.	कटनी	ठीमरखेड़ा	नेगई	श्री गनेश साहू	श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास
79.	कटनी	बडवारा	सकरीगढ़	श्री रामनाथ कोरी	सुश्री रेवा विश्वकर्मा
80.	कटनी	रीठी	पटौहा	श्री दगविजय सिंह	श्री शिवनारायण शर्मा
81.	कटनी	बहोरीबंद	मसंधा	श्री रानाथ चौधरी	श्री दौलत सिंह
82.	कटनी	बहोरीबंद	अमरगढ़	श्रीमती रीना लोधी	श्री ओंकार प्रसाद
83.	कटनी	बहोरीबंद	भेडा	श्रीमती मीरा त्रिपाठी	श्री विनोद कुमार दुबे
84.	कटनी	वि. गढ़	सलैया कोहारी	घुरिया बाई	श्री भगवान दास पटेल
85.	कटनी	वि. गढ़	खलवारा	श्रीमती श्यामाबाई	श्री अरुणेश जायसवाल
86.	कटनी	वि. गढ़	डिठवारा	श्री मूलचंद विश्वकर्मा	श्री जगदीश यादव
87.	उज्जैन	महिदपुर	पेटलावद	श्री भरत शर्मा	श्री रामेशचन्द्र गेहलोत
88.	उज्जैन	उज्जैन	कचनारिया	श्री प्रहलाद सिंह	श्री गोविन्द सिंह
89.	नीमच	नीमच	कराडिया महाराज	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री नवीन पाटरदार
90.	नीमच	मनासा	ढाकनी	श्री विरमलाल धनगर	श्री विष्णू मोतीलाल
91.	रतलाम	बजना	बाडी	श्रीमती कालीबाई बालचन्द	श्री कमल चारेल
92.	देवास	सोनकच्छ	ढावला जागीर	श्रीमती पवन कुवर	श्री जितेन्द्र सिंह गोहिल
93.	देवास	बागली	नयापुरा	श्रीमती निर्मल कंठाली	श्री सागर चौहान
94.	देवास	बागली	मनासा	श्रीमती श्यामाबाई	श्रीमती ज्योती पाटीदार
95.	देवास	खातेगांव	खारद	श्री नरेन्द्र सिंह राजावत	श्री बलराम जाट
96.	देवास	खातेगांव	बछखाल	श्रीमती गीता बाई	श्री संतोष
97.	दमोह	जबेरा	लरगुना	श्रीमती हीराबाई	श्री कडोरी
98.	दमोह		बिजयसनगर	श्री प्रेमलाल अहिरवार	श्री अम्बिका प्रसाद साहू
99.	दमोह	बटियागढ़	बसिया	श्रीमती गेंदाबाई	श्री हाकिम सिंह
100.	दमोह		पथरिया	श्री सीताराम बैद्य	श्री अर्जुन सिंह
101.	दमोह	हटा	सिनौतीकला	श्री मुकेश दयावत	श्री हर्ष पटेल
102.	दमोह	तेंदूखेड़ा	पूराकरौदी	श्रीमती तेजाबाई	श्री माधव सिंह लोधी
103.	दमोह		तेजग्रह	श्री भोजराज ठेकेदार	श्री केशव कुमार साहू
104.	दमोह	पटेरा	राझाकला	श्रीमती गीतारानी अथ्या	श्री मनमोहन पटेल
105.	दमोह	दमोह	चौपाखुर्द	श्रीमती मथुराबाई	श्री के.के. श्रीवास्तव

मंत्रिपरिषद् का महत्वपूर्ण निर्णय

शहरी सीमा के पास ग्राम-पंचायत क्षेत्रों में कॉलोनाइजरों को गरीबों के लिये 6 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित करना होगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 3 दिसम्बर को भोपाल में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी सीमा के निकट स्थित ग्राम-पंचायत क्षेत्र के गाँव में कॉलोनाइजरों को विक्रय योग्य आवासीय क्षेत्र में कुल निर्मित क्षेत्र का 6 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिये आरक्षित करना होगा। निर्मित आवासीय इकाइयों के मामले में भी कुल निर्मित क्षेत्र का 6 प्रतिशत आरक्षण करना अनिवार्य होगा। इससे इन वर्गों के परिवारों को कम दर पर व्यवस्थित आवास उपलब्ध होंगे।

कॉलोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न वर्ग के लिये भूखण्ड अथवा भवन आरक्षित न किये जाने की दशा में आश्रय शुल्क जमा करना होगी। आश्रय शुल्क की राशि संबंधित जिला पंचायत में जमा होगी। इस राशि से ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्ग के ग्रामीण आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास निर्मित किये जायेंगे।

इसके अलावा कॉलोनी के बाह्य विकास कार्य के लिये कॉलोनाइजर को आश्रय शुल्क जमा करना होगा। इस कार्य में सड़कों, जल-निकास तथा मल-प्रवाह प्रणाली का संधारण शामिल है।

ग्राम-पंचायतों में कॉलोनियों के निर्माण के लिये कॉलोनाइजर को 50 हजार रुपये रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा करना होगा। पहले यह शुल्क 5000 रुपये था। कॉलोनी के विकास के लिये अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि कर उसे 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।

प्रस्ताव नियम 2014

- रजिस्ट्रीकरण शुल्क रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार केवल) होगा और नवीकरण शुल्क रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार केवल) होगा, जो कि संबंधित जिला पंचायत की आश्रय निधि में जमा किया जाएगा।
- सक्षम प्राधिकारी आम पहुंच में रखे जाने के लिए कार्यालय में तथा ऑनलाइन दोनों स्थिति में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के संपूर्ण ब्यौरे निबंधनों तथा शर्तों के साथ प्रविष्ट किए जाएंगे। रजिस्ट्रीकरण के दौरान दी गई सारवान् जानकारी में किसी परिवर्तन की दशा में कालोनाईजर सक्षम प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा।
- कालोनी के विकास की अनुज्ञा के लिए शुल्क रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार केवल) प्रति हैक्टेयर की दर से देय होगा। पूर्व में यह 1000/- (एक हजार रुपये) प्रति हैक्टेयर की दर से देय था।
- कालोनाईजर, विकसित भूखण्डों के मामले में विक्रय योग्य आवासीय क्षेत्र का 6 प्रतिशत तथा संनिर्मित आवासीय इकाईयों के मामले में कुल निर्मित क्षेत्र का 6 प्रतिशत (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूह में से प्रत्येक के लिए 3 प्रतिशत) आरक्षित करेगा।
- आश्रय शुल्क जहां कि उस क्षेत्र का जिस पर कालोनी विकसित की जा रही है, भूमि उपयोग, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंध के अधीन तैयार की गई लागू विकास योजना में इस प्रकार है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए विहित भूखण्ड का आकार अनुज्ञेय नहीं है, आश्रय शुल्क लागू होगा।
- आश्रय शुल्क जहां कि कालोनी का विकास उस भूमि पर किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार द्वारा कालोनाईजर को पट्टे पर दी गई है और पट्टे की शर्तों में निवास एककों का निर्माण करने या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को भू-खण्ड उपलब्ध कराने की अनुज्ञा नहीं है, आश्रय शुल्क लागू होगा।
- अतिरिक्त आश्रय शुल्क प्रत्येक कालोनाईजर बाह्य सड़कों, जल-निकास तथा मल-प्रवाह प्रणाली के संधारण के लिए अतिरिक्त आश्रय शुल्क जमा करेगा।
- आश्रय शुल्क कालोनाईजर द्वारा संबंधित जिला पंचायत की आश्रय निधि में जमा किया जाएगा। प्रत्येक जिला पंचायत इस प्रकार जमा की गई राशि का एक पृथक् खाता संधारित करेगी, तथापि राज्य सरकार उस रीति के बारे में निदेश दे सकेगी जिसके अनुसार राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
- जहां कालोनी भूखण्ड काटकर या समूह आवास या निवास एककों के रूप में विकसित की गई है, वहां विकसित भूखण्डों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत/या यथास्थिति ऐसे निवास एककों का 25 प्रतिशत संबंधित जिला कलेक्टर के पास बंधक रखेगा। बंधक विलेख निष्पादित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कालोनाईजर द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर दिए जाएंगे और उसकी विशिष्टियां जिला पंजीयक को दी जाएंगी।
- कालोनाईजर बाह्य मार्ग, जल निकास और मल वहन प्रणाली को ग्राम पंचायत को सौंपेगा और ग्राम पंचायत उनका संधारण करेगी। सक्षम प्राधिकारी, यह निर्देश देते हुए एक आदेश भी जारी करेगा कि कालोनी रहवासी कल्याण संघ को उसके संधारण के लिए तत्काल अंतरित की जाए, परन्तु जब विकास की अनुज्ञा चरणवार दी गई है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र चरणवार ही जारी किया जाएगा।
- कालोनाईजर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूहों के, नियमों के अधीन पात्र आवेदकों के नाम दस्तावेजों की एक प्रति के साथ भू-खण्ड/निवास एकक खरीदने के लिए कलेक्टर को भेजेगा। कलेक्टर प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा। कलेक्टर उनकी प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आवेदनों की छानबीन करेगा और आवेदकों की पात्रता के बारे में समाधान करेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के भूखण्ड/निवास एकक क्रय करने के लिए पात्र पाए गए व्यक्तियों की अंतिम सूची कालोनाईजर को देगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के वित्तीय समावेशन मॉडल को सराहा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश में अधिकतम लोगों को बैंकिंग सहायता उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय समावेशन के 'समृद्धि' मॉडल को सफलता से लागू किए जाने की तारीफ की। उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। श्री मोदी ने मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिसम्बर नई दिल्ली में योजना आयोग के नये स्वरूप पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में मध्यप्रदेश के वित्तीय समावेशन मॉडल 'समृद्धि' पर प्रस्तुतीकरण दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2011-12 में जब 'समृद्धि' मॉडल लागू किया गया। उस वक्त 14 हजार 767 गाँव ऐसे थे जिनकी परिधि के पाँच किलोमीटर तक किसी व्यावसायिक या सहकारी बैंक की शाखा नहीं थी। साथ ही कोई डाकघर भी नहीं था।

राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों की शेडो एरिया के रूप में पहचान की। वहाँ वित्तीय समावेशन का काम शुरू कर इसे 'समृद्धि' मॉडल नाम दिया गया। इस मॉडल में राज्य सरकार ने अल्ट्रा स्माल बैंक, ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए पंचायत भवनों में 100 वर्गफिट तक का स्थान उपलब्ध करवाया। यह मॉडल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित सभी प्रमुख बिन्दुओं पर केन्द्रित है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'समृद्धि' मॉडल तीन प्रमुख स्तंभ पर आधारित है। इनमें समग्र पोर्टल, अल्ट्रा स्माल बैंक सेवाएँ और इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन द्वारा बैंकों में पैसा सीधा पहुँचना शामिल है।

प्रदेश में अभी तक 2400 अल्ट्रा स्माल शाखाएँ खोली गई हैं। इतने ही बैंक-मित्र बनाये गये हैं। इसमें कुल 77 लाख खाते खोले गये हैं। नये खातों में 91 लाख ट्रांजेक्शन में 1023 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है।

मध्यप्रदेश में जन-धन योजना के लक्ष्य की प्राप्ति

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके लिए पहले दिन से ही अधिकारियों और बैंकरों के साथ मिलकर प्रयास शुरू किए गए। राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति में अधिकारियों और बैंकरों का मनोबल बढ़ाकर, उन्हें योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला कलेक्टरों और लीड बैंक मैनेजरों ने भी इस कार्य में बहुत निष्ठा से कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना में कुल 1 करोड़ 53 लाख 86 हजार 853 परिवारों का सर्वे किया गया। इनमें से 1 करोड़ 4 लाख 39 हजार 216 परिवारों के पास पहले से ही खाते थे। शेष 49 लाख 47 हजार 637 परिवारों के खाते खोलने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान में 58 लाख 64 हजार 452 खाते खोले गये।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ अवसर पर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन

मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान उपेंद्र जी कुशवाहा, मंचस्थ महानुभाव, सभी आदरणीय सांसद महोदय और सभी देशवासी,

देश आजाद हुआ तब से अब तक ग्रामीण विकास के संदर्भ में सभी सरकारों ने अपने-अपने तरीके प्रयास किये हैं। और ये प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिये। समयानुकूल परिवर्तन के साथ चलते रहने चाहिये। बदलते हुये युग के अनुकूल योजनाएं बननी चाहिये, बदलते हुए विश्व की गति के अनुसार परिवर्तन की भी गति तेज होनी चाहिये और यह न रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हर बार उस प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाने के लिये, उस प्रक्रिया में प्राण-शक्ति भरने के लिये कुछ नये Element हर बार जोड़ते रहना जरूरी होता है।

हमारे देश में हर राज्य में 5-10, 5-10 गाँव जरूर ऐसे हैं जिनके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते, तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिये थे। और नहीं बने, कुछ ही बने, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार योजनाओं के सिवाय भी कुछ है। सरकारी योजना के सिवा जो है वो ही इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की आत्मा है।

योजनाएं तो सभी गांवों के लिये हैं लेकिन कुछ ही गांवों ने प्रगति की क्योंकि उस गांव में कुछ लोग थे जिनकी सोच भिन्न थी। कोई नेता थे जिन्होंने एक अलग ढंग से Lead किया और उसी के कारण ये परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा गांव नहीं हैं। उससे भी ज्यादा अच्छे गांव हैं, लोगों ने बनाये हैं। आवश्यकता ये है कि हमें अगर निर्णय की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाना है तो कहीं से हमें शुरू करना चाहिए।

आज श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी जन्म जयन्ती का पावन पर्व है। आजादी के आन्दोलन में मुखर युवा शक्ति, और आजादी के बाद राजनीति से अपने आप को भिन्न

रखते हुए रचनात्मक कामों में अपने आप को आहुत करते हुए, उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से जिया, हम सबके लिये प्रेरणा बने हैं। जय प्रकाश जी की एक बात ... उनके विचारों पर गांधी, विनोबा की छाया हमेशा रहती थी। लोहिया की छाया भी रहती थी। उन्होंने एक बात कही थी कि ग्राम धर्म एक महत्वपूर्ण बात है और जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं है, चलता नहीं है, तो ग्राम धर्म असंभव है और अगर ग्राम धर्म संभव है, तो ग्राम नई ऊंचाईयों को पाने का रास्ता अपने आप चुन सकता है।

महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधी जी 1915 में विदेश से वापस आये। दो साल के भीतर-भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया, वही बिहार के चम्पारन में जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। जनभागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी के आन्दोलन का बीज गांव में बोया गया था, गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है। नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और उनकी श्रीमती प्रभा देवी जी, उनके नाम से चित्रकूट के पास जयाप्रभा नगर के विकास के लिये अपने आप को आहुत किया था। जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्होंने उत्तरप्रदेश के कई गांवों में, गांवों के जीवन को Self Sufficient बनाना, इस मकसद को लेकर उन्होंने काम किया था।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं उन गांवों का विजिट करने गये थे और उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातों में उसका उल्लेख कई बार किया है। कहने का तात्पर्य यह है, कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से, इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में Total तीन गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाये, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक दो और गांव हो जायें और आगे चलकर के फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब-करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम तीन-तीन गांव करते हैं तो ढाई हजार गांव तक पहुंच पाते हैं।

इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिये अगर कोई स्कीम बनाती है, और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम ... तो छः सात हजार गांव और जुड़ सकते हैं। और, अगर एक ब्लॉक में, एक गांव अच्छा बन जाता है तो बात वहां रुकती नहीं है। अगल-बगल के गांवों को भी हवा लगती है, वहां भी चर्चा होती है कि भई देखो वहां यह हुआ, हम भी कर सकते हैं। यहां ये प्रयोग हुआ, हम भी कर सकते हैं। इसका viral effect शुरू हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात हम किस प्रकास से इसकी नींव रखते हैं।

हमारे देश में लंबे अरसे से आर्थिक क्षेत्र में चर्चा करने वाले, विकास के क्षेत्र में चर्चा करने वाले, एक बहस लगातार चल रही है। और वह चर्चा है कि भई विकास का model top-to-bottom हो कि bottom-to-top हो? यह चर्चा हो रही है। अब चर्चा करने वालों का काम... चर्चा करनी भी चाहिए। उसमें से नई-नई चीजें निकलती हैं। लेकिन काम वालों का काम है - कि चलो भाई, हम कहीं से शुरू तो करें। तो top-to-bottom जाना है कि bottom-to-top जाना है, वह चर्चा जहां होती है, होती रहे। देखिए हम तो कम से कम bottom में बैठकर के एक गांव को देखें तो सही।

इसका सबसे बड़ा लाभ यह होने वाला है, जिसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है। आज सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए जुटा रहता है, किसी भी दल का क्यों न हो, वह accountable होता है, उसे काम करते रहना पड़ता है। हर पल उसको जनता के बीच रहना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर उसकी शक्ति और समय तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में जाता है। दूसरा, उसका शक्ति और समय सरकार से काम निकलवाने के लिए अफसरों के पीछे लगता है। मैं आज एकदम से इन स्थितियों को बदल पाऊंगा या नहीं, कह नहीं रहा। लेकिन इस प्रयोग के कारण... MPLADS fund होता है, उसमें भी होता क्या है? उसको, इलाके के लोग कहते हैं, मुझे यह चाहिए, यह चाहिए। फिर वो बांट देता है। सरकारी अफसर को दे देता है, देखो भाई ज्यादा से ज्यादा गांव खुश हो जाएं ऐसा कर लेना जरा। छोटी-छोटी स्कीम... आखिरकार होता यही है।

महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधी जी 1915 में विदेश से वापस आये। दो साल के भीतर-भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया, वही बिहार के चम्पारन में जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। जनभागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी के आन्दोलन का बीज गांव में बोया गया था, गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है। नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और उनकी श्रीमती प्रभा देवी जी, उनके नाम से चित्रकूट के पास जयाप्रभा नगर के विकास के लिये अपने आप को आहुत किया था। जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्होंने उत्तरप्रदेश के कई गांवों में, गांवों के जीवन को Self Sufficient बनाना, इस मकसद को लेकर उन्होंने काम किया था।

ये काम ऐसा है कि जहां आज उसको एक Focussed activity के द्वारा ये लगने लगेगा कि, हां भई, उस गांव के साथ आने वाले दशकों तक उसका नाम जुड़ने वाला है। वो गांव हमेशा याद करेगा कि, भई, पहले तो हमारा गांव ऐसा था लेकिन हमारे एक MP बने थे, उनके रहते हुए ये बदलाव आ गया।

आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। टुकड़ों में शायद एक सांसद उन योजनाओं से संपर्क में आता है लेकिन सभी योजनाओं की धाराएं एक जगह पर ले जाने में कठिनाइयां क्या हैं? कमियां क्या हैं? और अच्छा बनाने का रास्ता क्या है? ये सारी बातें, जब एक सांसद एक गांव को लेकर चर्चा शुरू करेगा, तो सरकारी व्यवस्थाओं की बहुत सी कमियां उजागर होने वाली हैं।

ये मैंने छोटा Risk नहीं लिया है। लेकिन बहुत समझदारी, जानकारी और अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ - एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा, सारी कमियां उभरकर के सामने आएंगी। और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा, "हां देखो यार! उस गांव में हमने इतना बदल किया तो सब जगह पर हम कर सकते हैं।" आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पर बन जाएगी, पानी का ट्यूबवैल दूसरी जगह पर होगा। जहां टंकी वहां ट्यूबवैल नहीं, जहां ट्यूबवैल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ? हुआ! Output हुआ? हुआ! Outcome हुआ? नहीं हुआ! इसलिए, Outcome पर Focus देने के लिए एक बार सांसद, गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है।

इसमें इतनी Flexibility है, इस कार्यक्रम में, कि वो अपनी मर्जी से कोई गांव चुन ले। हो सके तो तीन हजार, पांच हजार की बस्ती में हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800-2600 हैं तो लेना नहीं। और कहीं 5200 हो गए तो हाथ मत लगाओ। यह Flexible है लेकिन मोटा-मोटा अंदाज रहे कि तीन हजार-पांच हजार की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था गढ़ी जाए। जहां पहाड़ी इलाके हैं, Tribal इलाके हैं वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां एक हजार और तीन हजार के बीच की संख्या है।

सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। इसके सिवाए वो कोई भी गांव Select कर ले। वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर के करे। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी Select करना बाकी है। आज एक Guidelines आ गई हैं। मैं भी बनारस जाऊंगा, बात करूंगा और सबका मन बनाकर के मैं भी एक गांव Select करूंगा। ये पूरी योजना.. आजकल हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारा विकास का मॉडल Supply-driven रहा है। दिल्ली में या लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई। फिर वही Inject करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा Supply-driven से Shift करके Demand-driven बनाना चाहते हैं। गांव में urge पैदा हो। गांव कहे कि हां, ये करना है। अब ये चीज ऐसी नहीं, गांव में एक Bridge बना देना है या गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बना देना है। इस प्रकार का नहीं है।

हमारी आज की स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। अब कोई मुझे बताए, गांव के स्कूल हों, गांव का पंचायत घर हो, गांव का कोई मंदिर हो, गांव का कोई और तीर्थ क्षेत्र हो, पूजाघर हो - कम से कम वहां सफाई हो। अब इसके लिए बजट लगता है क्या? लेकिन मैं खुद गांवों में जाता था।

मेरा ये भाग्य रहा है कि शायद, शायद राजनीतिक जीवन में काम करने वालों में बहुत कम लोगों के ये सौभाग्य मिला होगा, जो मुझे मिला है। मैंने 45 साल तक भ्रमण किया है। मैं 400 से अधिक गांवों में... Sorry, 400 से अधिक जिलों में... मुझे हिन्दुस्तान में रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। इसलिए मुझे, मुझे धरती की सच्चाई का पता है। गुजरात के बाहर कम से कम 5000 से अधिक गांव ऐसे होंगे, जहां कभी न कभी मेरा जाना हुआ होगा। और इसलिए मैं स्व-अनुभव से इन चीजों को जानता हूं, समझता हूं। और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हम एक बार गांव में विश्वास पैदा करें। गांव को तय करवायें कि हां, ये करना है।

अब मुझे बताइए, किसी गांव में 3000-5000 की बस्ती हो, एक साल में डिलीवरी कितनी होती है। Maximum 1001 उसमें 50-60 महिलाएं ऐसी होंगी, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। 25-30 महिलाएं ऐसी होंगी, जिनको इस गर्भावस्था में, अगर पोषण की व्यवस्था गांव कर दे, तो कभी भी कुपोषित बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं है। माता के मरने की संभावना नहीं है।

अगर यही काम भारत सरकार को करना है तो Cabinet का note बनेगा, Department का Comment आएगा,

Cabinet पास करेगी, Tender निकलेगा, Tender निकलने के बाद क्या होगा, सबको मालूम है। फिर छह महीने के बाद अखबार में खबर आएगी कि ये हुआ। इसमें न Tender लगेगा न बजट लगेगा, न कोई Cabinet की जरूरत पड़ेगी, न मंत्री की जरूरत पड़ेगी। गांव के लोग मिलके तय करेंगे कि हर वर्ष 25 महिलाएं अगर गर्भावस्था हैं, गरीब हैं तो उनको तीन महीने-चार महीने Extra Nutritional food के लिए हम गांव के लोग मिलकर के काम करेंगे।

मैं बताता हूँ, यह काम आसान है साथियों। हमें मिजाज बदलने की आवश्यकता है। हमें जन-मन को जोड़ने की आवश्यकता है। और सांसद महोदय भी, यूं Political Activity करते होंगे, लेकिन उस गांव में जब जाएंगे, तो No Political Activity। पारिवारिक संबंध, पूरा परिवार जाए, बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे। आप देखिए, चेतना आएगी, गांव जुड़ जाएगा। समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

हमारे यहां सरकार की योजना से मध्याह्न भोजन चलता है। अच्छी बात है, चलाना भी चाहिए। लेकिन गांव में भी 80-100 परिवार ऐसे होते हैं जो अपना जन्मदिन, अपने पिताजी की पुण्यतिथि, कुछ-न-कुछ मनाते हैं। अगर थोड़ा उनसे संपर्क कर कहा जाए कि आप भले मनाते हो, लेकिन आपको जीवन का अच्छा प्रसंग हो तो आप परिवार के साथ स्कूल में आइए। घर से कुछ मिठाई-विठाई लेकर के आइए। और बच्चे जब मध्याह्न भोजन करते हैं, आप भी उनके साथ बैठिए, आप भी अपना कुछ साथ बांटिए। मुझे बताइए, Social Harmony का कितना बढ़िया Movement चल सकता है। At the same time, मध्याह्न भोजन की Quality में change लाने के लिए यह Input काम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कोई बहुत बड़े circular की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। ये तिथि भोजन का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं?

गांवों में सरकार की योजना है, गोबर गैस के प्लांट लगाने की। होता क्या है, हम सबको मालूम है। कोई बेचारा एक-आध व्यक्ति लगा देता है, पैसे हैं, सरकारी पैसा लाने की ताकत है, लगा देता है, लेकिन गोबर नहीं मिलता है। फिर साल, दो साल में वो स्मारक बन जाता है। अब ये स्मारक बनाना, कितना बनाते रहोगे आप? लेकिन अगर मान लीजिए, गांव की ही गोबर बैंक बना दी जाए। एक जगह पर, गांव में जितना गोबर हो, जिस तरह बैंक रुपया जमा करते है, गोबर बैंक में गोबर जमा करा दें, उसका एक common Gas Plant बने। पूरे गांव में Gas supply हो, धुएं से चूल्हे में काम करते-करते हमारी माताएं-बहनें परेशानी झेलती हैं, बिना खर्च में संभावना है कि नहीं है? पूरी संभावना में देख रहा हूं। और जो गोबर जमा करे, जब खेती का मौसम आए तो उतना ही गोबर उसे वापस दे दिया जाए Fertilizer के रूप में। गांव की गंदगी जाएगी। Fertilizer मिल जाएगा। Gas मिल जाएगा। और पूरा गांव साफ-सुथरा होने के कारण जो Health Parameter में सुधार आयेगा, वह Extra Benefit है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कि हम खुद Interest लेकर के गांव में एक माहौल बनाएं।

मैं कभी सोचता हूं, कि गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा माहौल हम बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा जी। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है। उसको एक उत्सव के रूप में गांव वाले क्यों न मनाएं? उस गांव के लोग पढ़े-लिखे जितने शहरों में गए हैं उस दिन खास गांव में क्यों न आएं? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे, "यार अपने गांव में ये नहीं है, चलो मिलकर के ये कर दें। ये गांव में ये कर दें, ये कर दें।" ये जब तक हमारा मिजाज नहीं बने... और मैं मानता हूँ, आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थीं, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिये ये "एक" प्रयोग है। यही एक Ultimate है, ये अगर मैं सोचूंगा, तो मैं मनुष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूँ, ये अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है। हर सोच पूर्णतया की ओर आगे बढ़ती है। इसलिए मैं उस तत्व में विश्वास करता हूं कि कुछ भी Ultimate नहीं है। जो जब तक हुआ, अच्छा है। जो आज हो रहा है, एक कदम आगे है। आगे कोई और आएगा और अच्छा करेगा। अगर हम इसी को पूर्ण विराम मानेंगे तो काम नहीं चलता। लेकिन

मैं कभी सोचता हूं, कि गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा माहौल हम बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा जी। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है। उसको एक उत्सव के रूप में गांव वाले क्यों न मनाएं? उस गांव के लोग पढ़े-लिखे जितने शहरों में गए हैं उस दिन खास गांव में क्यों न आएं? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे, "यार अपने गांव में ये नहीं है, चलो मिलकर के ये कर दें। ये गांव में ये कर दें, ये कर दें।" ये जब तक हमारा मिजाज नहीं बने... और मैं मानता हूँ, आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थीं, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिये ये "एक" प्रयोग है। यही एक Ultimate है

कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि एक... वहां की Requirement के अनुसार, लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करे। प्रेरित करके करवाएं। मैं विश्वास से कहता हूं, 2016 के बाद जिस सांसद ने काम किया होगा वो अपने रिश्तेदारों के लिए हमेशा उस गांव को तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनाएगा। रिश्तेदारों को कहेगा कि चलो-चलो मैंने जो गांव बनाया है, देखने के लिए आइए। ये जो Satisfaction level है ना, वो किसी भी व्यक्ति को जीवन में समाधान देता है।

जयप्रकाश नारायण जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। मैं समझता हूं, आज के युग में ये बहुत ही हम लोगों के लिये प्रेरक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का स्वाभाविक स्वभाव है, राजनीति का होना। ये आवश्यक है। लेकिन गंदी राजनीति के कारण हम परेशान हैं। गंदी राजनीति के कारण बदनामी हुई। पूरे राजनीतिक क्षेत्र की बदनामी हुई है। मुद्दा ये पार्टी, वो पार्टी नहीं है। एक विश्वास के माहौल को चोट पहुंची है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने एक अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति से मुक्ति, ये मार्ग नहीं है। मार्ग ये है, गंदी राजनीति की जगह उदार और अच्छी राजनीति इतनी तेजी से आए कि उसकी जगह ले ले।

मैं मानता हूं, सांसद आदर्श ग्राम योजना एक रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोल रही है।

उस गांव में हमें वोट मिले या न मिले, उस गांव की कोई बिरादरी हमारा सहयोग करे या न करे, मेरी उस गांव के किसी नेता के साथ पटती हो या न पटती हो, इन सबसे परे होकर के, एक गांव के लिए.. एक गांव के लिए ये सारे बंधन, सब गांव के बाहर छोड़कर आ जाऊंगा। यहां तो गांव एक Community है, वो एक सामूहिक समाज है, एक रस समाज है, एकत्व की अनुभूति से काम करने वाला है और सपनों को पूर्ति करने के लिए मैं एक catalytic agent के रूप में, मैं एक Facilitator के रूप में, मैं उनका साथी बनकर के काम कर सकता हूं क्या।

जब 2016 में, इस अनुभव के आधार पर, जब संसद में चर्चा होगी.. मैं जानता हूं कि इस अनुभव के बाद जो सांसद Parliament में बोलेगा, अनुभव के आधार पर बोलेगा - कितनी भी असंवेदनशील सरकार होगी उसको भी उस सांसद के अनुभव को मानना पड़ेगा। कितनी भी बहुमत वाली सरकार क्यों न हो, उसको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। सांसद की बात का महात्म्य बढ़ जाने वाला है।

कोई सरकार नकार नहीं पाएगी.. कि भई तुम तो फलानी पार्टी के हो, ठीक है आलोचना कर दो। नहीं होने वाला है.. क्योंकि वो कर रहा है, मैं उस गांव में गया था, मैं काम कर रहा हूं, मेरे गांव में ये दिक्कत आ रही है, आपकी सरकार की नीतियां गलत हैं, आपकी योजनाएं गलत हैं, आपको अफसरों को समझ नहीं है... वो बोलेगा!

उस बोलने में वजन होगा, जो ताकत होगी वो सरकार की नीतियां बदलने के लिये कारण बन जाएगी और ये देश को... Bottom-to-top वाला जो रास्ता है न, वो उसी से चुना जाने वाला है। Academic world में Bottom to top, Top to bottom चर्चा होती रहेगी। हम कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं Supply-Driven नहीं, Demand-Driven हम विकास को ले जा सकते हैं। सरकार के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा विकास का रास्ता चुन सकते हैं क्या? सरकारी सहायताओं के साथ-साथ जन-भागीदारी के महत्व को बढ़ा सकते हैं क्या?

हम अभी एक आंध्र के गांव को देख रहे थे। इतने छोटे से गांव में उन्होंने 28 कमिटियां

बनाई हैं। सारी कमिटियां functional हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मालाएं पहनने के लिए। सारी कमिटियां Functional हैं और उन्होंने इन काम को करके दिखाया है। अगर हम ये प्रेरणा दें। और अगर आज सांसद के द्वारा, कल MLA के द्वारा, अगर हर वर्ष हम सात-आठ हजार गांवों को आगे बढ़ाते हैं, देखते-ही-देखते ऐसा Viral effect होगा कि हम पूरे ग्रामीण परिसर के विकास के Model को बदल कर रख देंगे।

हम यह समझ कर चलें कि गांव के व्यक्ति के aspirations भी शहर के लोगों से कम नहीं हैं। वह दुनिया देख रहा है। वह अपनी Quality of life में बदलाव चाहता है। उसको भी बच्चों के लिये अच्छी शिक्षा चाहिए। उसको भी अगर long distance education मिलता है, तो उसको चाहिए।

अब हम मानो, कहते हैं कि भाई, Drip irrigation। पानी का संकट है दुनिया में कौन इंकार करता है? हर कोई कहता है, पानी का संकट है। क्या मैं जिस आदर्श ग्राम को चुनूंगा, वहां पर जितने किसान होंगे, वहां का एक भी खेत ऐसा नहीं होगा, जहां पर मैं drip irrigation न लगवाऊं। सरकार की जितनी स्कीमें होंगी, वो लाऊंगा। बैंक वालों से बोल कर उनको Loan दिलवा दूंगा। लेकिन Drip irrigaion करके मैं उनके Product को बढ़ावा दे सकता हूं क्या? गांव की Economy बदल जाएगी। वहां भी पशुपालन होगा। Milk productivity बढ़े, पशु की स्थिति में सुधार आए, उसका scientific development हो- मैं अफसरों को लाऊंगा, समझाऊंगा, मैं खुद उनको समझाऊंगा। मैं बदलाव ला सकता हूँ।

मित्रों, मैं मानता हूं ग्रामीण परिसर के जीवन को बदला जा सकता है। जो लोग शहर से MP चुनकर आए हैं - एक भी गांव नहीं है। मेरी उनसे प्रार्थना है, आप अपने शहरी क्षेत्र के नजदीक का कोई गांव है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप जिम्मा लीजिए। आप उसपे काम कीजिए। जो राज्यसभा के मित्र हैं, वे उस राज्य के अंदर, जहां से वे चुनकर आए हैं, जो भी उनको मनमर्जी पड़े गांव select कर लें, जो Nominated MPs हैं, वे हिन्दुस्तान में जहां उन्हें ठीक लगे, कोई गांव पसंद करें। एक गांव को करें। लेकिन हम सब मिलके एक रचनात्मक राजनीति का द्वार खोलने का काम करेंगे और राजनीतिक छुआछूत से परे हो के काम करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का, महात्मा गांधी का, राम मनोहर लोहिया जी का, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का। ये ऐसी पिछली शताब्दी की विचारधारा का प्रतीक है, जिनकी छाया किसी न किसी राजनीतिक जीवन पर आज भी है। सबकी सब पर नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी की किसी पर है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम इस काम को आगे बढ़ायें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है।

मैंने 15 अगस्त को कहा था कि 11 अक्टूबर, जयप्रकाश जी के जन्म दिन पर इसकी guidelines पेश करेंगे। कुछ मित्रों ने मुझे उसी शाम को Email करके, कि मैंने एक गांव Select किया है, ऐसा मुझे बताया था। और वे भाजपा के ही लोग थे, ऐसा नहीं है। भाजपा के सिवा MP ने भी, कांग्रेस के MPs ने भी मुझे लिखकर के दिया है। तभी मुझे लगा था कि बात में दम है। राजनीति से परे होकर के सबको इसको गले लगा रहे हैं।

लेकिन बहुत सारे... जैसे मुझे, मुझे भी अभी गांव तय करना, मेरे इलाके में अभी बाकी है। क्योंकि मैं भी चाहता था कि Guidelines तय होने के बाद मैं, मेरे बनारस के लोगों से मिलकर के, बैठकर के, वहां के अफसरों से भी मिलकर के, बैठकर के एकाध गांव Select करूंगा। आने वाले 15-20 दिन में मैं जरूर कर लूंगा। लेकिन हम मिलकर के अपने यहां विश्वास जताएं कि हम करेंगे और उनको विश्वास भेजिए, कि आप MP रहेंगे तो आगे भी और गांव होंगे। एक model बन रहा है। और फिर और गांववालों को उस model को दिखाने के लिये लाने का प्रबंध करोगे तो अपने आप में बदलाव आ जाएगा। लेकिन हम अपने प्रयत्नों से ग्राम विकास.. यह मूल मुद्दा है। अपने प्रयत्नों से, अपने हुक्म से नहीं। चिट्ठी लिख दी ये बात छूटी, ये ऐसा नहीं है। ये काम, मैं एक MP के नाते सवाल पूछ लूं पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। हम मिलकर के एक गांव करेंगे।

मैं समझता हूं भारत मां की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम आजमा रहे हैं। मैं सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़े उमंग के साथ सभी दल के महानुभावों ने इसको स्वीकार किया है, स्वागत किया है और सबके मार्गदर्शन में .... यह कोई योजना Ultimate नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे। बहुत सुधार आएंगे, बहुत Practical बातें आएंगी। लेकिन ये रुपए-पैसों वाली योजना नहीं है। यह योजना People-Driven है, People's Participation से होने वाली है और सांसद मार्गदर्शन में होने वाली है। उसको आगे बढ़ायें, इसी अपेक्षा के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों का सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिये चयन

क्र.	सांसद के नाम	जिला	जनपद	पंचायत
1.	श्री मनोहर ऊंटवाल (लोक सभा)	आगर-मालवा	बाड़ोद	सुदवास
2.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (लोक सभा)	अशोकनगर	मुंगावली	कस्बारेंज
3.	श्री सुभाष पटेल (लोक सभा)	बड़वानी	राजपुर	खजूरी
4.	श्रीमती ज्योति धुर्वे (लोक सभा)	बैतूल	भैंसदेही	चीकली
5.	डॉ. भागीरथ प्रसाद (लोक सभा)	भिण्ड	मेहगांव	सोनी
6.	श्री आलोक संजर (लोक सभा)	भोपाल	बैरसिया	कुल्होर
7.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल (लोक सभा)	दमोह	दमोह	बांदकपुर
8.	श्रीमती सुषमा स्वराज (लोक सभा)	देवास	खातेगांव	आजनस
9.	श्रीमती सावित्री ठाकुर (लोक सभा)	धार	धरमपुरी	बिखरोन
10.	श्री नन्द कुमार सिंह चौहान (लोक सभा)	पूर्वी निमाड़	पंधाना	आरुद
11.	श्री उदय प्रताप सिंह (लोक सभा)	होशंगाबाद	बाबई	सांगाखेड़ा कलां
12.	श्रीमती सुमित्रा महाजन (ताई) (लोक सभा)	इन्दौर	सांवेर	पोतलोद
13.	श्री राकेश सिंह (लोक सभा)	जबलपुर	शाहपुरा	कोहला
14.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (लोक सभा)	मंडला	निवास	कापा
15.	श्री सुधीर गुप्ता (लोक सभा)	मन्दसौर	मल्हारगढ़	बालागुरा
16.	श्री अनूप मिश्रा (लोक सभा)	मुरैना	मुरैना	पधावली
17.	श्री नागेन्द्र सिंह (लोक सभा)	पन्ना	अमानगंज	महेबा
18.	श्री रोडमल नागर (लोक सभा)	राजगढ़	सारंगपुर	सनदावता
19.	श्री दिलीप सिंह भूरिया (लोक सभा)	रतलाम	रावती	राओती
20.	श्री जनार्दन मिश्रा (लोक सभा)	रीवा	सेमरिया	हरदुआ
21.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव (लोक सभा)	सागर	सागर	बरोदा सागर (पी)
22.	श्री गनेश सिंह (लोक सभा)	सतना	कोतार	अबेर
23.	श्री बोध सिंह भगत (लोक सभा)	सिवनी	सिवनी	गोपालगंज
24.	श्री दलपत सिंह परस्ते (लोक सभा)	शहडोल	सोहागपुर	केलमानिया
25.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (लोक सभा)	शिवपुरी	करैरा	सिरसोद
26.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार (लोक सभा)	टीकमगढ़	मोहनगढ़	गोर
27.	श्री चिंतामणि मालवीय (लोक सभा)	उज्जैन	घट्टिया	बिच्छादोद कल्सा
28.	श्री मेघराज जैन (राज्य सभा)	आगर-मालवा	सुसनेर	छापरिया
29.	डॉ. नज्मा ए. हेपतुल्ला (राज्य सभा)	भोपाल	हुजूर	फंदाकलां
30.	श्री थावर चंद गेहलोत (राज्य सभा)	रतलाम	आलोट	बरखेड़ीकला
31.	श्री अनिल माधव दवे (राज्य सभा)	सीहोर	बुदनी	जहानपुर
32.	डॉ. सत्यनारायण जटिया (राज्य सभा)	उज्जैन	तराना	नान्देड़
33.	श्री कमलनाथ (लोक सभा)	छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	बिसापुरकलां
34.	श्रीमती रीति पाठक (लोक सभा)	सीधी	गोपदबनास	करवाही
35.	श्री प्रभात झा (राज्य सभा)	झाबुआ	थांदला	सरदारपुर
36.	श्री प्रकाश जावड़ेकर (राज्य सभा)	सतना	मझगवां	पालदेव

ग्राम आदर्श तो देश आदर्श

एक समय था जब भारत की साख पूरी दुनिया में थी उसे सोने की चिड़िया और विश्व गुरू होने का खिताब हासिल था। इसलिए नहीं कि भारत में कोई सोने की खदानें या फैक्ट्रियां थीं। बल्कि इसलिए कि भारत शिल्प और उत्पादन का केन्द्र था। भारतीय उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में थी। इसके बदले सोना भारत आता था इसलिए सोने की इफरात थी। ढाई हजार साल पहले विश्वविद्यालय केवल भारत में हुआ करते थे इसलिए भारत विश्व गुरु था। यह दोनों विशेषताएं केवल इसलिए थीं कि भारत के गाँव आदर्श थे, आत्म निर्भर थे। वे कृषि, शिल्प और औद्योगिक उत्पाद ही नहीं व्यापार का भी केन्द्र थे। गांव नगरों के नहीं अपितु नगर गांव के अधीन थे। राजस्व के लिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ही नहीं अपितु शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये भी नगरवासी गांवों पर आश्रित थे। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें विद्यालय न हो, ऐसा कोई गांव नहीं जहां चिकित्सा केन्द्र नहीं हो। फल, औषधि, मसालों और मेवे के बगीचे गांव और वनों के बीच में हुआ करते थे।

ऐसे थे भारत के आदर्श और आत्मनिर्भर गांव। जो लगातार आक्रमणों और आक्रमणकारी सत्ताओं द्वारा अपनी जड़ें जमाने के लिए उजाड़े गए। ऐसा प्रत्येक सत्ता ने किया और सैकड़ों सालों तक हुआ इसका परिणाम आज के अभावों, असुविधाओं, अशिक्षा और अव्यवस्थाओं से भरे गांव का स्वरूप उभरा। शिक्षित, सुव्यवस्थित और सुरक्षित मनुष्य ही सभ्य बनता है मनुष्य का सभ्य होना समाज और राष्ट्र की सभ्यता की

पहचान होती है। इसके बिना कोई भी राष्ट्र संसार में सम्मान की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह बात स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संतों, दार्शनिकों और विचारकों के सामने स्पष्ट हो गई थी। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने बाकायदा गांवों को शिक्षित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज्य' में ऐसे विकसित और आत्मनिर्भर गांवों की कल्पना की है जिन्हें अपनी जरूरत के लिए नगरों की बात तो दूर पड़ौस के गांव तक न जाना पड़े।

दो अगस्त 1942 को हरिजन सेवक में प्रकाशित उनके लेख में 'आदर्श ग्राम' की कल्पना का पूरा विवरण है। एक ऐसा गांव जहां सफाई हो, शिक्षा के आखिरी दर्जे तक के प्रबंध हों, पीने के साफ पानी का प्रबंध हो। ऐसा प्रबंध जो गांव में आत्मनिर्भर हो, स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध हो। खेती अनाज के साथ फल सब्जी और कपास की भी हो ताकि गांव की जरूरत का कपड़ा गांव में बन सके। यदि जरूरत के लिए पड़ोस, के गांव में संपर्क करना भी पड़े तो शोषण या मुनाफे के लिए नहीं बल्कि परस्पर जरूरत के आधार पर हो।

आत्मनिर्भर और आदर्श ग्राम की दूसरी विस्तृत कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन में मिलती है। वर्ष 1965 में मुम्बई कौशल प्रस्तुत उनकी कल्पना में गांव की कृषि, कृषि आधारित उद्योग, व्यक्ति के कौशल के आधार पर शिल्प सब गांवों में हो ताकि नगरवासी या नगरों की सत्ता के अधिकार में डूबे लोग गांवों का शोषण न कर सकें। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद की सत्ताओं ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। समय-समय पर योजनाएं भी बनी हैं और उन्हें लागू भी किया गया है लेकिन उन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासन तंत्र ने किया। जिनमें योजना के प्रगति के आंकड़ों की चिन्ता अधिक एवं ग्रामों की आदर्शता और आत्मनिर्भरता की ओर कम ध्यान था। अब पहली बार केन्द्र सरकार ने योजना या उसके क्रियान्वयन के आंकड़ों पर नहीं बल्कि गांवों को आदर्श बनाने पर जोर दिया है। और प्रयोग के तौर पर सांसदों और विधायकों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे अपने क्षेत्र में

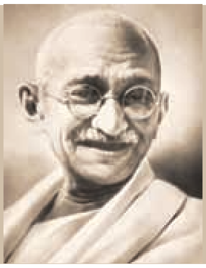

> प्रत्येक देशभक्त के समक्ष यह चुनौती होगी कि भारत के गाँवों का ऐसा पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति उनमें भी उतनी ही आसानी से रह सके, जैसे कि शहरों में रहा जाता है।
>
> **- महात्मा गांधी**

सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य

- लोगों की भागीदारी को अपने ध्येय के रूप में अपनाना-ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी पहलुओं खासकर शासन से संबंधित निर्णयों में, समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- अंत्योदय के सिद्धान्त के अनुसार - गांव में 'सबसे निर्धन और कमजोर व्यक्तियों' को सक्षम बनाना ताकि वे अपना विकास कर सकें।
- महिला पुरुष समानता की पुष्टि करना और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
- श्रम की गरिमा और सामुदायिक सेवा एवं स्वैच्छिक सेवा की भावना मन में बैठाना।
- साफ-सफाई की आदत को बढ़ावा देना।
- प्रकृति की सुरक्षा करते हुए विकास और पर्यावरण में संतुलन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना और इसे प्रोत्साहन देना।
- पारस्परिक सहयोग, स्व-सहायता और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करना।
- ग्रामीण समुदाय में शांति और सौहार्द्र को बनाए रखना।
- सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बढ़ाना।

कम से कम एक-एक ग्राम को अवश्य चुनें। और उन्हें आदर्श बनाने का काम स्वयं सांसद या विधायक करें। इस योजना के कल्पनाकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की और इसे पूरा करने के लिए सांसद-विधायकों से आह्वान किया। योजना की विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक कार्य समय-सीमा के अंतर्गत है। गांव के चयन से लेकर प्रगति की समीक्षा और पूर्णता के परिणाम तक की समय-सीमा निर्धारित है। मध्यप्रदेश में यह योजना 9 दिसम्बर से लागू हुई। इसका अर्थ हुआ इसके एक माह के भीतर गांवों का चयन, दो माह में जागरूकता की वृद्धि, तीन माह में माहौल तैयार करना, और सामाजिक एकजुटता एवं वातावरण बनाना एवं प्रथम चरण के कार्यकलापों का आरंभ करना, तथा पांच माह में प्रथम चरण में आरंभ किए गए कामों की समीक्षा करना, सात माह में वी.डी.पी. की तैयारी एवं आठ माह में अनुमोदन तथा स्वीकृतियां। कार्यकलापों का आरंभ नौ माह में और ग्राम सभा एवं जिला स्तर प्रगति की समीक्षा एक वर्ष में की जायेगी। योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 तक प्रत्येक सांसद को कम से कम तीन ग्रामों को आदर्श बनाना है और लक्ष्य है कि वर्ष 2016 तक एक ग्राम को आदर्श बना दिया जाए।

ग्यारह अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की घोषणा की और स्पष्ट किया कि यह सांसद आदर्श ग्राम योजना तमाम योजनाओं से अलग है। इसका उद्देश्य कोई आधारभूत अधोसंरचना तैयार करना नहीं है। और न ही इसकी प्रगति की समीक्षा बजट को ध्यान में रखकर की जायेगी। बल्कि इसका उद्देश्य ग्राम का सर्वांगीण विकास करना है। विकास का ऐसा अभियान चलाना है जिससे गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के जीवन-स्तर में सुधार हो और उसकी प्रतिभा के विकास में, सहायता

देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाएं, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएं। देखते ही देखते हिन्दुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख-सुविधा में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है और इसलिए इस 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आदर्श गांव की परिकल्पना को हम शीघ्र साकार करें और ऐसे आदर्श गांव से प्रेरणा लेकर देश के बाकी गांव भी विकास के रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ सकें। जब हमारे गांव विकसित होंगे तभी हमारा देश सही मायने में विकसित हो सकेगा।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें अब पूरी तरह सशक्त होकर अपने अधिकारों का सही तरह से प्रयोग करें तथा अपने-अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने में जुट जाएं। इस कार्य में सरकार हर कदम पर साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी ग्रामीणजन मिलकर प्रदेश के विकास को एक नयी दिशा देने में सफल होंगे।

- गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय विभाग

मिल सके। उसकी गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना है। योजना को कुछ इस प्रकार संचालित किया जाए कि समग्र विकास की प्रक्रिया में तेजी आए। स्थानीय स्तर पर विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिससे आसपास के गांव प्रेरणा ले सकें और एक ऐसा स्वरूप उभरे कि वहां अन्य ग्रामों के विकास का प्रशिक्षण भी लिया जा सके।

योजना का आधार महात्मा गांधी की वह कल्पना है जिसमें व्यक्ति की प्रधानता थी। व्यक्ति की प्रज्ञा, क्षमता, गुणवत्ता तथा विशेषता को विकसित होने का पूर्ण अवसर देकर समाज का उत्थान, ग्राम का उत्थान करना है। जो भारत की विशेषता रही है जिसके आधार पर आत्मनिर्भर गांव रहे। भारत का पूरी दुनिया में विशिष्ठतम स्थान रहा। योजना का केन्द्र व्यक्तिगत विकास है। कुल आठ स्तरीय योजना में मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण का विकास, को प्राथमिकता दी गई है। व्यक्ति के मानवीय विकास में उसे शिक्षित, स्वस्थ, व्यसनों से मुक्त बनाना, तथा सामाजिक विकास में सफाई के प्रति जागरूक बनाकर पर्यावरण का पोषक और संरक्षक बनाना, अर्थात् एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें उसके सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य का मानक, रोजगार के अवसर अथवा उस व्यक्ति की विशेष गुणवत्ता के अनुरूप कार्य का अवसर देना है। रोजगार के अवसर का अर्थ नौकरी देना नहीं है और न सरकार की किसी योजना के माध्यम से रोजगार देना है बल्कि गांव की प्रकृति और व्यक्ति के भीतर मौजूद सृजनात्मक गुणों को विकसित करके रोजगार का सृजन करना है। समाज का केन्द्र व्यक्ति होता है। व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समाज। यदि व्यक्ति में शैक्षणिक, आर्थिक और मानवीय गुणों का उन्नयन हुआ तो समाज एवं ग्राम उन्नति को प्राप्त करेगा। लेकिन यह सब पर्यावरण से संतुलन बिठाकर। पर्यावरण के विकास या उसकी सुरक्षा के लिए पहली शर्त सफाई है। सफाई घर की, गलियों की, नालियों की, बाहर की और सड़क की। आदर्श ग्राम योजना में ग्रामवासियों को जागरूकता एवं दायित्व दोनों के बोध से विकसित करना है ताकि वे अपने परिसर और परिवेश दोनों को स्वच्छ रखें।

यह सब काम ग्राम के स्तर पर होगा। ग्रामीणजनों के विवेक, सक्रियता और जागरूकता के आधार पर होगा। योजना का कोआर्डिनेशन सांसद द्वारा किया जायेगा तथा सांसद प्रतिनिधि प्रतिदिन काम की निगरानी करेंगे। योजना के लिये यदि स्थानीय स्तर पर फंड की आवश्यकता होगी तो सांसद निधि से दी जायेगी। प्रशासन की ओर से इन ग्रामों को आदर्श बनाने के लिए केवल तीन काम होंगे। एक बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध एवं सुशासन का एक आदर्श वातावरण बनाना। प्रशासनिक स्तर के इन तीन सूत्रों को मिलाकर योजना कुल आठ सूत्रीय होगी। योजना का आरंभ यदि व्यक्ति के विकास से होगा तो इसकी पूर्णता सुशासन से होगी।

क्रियान्वयन का कीर्तिमान मध्यप्रदेश में - मध्यप्रदेश देश के उन अग्रणी प्रांतों में है जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में तेजी दिखाकर रिकार्ड बनाया है। मध्यप्रदेश से संबंधित 36 सांसदों ने अपने क्षेत्र में ग्रामों का चयन करके कार्य का आरंभ कर दिया। योजना का संयोजन मध्यप्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कर रहा है। मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना के नोडल अधिकारी तथा आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने इस योजना के क्रियान्वयन में त्वरित भूमिका निभायी है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने योजना पर अधिकारियों

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हमारे देश-प्रदेश के गांवों की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया है। संसद सदस्यगण के मार्गदर्शन में अब प्रदेश के गांव बुनियादी सुविधाओं के साथ आर्थिक. सामाजिक और शिक्षा के विकास की दिशा में नये कदम बढ़ायेंगे।

- डॉ. अरुणा शर्मा
अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से देश के गांवों को आदर्श बनाने का जो संकल्प लिया है उसके क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश में अब तक 36 सांसदों ने अपने क्षेत्रों के ग्रामों का चयन कर कार्य भी आरंभ कर दिया है। संपूर्ण कार्य योजना तैयार है। उम्मीद है तय समय सीमा में माननीय प्रधानमंत्री जी का आदर्श ग्राम से आदर्श भारत बनाने का स्वप्न पूरा हो जायेगा।

- रघुवीर श्रीवास्तव
आयुक्त पंचायतराज तथा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश सांसद आदर्श ग्राम योजना

तथा विकास के अधोसंरचना की समीक्षा कर उम्मीद जताई है कि इस योजना के पहले चरण में ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक ग्राम ऐसा जरूर होगा जो आदर्श बनेगा तथा आसपास के क्षेत्रों में आकर्षण और अनुकरण का केन्द्र होगा।

योजना में मध्यप्रदेश इसलिए भी अग्रणी होने का गौरव प्राप्त कर सका है कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम अधोसंरचना के विकास, पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीणजनों की आय के स्त्रोतों की वृद्धि करना, स्वच्छता के लिए जनसहभागिता के दायित्व का आभास कराने का काम आरंभ कर दिया था और यही चार महत्वपूर्ण पहलू इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के हैं।

अधोसंरचना के विकास के लिए ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा कर चुके हैं जिससे सुदूर क्षेत्रों तक सड़क का निर्माण हो और अब इसी कड़ी में खेत सड़क योजना शुरू की गई है। गांवों की आंतरिक सफाई के लिए ही गांव की गलियां नाली सहित सीमेन्ट कांक्रीट की बनाने का अभियान चल रहा है। इसके तहत अब तक 9580 किलोमीटर लंबी गलियों का निर्माण हो चुका है। जबकि 2015-16 तक सात हजार किलोमीटर गलियों का और निर्माण होना है।

गांवों में सुसंस्कृतता और स्वच्छता का वातावरण बनाने के लिए ही हर परिवार को शौचालय पक्का मकान बनाकर देने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री आवास मिशन, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत ही आवास में शौचालय बनाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि इस योजना के अंतर्गत पांच लाख मकान बनाना प्रदेश की जरूरत है लेकिन अभी तीन लाख मकान बनाकर दिये जाने का लक्ष्य बनाया गया है।

व्यक्ति की बुनियादी जरूरत पानी है। मध्यप्रदेश के गांवों में पानी का अभाव रहा है। मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है कि हर गांव में ही पानी नहीं बल्कि हर घर में पीने के पानी का स्त्रोत है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के माध्यम से घर-घर पानी देने के लिए पाइप लाइन बिछाई जा रही है अब तक मजरे-टोलों को मिलाकर 12136 गांवों में प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब इस कार्य को 'पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप' के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गांवों में आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गांवों के मुख्य चौराहों पर स्ट्रीट लाइन की व्यवस्था, पंचायत भवनों का निर्माण, तथा कुरीतियों के निवारण के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही है। इस योजना में अब तक लगभग तीन लाख विवाह हो चुके हैं इसमें लगभग साढ़े चार हजार निकाह शामिल हैं।

ग्रामीण अंचलों में हर पांच किलोमीटर के दायरे में अब अल्ट्रा स्माल बैंक की सुविधा का ढांचा तैयार कर लिया गया है। इस सुविधा से प्रदेश में लगभग 13.74 लाख हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन, 4.50 लाख विधवाओं को राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1.10 लाख को निशक्त हितग्राही पेंशन, और 8.66 लाख हितग्राहियों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन सीधे खातों में जा रही है। तो आमदनी का स्त्रोत बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन से रोजगार, कृषि आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामों में एक आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज निर्माण का अभियान चला रखा है। जो अब सांसद आदर्श ग्राम एवं विधायक आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किए गए गांवों में अतिरिक्त रूप में दिखाई देगा। यह राज्य सरकार की नीतियों, निर्णयों और संकल्पों का परिणाम है कि ग्रामों और ग्रामीण जनों की आर्थिक संपन्नता का आधार कृषि की उपज में रिकार्ड बनाया है और लगातार तीन वर्षों तक कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है।

अब उम्मीद की जा रही है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत भी प्रदेश देश में अपना अग्रिम स्थान बना लेगा चूंकि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के चिंतन और क्रियान्वयन से अधोसंरचना विकास में प्रदेश ने एक कीर्तिमान बना लिया है। और यही अधोसंरचना सांसद आदर्श ग्राम योजना का आधार बनेगी।

● रमेश शर्मा

जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का सामना करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रयास की कड़ी में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 6-7 सितम्बर, 2014 को भारतीय जीवन दर्शन परम्परा में जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संकट के समाधान के सूत्रों पर विमर्श के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उच्च प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद्, तकनीकी विशेषज्ञ, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठन, जड़स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं तथा किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के सफल आयोजन में कार्ययोजना व क्रियान्वयन की दृष्टि से पर्यावरण नियोजन व समन्वय संगठन (एप्को) व स्वयंसेवी संगठन सिकोईडिकोन तथा पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत है सम्मेलन में माननीय श्री सुरेश सोनी जी का उद्बोधन।

भारतीय जीवन दर्शन के संदर्भ में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन : संकट से समाधान की ओर

भारतीय दर्शन के संदर्भ में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन : संकट से समाधान की ओर विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में उपस्थित म.प्र. के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, शहरी विकास एवं पर्यावरण मंत्री श्री कैलाश जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र जी, मुख्य सचिव श्री डिसा जी एवं सभागार में उपस्थित बहनो और भाइयो!

आज के विषय के बारे में मुझसे पूर्व शिवराजजी ने संक्षेप में सारगर्भित रूप में बहुत सी बातें कही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज गली-मोहल्ले से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक पर्यावरण संकट व जलवायु परिवर्तन गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तव में यह संकट, जिस पर आज पूरी दुनिया में बहस हो रही है, उसके कई आयाम हैं। उसके दार्शनिक आयाम हैं, राजनैतिक आयाम हैं, आर्थिक आयाम हैं और मनोवैज्ञानिक आयाम हैं। जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमारे मन में दो स्वरूप उभरते हैं। पहला, यह बात सही है कि विकास की चाहत मनुष्य में स्वाभाविक है। मैं जहां हूँ उससे आगे बढ़ने की इच्छा रखना सहज व स्वाभाविक है। जब विकास की प्रक्रिया चल रही थी तो विज्ञान और तकनीकी के कारण विकास की गति हमारी कल्पना से भी अधिक तीव्र गति से होने लगी। धरती रहने लायक नहीं रही तो, धरती को छोड़कर आदमी अन्य ग्रहों पर जाने की सोच रहा है और आजकल दूसरे ग्रहों पर जाने की बुकिंग भी होने लगी है। संचार क्रांति ऐसी हुई है कि एक सैकण्ड के अंदर दुनिया में कहीं भी, किसी से भी संपर्क किया जा सकता है। आने वाले समय में यह गति इतनी तीव्र हो रही है कि आज न्यूक्लियर टेक्नोलोजी में, जीन ट्रांसप्लांटेशन में, स्पेस में, संचार में, हर नया आने वाला दिन एक नई खोज सामने लाता है।

लेकिन इस चित्र का दूसरा पहलू भी है, जो हमें एक बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है, जिसके कारण आज हमारे यहां उपस्थित होने की परिस्थिति बनी है। हमें विकास की इस प्रक्रिया में बहुत कुछ प्राप्त हुआ लेकिन हमने क्या कुछ खोया है, उस पर विचार करना जरूरी है। बहुत से लोग जो शोध, अनुसंधान और वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, उनके आँकड़े बताते हैं कि कार्बन डाईऑक्साइड का वायुमण्डल में स्तर पिछले 7.5 लाख वर्ष में इस समय सर्वाधिक है, हर वर्ष 24 बिलियन टन मिट्टी नष्ट हो रही है। विकास की इस यात्रा में लगभग 10 करोड़ एकड़ कृषि भूमि समाप्त हो गई है, 1.5 करोड़ एकड़ के नए मरूस्थल बन गए हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, समुद्र के पानी में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, आपदाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। गणना करने वाले कहते हैं कि आज से 2.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का 6 डिग्री से. तापमान बढ़ा

था तो 95% जीवित प्राणी समाप्त हो गए थे। विकास की ये अंधी दौड़ ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है कि इस सदी या आने वाली सदी तक हम भी इसी स्तर तक पहुंच जाएं और तब शायद जीवन के अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा।

तकनीक से आदमी जुड़ रहा है लेकिन रिश्तों से, भावनाओं से, संवेदनाओं से दूर हो रहा है। इन्टरनेट से मैं एक सैकेण्ड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान कहीं भी बात कर लेता हूँ और अपनी बात पहुँचा देता हूँ, लेकिन अपने पड़ोसी की पहचान भूल गया हूँ। बाहर की दुनिया एक हो रही है लेकिन अंदर की दुनिया की दूरियाँ बढ़ रही हैं और इस कारण से परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि दो प्रकार की धाराएं दिखाई पड़ रही हैं। एक विकास के लिए नई-नई तकनीकों की खोज व उसके उपयोग की प्रक्रिया और दूसरी इस प्रक्रिया से जीवन को जो खतरा उत्पन्न हो गया है, उसकी चिंता करते हुए मार्ग निकालना। जब विभिन्न देशों को इस खतरे के बारे में पता चला तब जलवायु परिवर्तन व इससे जुड़ी समस्याओं पर चिंतन बहस की एक प्रक्रिया चली। विशेष रूप से अमेरिका व यूरोप की ओर से यह विषय चर्चा में आया। इसलिए इस विषय के इतिहास, फिर इसके मूल कारण और भारतीय चिंतन का इसके समाधान हेतु क्या योगदान हो सकता है, फिर व्यवहार में हम किन बातों पर विचार कर सकते हैं। ऐसे तीन-चार बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखूंगा।

यूरोप में दो घटनाएं ऐसी हुईं, जिससे बड़ी बहस यूरोप व अमेरिका में इस विषय पर प्रारंभ हुई। पहली थी - 1962 में अमेरिका में राचेल कार्सन की एक किताब प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था - साइलेन्ट स्प्रिंग, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रकृति का निरीक्षण करते समय पाया गया कि संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग से धीरे-धीरे वायुमण्डल में प्रदूषण बढ़ रहा है, परिणामस्वरूप कुछ चिड़ियाओं की प्रजाति लुप्त हो गई। उस किताब में धीरे-धीरे प्रकृति से लुप्त होते जीवन का बड़ा काव्यमय चित्रण किया गया। कहते हैं कि यह किताब यूरोप व अमेरिका में अनेकों शोध, अनुसंधान के जन्म का कारण बनी और इसीलिए पर्यावरण व प्रदूषण आमजन की चर्चा का विषय बना और तब पृथ्वी के प्रति चिंता होने लगी। 1970 में पहली बार अर्थ डे मनाया गया और राचेल कार्सन का सम्मान भी किया गया।

दूसरी पुस्तक 1972 में आई, जिसका शीर्षक था - The Limits of Growth जिसके लेखक थे - Donella H Meadwos, Dennis L Meadwos, Jorgen Randers और William W. Behrens III. इस पुस्तक में कहा गया कि कारखानों का धुआं, पहाड़ों से निकलता धुआं, प्रदूषण बढ़ाने का कारक है और प्रकृति में जो संसाधन हैं वो मर्यादित हैं, सीमित हैं। इसीलिए इसका शीर्षक - The Limits of Growth रखा गया। जब मर्यादित संसाधन हैं तो आर्थिक विकास अमर्यादित नहीं हो सकता। यदि हम असीमित दिशा की ओर बढ़ेंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। इस पुस्तक में विवेचन किया गया है कि अमर्यादित शहरीकरण से बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या कैसे बढ़ रही है, अकेलापन कैसे बढ़ रहा है, गंदा पानी कैसे बढ़ रहा है आदि आदि। इस पुस्तक का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। कहते हैं कि इस पुस्तक की करीब 3 करोड़ प्रतियों की बिक्री हुई। इसके परिणामस्वरूप विश्व के देशों द्वारा पर्यावरण की समस्या को गंभीरता से लिया गया।

पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ, 1976 में बैंकॉक में हुआ और तब से यह परम्परा चल रही है, लेकिन प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्षों की संख्या, विषय-वस्तु की गंभीरता व परिणाम, तीनों दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन 1992 का रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो सम्मेलन रहा। इस सम्मेलन का विषय था - Equitable

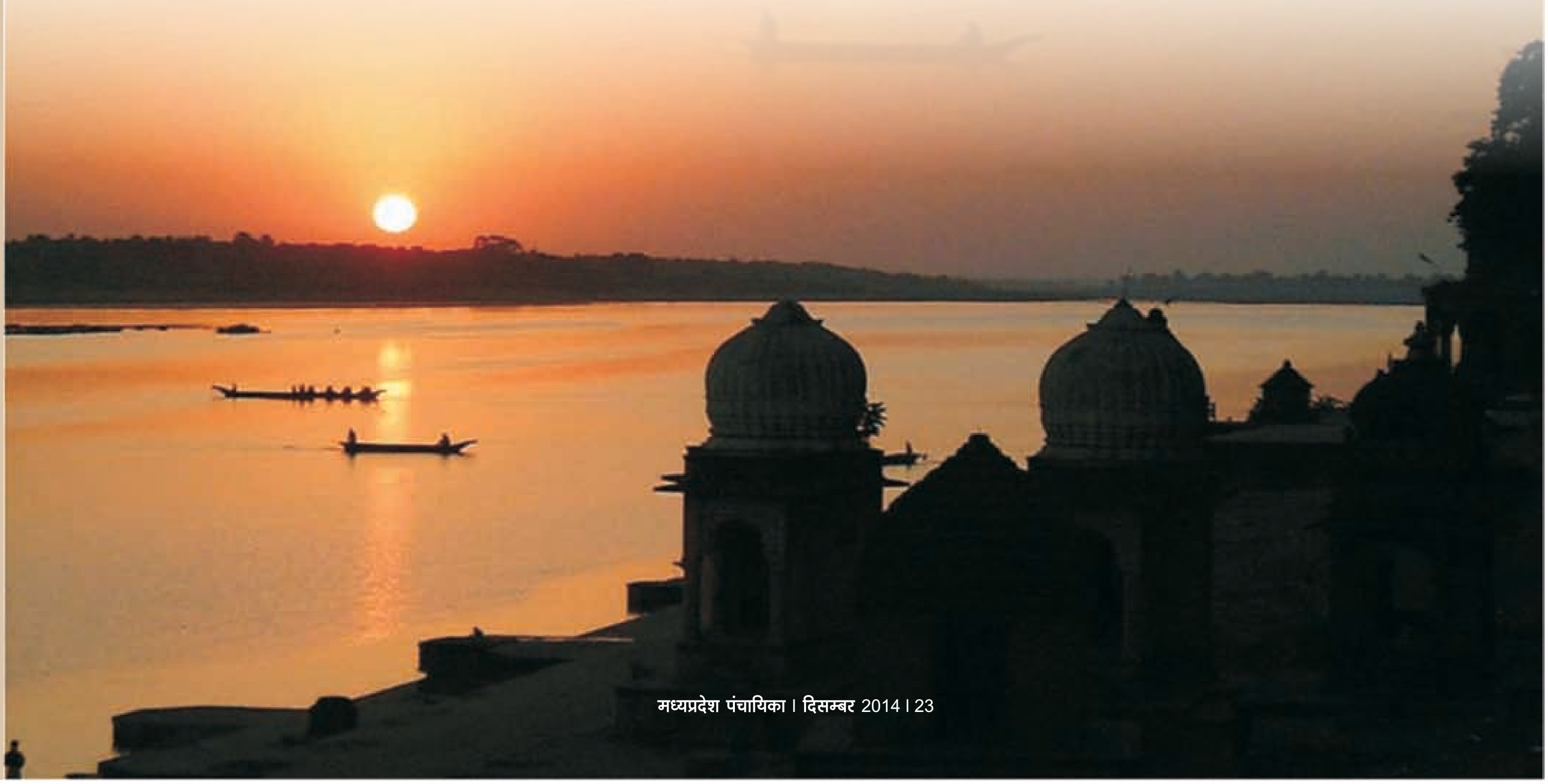

and Sustainable Development विकास हो मगर सभी के लिए समान हो। इसमें महत्व की बात जो सभी देशों ने मिलकर कही वो थी-शांति, समानतायुक्त सुस्थिर विकास और पर्यावरण संरक्षण। ये तीनों बातें एक-दूसरे पर आश्रित और अभेद्य हैं, एक को छोड़कर दूसरा नहीं रह सकता। इसलिए तीनों को ही महत्व देना होगा। इस सम्मेलन में अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग देशों के मध्य संधियां हुई। आगे भी जोहान्सबर्ग व अन्य देशों में बैठकें आयोजित होती रहीं। लेकिन आज समस्या ये है कि अलग-अलग देशों में बैठकें होती हैं, अच्छे भाषण होते हैं, संधियाँ-समझौते होते हैं, मगर जमीन पर दृश्य एकदम विपरीत नजर आ रहा है। इन सारे शुभ संकल्पों का कुल मिलाकर परिणाम जो सामने आ रहा है, उस बारे में 1996 में संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रपट में पाँच शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा गया कि ये विकास जो हो रहा है वह Jobless है, Voiceless है, Merciless है, ये Rootless है और साथ ही Futureless है। विकास होता है, तकनीक बढ़ती है और उससे बेरोजगारी बढ़ती है। साधारण आदमी की आवाज ताकतवर दबा देता है इसलिए Voiceless है। Rootless का मतलब है कि विकास होता है तो विस्थापन होता है, लोग अपनी जड़ों से उजड़ते हैं। जब लोग अपनी जड़ों से उजड़ते हैं तो उनके प्रति कोई संवेदना नहीं होती इसलिए Merciless है। जिस प्रकार से प्रकृति के स्रोतों का शोषण हो रहा है उससे यह ग्रह रहेगा या न रहेगा, ये भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है, इसलिए ये विकास जो आज हो रहा है वह Futureless है।

एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो रियो सम्मेलन में तीन संकल्प लिए गए थे - विश्व शांति का संकल्प, वैश्विक समानता व सुस्थिर विकास का संकल्प और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। तमाम संधियों, समझौतों, उद्घोषणाओं के बाद आज वर्ष 2014 में हम मूल्यांकन करें कि हम कितना आगे बढ़े तो ध्यान आता है कि सपना तो था वैश्विक शांति का मगर विश्व में आतंकवाद लगातार अपने पांव पसार रहा है। अब तो आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने भारत में भी अपने विस्तार की घोषणा कर दी है। सपना तो था समानतायुक्त सुस्थिर विकास का मगर चर्चा होती है वैश्विक मंदी पर। सपना तो था पर्यावरण संरक्षण का मगर सम्मेलन कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती पर। तो जो कह रहे हैं और जो हो रहा है, उसमें काफी दूरियां दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए कुछ आलोचक आज कल संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलनों को "छलावे का उत्सव" कहते हैं, जिसमें घोषणाएं तो बहुत होंगी मगर यथार्थ में होगा कुछ नहीं। इसके अलावा इन सम्मेलनों में जो भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं वो इतनी काल्पनिक और अस्पष्ट होती हैं कि लक्ष्य की ओर दो कदम आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य चार कदम और आगे चला जाता है। इसलिए कहीं तो कुछ मौलिक गड़बड़ है, तभी तो इतना सब करने के बाद भी सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है? जब तक हम इसके मूलभूत कारण पर विचार नहीं करेंगे तब तक स्थितियाँ और जटिल होती जाएंगी। जब हम समस्या के मूल कारण पर विचार करते हैं तो चार आयाम आते हैं। एक दार्शनिक आयाम है, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा है मनोविज्ञान के आधार पर तकनीक व आर्थिक नीतियों का निर्धारण और चौथा है जीवन शैली।

इन सभी समस्याओं पर जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो मुझे ध्यान आता है कि एक जमाने में ब्रिटेन के महान इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयन्बी, जिन्होंने सभ्यता का इतिहास लिखा और जापान में एक सोका-गाकी आंदोलन के प्रमुख डायसाकू इकेदा, के मध्य करीब 4 वर्ष तक संवाद चला। इस संवाद में मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा हुई जैसे मनुष्य क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति व मनुष्य के बीच संबंध क्या है? औद्योगीकरण, उसकी सीमाएं, शहरीकरण, जीवन के नैतिक प्रश्न, संबंधों के प्रश्न आदि आदि। इस संवाद का फलक बहुत व्यापक था। इन दोनों विचारकों के इस संवाद को संकलित करते हुए एक पुस्तक ऑक्सफोर्ड ने प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था Choose Life, आपके हाथ में है कि आप जीवन की कौन-सी शैली अपनाते हैं। इस पुस्तक में लेखक टॉयन्बी दुनिया के अस्तित्व में आने की प्रचलित कहानी बताते हुए कहते हैं कि दुनिया सात दिन में बनी। पहले पाँच दिन में भगवान ने उजाला बनाया, अंधेरा बनाया, समुद्र बनाए, पृथ्वी, जंगल, आकाश बनाए। छठे दिन भगवान ने नर-नारी बनाए। फिर भगवान ने उनसे कहा कि ये सारी दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे सुख के लिए। टॉयन्बी ने कहा कि समस्या की जड़ उसी दिन से प्रारंभ हो गई। जो आदमी इस दुनिया का अंग है, उससे कहा कि सब कुछ तेरे लिए है। तब प्रश्न उठता है कि ये सृष्टि तो हजारों वर्षों से भी अधिक समय से थी तब जलवायु संकट क्यों नहीं खड़ा हुआ? पर्यावरण की समस्या क्यों नहीं उत्पन्न हुई? तब वो कहते हैं कि सृष्टि तो थी मगर हाथ में ताकत नहीं थी। आज विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य के हाथ में वो ताकत दे दी है कि वो मशीनों के सहारे धरती के ऊपर व अंदर और आसपास जो कुछ भी है उसको खींचकर अपने लिए उपयोग कर रहा है। इसलिए प्रकृति का जो बेतहाशा शोषण प्रारंभ हुआ उसका एक मुख्य कारण मनुष्य के हाथ में बिना किसी नियंत्रण के विज्ञान व तकनीक का सिर्फ अपने हित में उपयोग करना है।

दूसरा जो मूलभूत कारण बना वो विज्ञान व तकनीकी के विकास के प्रारंभिक काल के विचार थे जिसमें माना गया कि Matter (पदार्थ) और Mind (बुद्धि) अलग-अलग हैं। पाश्चात्य चिंतक रेने देकार्त ने कहा कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करो, प्रकृति का शोषण कर उसके रहस्य को अपने सुख के लिए निकालो। इसी सोच के साथ प्रकृति के प्रति व्यवहार व उसके अनुरूप

तकनीक विकसित हुई और ऐसी आर्थिक विचारधारा उत्पन्न हुई जो यह मानती है कि यदि मनुष्य को सुखी रखना है तो अधिक से अधिक 'मांग' बढ़ाओ और उसकी पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करो और इसके लिए नई-नई चीजों के उत्पादन के लिए तकनीक को दिनोंदिन बढ़ाते चलो। इन सबके कारण आज विकास के एक विषमचक्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए आज दुनिया में एक वैकल्पिक जीवन दर्शन, वैकल्पिक जीवन शैली की आवश्यकता पर विचार होने लगा है।

Choose Life में टॉयन्बी ने इस विषमचक्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद से ही कुछ शब्द जैसे Eco-psychology, Green Psychology प्रचलित हुए। इसीलिए Eco-technology की बात भी की जाने लगी, जिसका अर्थ है कि पर्यावरण से सुसंगत तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए आज जो पर्यावरण का संकट खड़ा हुआ है, यदि उससे बाहर निकलना है तो किसी एक आयाम या दृष्टि से सोचने से काम नहीं चलेगा। अमीर देशों की दृष्टि है कि किसी भी सूरत में आगे बढ़ते चलो और इस आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में वे देश प्रदूषण बढ़ाते जाएंगे। गरीब देश आगे बढ़ने की ओर उठने का प्रयास करते हैं तो अमीर देश कहते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो...क्यों? वो कहते हैं कि तुम पुण्य करो जिससे हम और पाप कर सकें और इसके लिए हम तुम्हें पैसा देंगे, डॉलर देंगे, सम्मान करेंगे कार्बन ट्रेडिंग के नाम पर। यह सोच गलत है। जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि इस ग्रह पर मैं ही अकेला नहीं हूँ... और भी दूसरे हैं, तब तक मूलभूत समस्या बनी रहेगी।

इसीलिए हमें आज दर्शन के भीतर, मनोविज्ञान के अंदर, तकनीकी विकास और सामान्य जन की जीवन शैली के अंदर इन प्रश्नों के संदर्भ में गंभीरता से सोचना होगा। जब इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो विचार आता है कि मार्ग किसके पास है? यहां मैं दो व्यक्तियों के वक्तव्य का उल्लेख करता हूँ। अर्नाल्ड टॉयन्बी ने कहा था कि मानव जाति के इस सर्वाधिक संक्रमण काल में अगर कोई रास्ता है तो वो भारतीय जीवन दर्शन है, जहां हमें वह दिशा और दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा मानव जाति परस्पर एक परिवार के रूप में विकसित हो सकती है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन के समय वहां के उपराष्ट्रपति श्री अल गोर ने एक पर्यावरण सम्मेलन में कहा था कि "We have been on wrong track from last 300 years. It is time to rethink & turn to east for guidance" इसलिए आज हमको विकास की ओर बढ़ना है लेकिन जो भारतीय आधारभूत चिंतन है, जीवन दर्शन है, इस ओर भी मुड़ना है जिसका उल्लेख पूर्व में शिवराजसिंह जी ने किया।

हमारे पतन का एक मौलिक कारण यही है कि हम ये मान बैठे हैं कि सारी दृष्टि सिर्फ मेरे लिए है। संपूर्ण सृष्टि में हम चार प्रकार की दुनिया देखते हैं - पशु-पक्षी की दुनिया, वनस्पति, पेड़-पौधों की दुनिया, जिन्हें हम धरती, वायु, आकाश कहते हैं, उनकी दुनिया और एक मनुष्य की दुनिया। हम सभी ने यह पढ़ा है कि इन सबका एक जीवन चक्र है और अगर वो चक्र टूटेगा तो सब कुछ उजड़ जाएगा। पेड़-पौधे कॉर्बन डाईऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कॉर्बन डाईऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ये चक्र चलता है। यदि इस जीवन चक्र को असंतुलित कर दिया जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इनमें से एक दुनिया समाप्त कर दीजिए तो दूसरी दुनिया स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इस नाते से भारतीय चिंतन को समझना होगा। पदार्थ (Matter) व बुद्धि (Mind) अलग हैं, ये सोच गलत है। जो चेतना है, वहीं चेतना प्रकट हुई पौधों में और जड़ में भी। ये केवल दार्शनिक चिंतन नहीं है। जे.सी. बोस ने जीव और जड़ दोनों पर प्रयोग करके सिद्ध कर

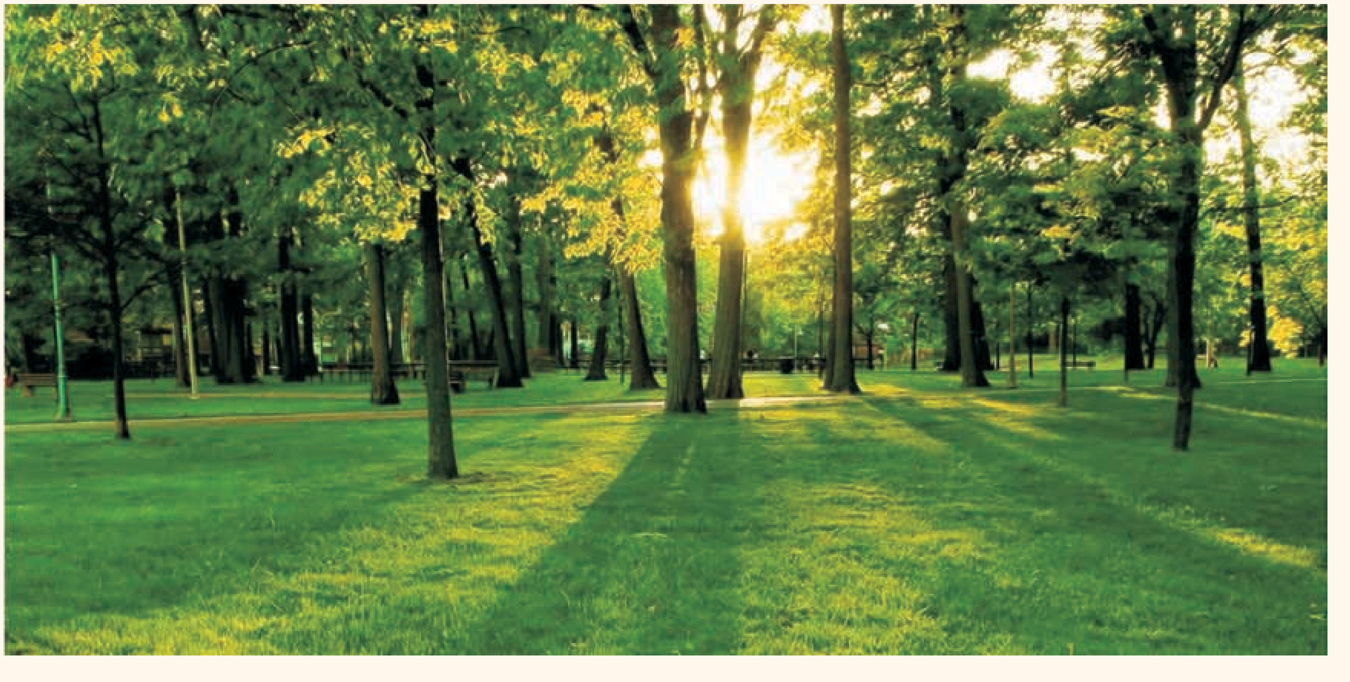

दिया कि मनुष्य, पौधे व टीन का टुकड़ा तीनों में प्रतिक्रिया होती है, वो भी थकते हैं। फर्क ये है कि जड़ में चेतना बहुत सूक्ष्म होती है, ये पता नहीं चलता कि वो है भी या नहीं, लेकिन एक बार जब मैं ये समझ लेता हूं कि एक ही चेतना के स्तर अलग-अलग हो सकते हैं, मगर वो (चेतना) चारों दुनिया में विद्यमान है, तब मैं सिर्फ अपनी चिंता नहीं करता। इसलिए आज जो विकास की वैश्विक दृष्टि है इसमें इस मौलिक विचार के समावेश की आवश्यकता है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना तत्व की अभिव्यक्ति है तथा इसके विविध रूप परस्परावलंबी और परस्पर आश्रित हैं। इस विचार पर बहस होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा तक तक हमारी साइकोलॉजी नहीं बनेगी और जब तक हमारी इस विचार के अनुरूप साइकोलॉजी नहीं बनेगी तक तक तकनीक और जीवनशैली में बदलाव नहीं होगा।

यहां ध्यान देने की बात है कि भारत में ये केवल तत्व चिंतन का हिस्सा नहीं था, ये सामान्य व्यवहार का विषय था, इसीलिए हमारे यहां एक साथ सबके जुड़ाव की बात कही गई है। भर्तृहरि ने पांच तत्वों से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि "धरती मेरी माता है, वायु पिता है, अग्नि मित्र है, जल सगा संबंधी और आकाश भ्राता है। इस प्रकार के संबंधों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ।" जब एक बार ये दृष्टि बन गई तो धरती को प्रणाम करना स्वाभाविक है। पूरे विश्व में आज "मदर अर्थ" की बात होती है, हमारे यहां तो वेदकाल से ही धरती को माँ के रूप में देखा गया है। महाभारत में वर्णन आता है कि जो परम तत्व है, पर्वत उसकी हड्डियां हैं, पृथ्वी उसकी मज्जा है, समुद्र रक्त है, वायु श्वास है और अग्नि ऊर्जा है। एक जीवित तत्व के रूप में ये संकल्पना कई प्रकार से हमारी परम्परा में अभिव्यक्त हुई है और इन सबकी चिंता करना दैनिक जीवन का हिस्सा था। भारत में आज से 50 वर्ष पहले तक हमेशा घर की बुजुर्ग महिला घर की छत पर दो मुट्ठी अनाज डालती थी, इस सोच के साथ कि यदि कोई पक्षी भूखा होगा तो दाना खा लेगा। हर घर में पक्षियों के लिए पानी का पात्र भी बंधा होता था। भोजन से पहले यह देखा जाता था कि आस-पास में यदि कोई मनुष्य भूखा हो तो पहले उसे भोजन करवाया जाए। गाँव में पशुओं के लिए गोचर भूमि सुरक्षित रखी जाती थी, गोचर भूमि पर कब्जा करना पाप माना जाता था। आज तो पशु-पक्षी छोड़िए गरीब आदमी की भूमि पर कब्जा करते समय हम विचार नहीं करते। ये सब बातें जो मैंने कहीं हमारी पारिवारिक जीवनचर्या का हिस्सा थीं। इसलिए आज की जीवन शैली में जो बदलाव आया है, जिस प्रकार की जीवन शैली विकसित हुई है, वो एक बड़ा कारण बन रही है, हमारे पतन का। यदि हम इन सब पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो जिसके पास जितनी ताकत है वो प्रकृति का उतना ही शोषण करेगा। इसलिए जीवन दर्शन की आधारभूत दृष्टि को बदलने की आज जरूरत है, दूसरे हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये धरती, पशु, पेड़-पौधे, इन सब के प्रति हमारा नजरिया बदलने की आवश्यकता है। फिर इस मनोविज्ञान या मानसिकता के अनुरूप हमारी नीतियाँ बनें और इन नीतियों की संगति के साथ तकनीक विकसित हो और फिर हमारी जीवन शैली में बदलाव हो।

किंतु एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये तो ठीक है कि बहुत लोग ऐसा मानने लगे हैं कि भारत के पास आज के संकट से उबरने का मार्ग है। किंतु भारत के द्वारा दुनिया को मार्गदर्शन तो तब होगा न जब भारत स्वयं सही मार्ग पर होगा। आज हम अपने ही देश में देखते हैं तो

हमारे सामने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का बड़ा संकट खड़ा है। हमारे प्राकृतिक स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, नदी-नाले सूखते जा रहे हैं। वेदों में मंत्र है कि नदी वो है जो चट्टानों से टकराते हुए नाद करती हुई चले, अपनी ध्वनि से। आजकल तो नदियां नाद करना तो छोड़िये बहती भी नहीं हैं, सूख गई हैं। कुएं, बावड़ियां सूखते जा रहे हैं। अंधाधुंध जमीन का पानी निकाला जा रहा है। दुनियाभर में यह माना जा रहा है कि तीसरा युद्ध पानी के लिए होगा। वैसे आदमी की ऐसी ही यात्रा रही तो पानी जैसे कई कारण पैदा कर लेगा तीसरे विश्वयुद्ध के लिए। इन सभी आधारभूत बिंदुओं पर हमें चिंता करनी होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम मध्यप्रदेश में कुछ मॉडल तैयार कर, इस दिशा में दो कदम आगे बढ़ सकते हैं? ये अच्छी बात है कि आज इस सभागार में शासन, प्रशासन, विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञ, जमीनी स्तर पर काम कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इसीलिए कुछ मौलिक बातों पर हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। यह प्रयास हो सकता है कि मध्यप्रदेश की नदियाँ अविरल बहें, इसके लिए प्रयास हों। इस संबंध में व्यक्ति स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर एक दृष्टि उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और यदि तकनीक के सुसंगत उपयोग से आगे चलें तो निश्चित ही हम कुछ अनूठे उदाहरण पेश कर सकते हैं। राजस्थान में एक स्वयंसेवी संस्था के प्रयासों से एक नदी पुनर्जीवित हो उठी। पुनर्जीवित होना मतलब उसके मृत स्रोतों का जीवित होना है। मुझे लगता है कि प्रदूषण बढ़ाने वाले स्रोतों की उचित ट्रेकिंग की आवश्यकता है।

लेकिन विकास अनियोजित तरीके से हुआ तो फिर नुकसान होगा। वराह पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक पीपल, एक नीम, एक बेर व 10 फूल के पौधे लगाता है वो कभी नरक में नहीं जाता। चरक, जो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, कहते हैं कि एक जंगल का विनाश पूरे राज्य के विनाश के बराबर है और एक जंगल को पुनः जीवित करना, राज्य के निर्माण के बराबर है। ये एक दृष्टि देने का प्रयास है कि मैं यदि प्रकृति से कुछ ले रहा हूँ तो मेरा इसके प्रति क्या दायित्व बनता है। दुर्भाग्य से आज विकास की पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों को लेने की बात तो चल रही है, मगर बदले में उन्हें देने के नाम पर हम भावशून्य, संवेदनहीन होते जा रहे हैं। लोग कहते है कि गंगोत्री का ग्लेशियर 16 मीटर प्रतिवर्ष कम हो रहा है। ग्लेशियर घट रहे हैं, मगर नर्मदा के पास ग्लेशियर नहीं है। नर्मदा का आधार तो पेड़ की जड़ों में है। हम पहला प्रयास यहीं से करें कि अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहीं पर गंदे पानी को रोकें। फिर ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं का सहयोग लेकर नर्मदा के रास्ते में जहां-जहां प्रदूषित जल आता है, वहां उसके रास्ते को बदलें। दूसरा प्रयास यह हो कि जो हमारी पुरानी बावड़ियां, कुएं, तालाब हैं, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए।

अनुपम मिश्र जो पानी पर काम करते हैं, कहते हैं कि पानी पर पैसा खर्च करना मुझे अजीब लगता है। आदमी थोड़ा जीवन ठीक से जीना सीख ले, बस इतना ही काफी है। उनकी एक प्रसिद्ध किताब है "राजस्थान की रजत बूँदें"। इसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि दुनिया के जितने रेगिस्तान हैं, उनमें से राजस्थान के रेगिस्तान में सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन वहाँ जैसलमेर जैसा शहर है जो पिछले 600-700 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंडी है। ये सब कैसे हुआ? जहां इतना कम पानी है, वहां ऐसा शहर कैसे विकसित हुआ? करीब 700 साल पहले राव गढ़ीसर ने वहां एक तालाब बनवाया जिसका 120 मील का कैचमेंट एरिया था। वो तालाब जब ओवरफ्लो होता था तो उस पानी के प्रबंधन की दृष्टि से नौ छोटे-छोटे तालाब बनाए गए, फिर भी अगर पानी निकलता तो छोटी-छोटी नालियाँ बनाई ताकि पानी का समुचित प्रबंधन हो सके। एक बहुत सुंदर वाक्य अनुपमजी ने लिखा है कि "आसमान से गिरने वाले पानी को उस समाज ने 3 इंच या 4 इंच वर्षा के रूप में नहीं देखा, उसने करोड़ों रजत बूँदों के रूप में उसे देखा।" उस समाज ने उस उपलब्ध पानी के साथ जीना सीखा। इसीलिए इतनी कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी शहर बसे। अनुपमजी इसीलिए बार-बार कहते हैं कि आज ऐसे मृत स्रोतों को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। टेम्स नदी एक जमाने में बहुत बदबू मारती थी, लेकिन समाज ने सोचा और तकनीक के सही उपयोग से उसे स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बना दिया। आज हर शहर में प्रदूषित जल को तकनीक के इस्तेमाल से प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है।

कभी-कभी कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते है। कुछ लोग समझाने से समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोग भुगतने से समझते हैं। पर्यावरण की चिंता भुगतने से उत्पन्न हुआ विषय है। और मुझे लगता है समझ आते-आते कहीं बहुत देर न हो जाए। Club of Rome के संस्थापक और डायसेकू इकेदा के वार्तालाप की एक पुस्तक है, जिसका शीर्षक था - Before it is too late इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें जाग जाना चाहिए।

मुझे लगता है कि भारत के पास एक दर्शन है, मनोविज्ञान है जो हमें विरासत में मिला, लेकिन हम इससे दूर हो गए हैं। यदि हम हमारी इस विरासत के मूल्य को समझें और इसे अपनाते हुए कोई "मॉडल" तैयार करें तो भारत का विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

घाना की महारानी वेकोयामा चिआडम ने लिखा था कि इस धरती पर हमारा अधिकार नहीं है, किंतु इसकी रक्षा का दायित्व हमारा है, दुनिया छोड़ते समय हम सोचें कि इस धरती को सुंदर बनाने में मैंने क्या योगदान दिया।

यदि हम इसे भूल जाएंगे तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी रहने को ही न मिले। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि भारत न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए एक वैकल्पिक मार्ग दे सकता है और उसके लिए यदि हम दर्शन, मनोविज्ञान, नीति, तकनीक व जीवन शैली सभी विषयों पर चर्चा का सूत्रपात कर एक-एक कदम आगे बढ़ें तो निश्चित ही मंजिल तक पहुँचेंगे। मध्यप्रदेश को ईश्वर ने प्राकृतिक संपदा से भरपूर किया है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश जलवायु संकट से निपटने में भारत के लिए एक मार्गदर्शक व अग्रणी राज्य हो सकता है। यदि हम हमारी सांस्कृतिक विरासत की जड़ों को संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ें तो विकास को सार्थक दिशा दे पाएंगे।

आपने मुझे इस सम्मेलन में अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

मध्यप्रदेश में मनरेगा ने बदली गांवों की तस्वीर

मध्यप्रदेश देश की हृदय-स्थली है। इसकी धड़कन गांवों में बसती है। 02 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई मनरेगा के नौ साल होने को हैं। इन नौ सालों में प्रदेश के गांवों के विकास की दिशा और दशा में अधोसंरचनात्मक और सतत् आजीविका संवर्धन के साथ रोजगार की उपलब्धता के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित हुए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश की प्रगति के नये मानदण्ड स्थापित हुए हैं। "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र." के अन्तर्गत समस्त जिलों में ग्रामीण परिवारों को गांवों में ही 17822 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध हुआ है। मनरेगा के तहत प्रदेश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिवस के रोजगार की गारंटी दी है। योजनांतर्गत रोजगार की गारंटी के साथ ही आजीविका के स्थाई संसाधन भी मुहैया कराये जा रहे हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति के जॉब कार्डधारियों को 3440 लाख दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के जॉब कार्डधारियों को 7344 लाख दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुल मानव दिवसों में से 7700 लाख दिवसों का रोजगार महिलाओं को उपलब्ध कराया गया है। जो कुल मानव दिवसों का 43 प्रतिशत है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी कपिलधारा कूप उपयोजना से लगभग दो लाख 85 हजार कुएं हितग्राहियों की निजी भूमि पर निर्मित किए जाकर किसी एक भी व्यक्ति को विस्थापित अथवा पुनर्वासित किए बगैर तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का संवर्धन किया गया जो कि अभूतपूर्व उपलब्धि है। महात्मा गांधी नरेगा के साथ विभागों की योजनाओं के अभिसरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ आजीविका के स्थाई संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गांवों में 5 हजार से अधिक खेल के मैदान, 4 लाख 11 हजार मेढ़ बंधान, 5 लाख से अधिक शौचालय निर्माण, 3856 किलोमीटर सीमेंट-कांक्रीट रोड, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 11865 किलोमीटर सड़क निर्माण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। अभिसरण अंतर्गत ली गई नवीन योजनाओं में आंगनवाड़ी भवन, अनाज

भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण, सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़कों के कार्य में प्रगतिरत हैं।

मनरेगा अंतर्गत श्रमिक प्रबंधन, कार्य प्रबंधन व वित्तीय प्रबंधन हेतु 01 अप्रैल 2013 से संपूर्ण प्रदेश में एक साथ इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। यह एक पारदर्शी व्यवस्था है। समस्त भुगतानों के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश, देश का प्रथम राज्य रहा है।

कार्य की मांग, स्वीकृति व मजदूरी भुगतान को सुगम बनाने के उद्देश्य से भूमिहीन एवं भूमिधारी श्रमिक परिवारों के प्रत्येक समूह पर समूह की सहमति अनुसार न्यूनतम 8वीं पास एक व्यक्ति को मेट के रूप में चयनित किया गया है। यह मेट समूह के मार्गदर्शन एवं मनरेगा संबंधी कार्यों में सहायक की भूमिका का निर्वहन करता है।

जॉब कार्डधारियों की भागीदारी सुदृढ़ की गई है। प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिन को कार्य प्रारंभ होता है जिसे 'रोजगार दिवस' कहा जाता है और उस पूरे सप्ताह को 'रोजगार सप्ताह' कहा जाता है। अब मनरेगा में मजदूरों की उपस्थिति ई-मस्टर रोल पर दर्ज होती है और रोजगार सप्ताह समाप्त होने के 15 दिवस में भुगतान भी सीधे मजदूरों के बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते में जमा होता है।

मनरेगा अंतर्गत शिकायत निवारण व्यवस्था को पुख्ता बनाये जाने के लिए म.प्र. शासन द्वारा कारगर कदम उठाये गये हैं। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत प्रतितोषण) नियम-2012" लागू किया गया। जिसके द्वारा विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को समय सीमा में शिकायतों के निराकरण हेतु पाबंद किया गया। मनरेगा योजना में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए जाने हेतु मनरेगा लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य) म.प्र. नियम-2013 लागू किये गये हैं। राज्य स्तर पर विजलेंस सेल गठित कर संचालक जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ म.प्र. राज्य

शौचालय निर्माण से निर्मल ग्राम बनने की ओर ग्राम पंचायत बींझावाड़ा

सिवनी जिले के जनपद पंचायत सिवनी अन्तर्गत ग्राम पंचायत बींझावाड़ा में लगभग 500 परिवार निवासरत हैं। इनमें से 40 परिवारों में वर्ष 2013-14 में मनरेगा व निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से शौचालयों का निर्माण कराया गया है। कुछ वर्ष पूर्व तक ग्राम पंचायत बींझावाड़ा के निवासी शौच हेतु निकटतम वीरान स्थानों व खेतों का उपयोग करते थे। आज इस ग्राम पंचायत के लगभग सभी परिवारों में स्वयं का शौचालय शासन की योजना के माध्यम से निर्माण कराया है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने बताया कि, मनरेगा व निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से एक शौचालय निर्माण में 9900/- रुपये की लागत आती है, जिसमें से मनरेगा अंश 4400/- रुपये, निर्मल भारत अभियान अंश 4600/- एवं हितग्राही का अंशदान 900/- रुपये होता है।

ग्राम पंचायत के ही राकेश बघेल वल्द नेमी बघेल ने बताया कि हमने अपने घर में शौचालय का निर्माण कराया है। पहले हमारे घर के सदस्य, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, शौच हेतु बाहर ही जाया करते थे। बरसात के दिनों में इस कार्य हेतु अत्यधिक परेशानी होती थी एवं जहरीले कीड़े-मकोड़ों व सांप-बिच्छुओं का भय बना रहता था। साथ ही घर की महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थीं, यह बात अच्छी नहीं लगती थी। ग्राम पंचायत के ही दिल्ली सिंह यादव वल्द बंजारीलाल यादव ने भी बताया कि जब हमें शासन की इस योजना के बारे में पता लगा कि शासन अपने खर्चे पर हमें शौचालय प्रदान कर रहा है और हमें केवल 900/- रुपये अंशदान देना है, हमें बहुत प्रसन्नता हुई और हमने अपने घर में शौचालय का निर्माण करवाया अब हमें न तो बरसात का डर है और न ही अंधेरे और वीराने का डर है। हमारे घर के सभी सदस्य बाहरी कठिनाईयों से भी बचे हुए हैं शासन की इस योजना के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं।

● **राहुल सक्सेना**

कपिलधारा कूप से लखपति बने भैयालाल

मनरेगा से बने कपिलधारा कूप जिले के छोटे किसानों की आर्थिक तंगी को दूर करने में सफल रहे हैं। सिंचाई के साधन के अभाव में बरसात के मौसम की फसल पर आश्रित रहने वाले किसान अब सफल कास्तकार बनने लगे हैं। कुआं बनने से साल में दो फसल के साथ-साथ मौसमी सब्जी-भाजी का भी उत्पादन करने लगे हैं। फसल और सब्जी उत्पादन से उनकी आर्थिक हालत में जो सुधार हुआ है। इसके अलावा परिवार को पोषणमुक्त सब्जियां मिलने लगी हैं। जिले के ऐसे ही हितग्राही हैं जिला बालाघाट की कुरेण्डा ग्राम पंचायत के भैयालाल, जिनके परिवार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से निर्मित कपिलधारा कूप आजीविका का मुख्य स्रोत बन चुका है। कपिलधारा कूप ने भैयालाल को प्रगतिशील एवं लखपति कृषक बना दिया है। कपिलधारा कूप बनने के बाद भैयालाल का बेटा तिलकचन्द्र राहंगडाले खेती के साथ ही साग-सब्जी लगाने के तौर-तरीके सीखकर खेत में बैंगन, टमाटर, लौकी, गोभी, भिण्डी, आलू, प्याज, बरबटी, गवारफली, भाजी, मिर्ची उत्पादन कर अतिरिक्त लाभ कमा रहा है। कपिलधारा कूप बनने के बाद खेत में खरीफ के मौसम में धान एवं रबी के मौसम में गेहूं मौसमी साग-सब्जी लगाकर जरूरत के मुताबिक समय-समय पर सही मात्रा में खाद्य व पर्याप्त सिंचाई के चलते उत्पादन में कई गुना इजाफा करने वाले कृषक बन गये हैं। कपिलधारा कूप के चलते भैयालाल के खेत में हर मौसम में हरियाली छाई रहती है। भैयालाल परसवाड़ा, लिंगा बघोली चन्दना के हाट-बाजार में ताजी-ताजी हरी साग-सब्जी बेचकर भैयालाल अभी तक लाखों रुपये कमा चुके हैं। अपने खेत में धान की रोपाई कर ऊपरवाले के भरोसे बैठे रहने वाले भैयालाल अब कपिलधारा कूप के चलते वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहते। सफलता का श्रेय शासन की कपिलधारा उपयोजना को देने वाले भैयालाल ने ग्रामसभा के दौरान बताया गया कि 'सरकार गरीबों के खेत में सिंचाई के लिए निजी भूमि में कपिलधारा कुआं बनवाकर देती है तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा मैंने तुरन्त कुआं खुदवाने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन दिया'। कूप में बारह महीने भरपूर मात्रा में पानी होने के कारण साग-सब्जी और खरीब में धान की रोपाई कर विद्युत पंप से खूब सिंचाई के चलते तीन गुना फसल उत्पादन लेने वाले भैयालाल के संयुक्त परिवार में खुशी का माहौल है। जून-जुलाई माह में कम वर्षा होने के बावजूद वह चिंतित नहीं थे, क्योंकि कपिलधारा कूप से खेत में पर्याप्त सिंचाई करते रहे जिसके फलस्वरूप धान के नन्हे पौधे रोपा के लिए तैयार हुए। लगन, कड़ी मेहनत और कपिलधारा कूप के चलते संयुक्त परिवार में रहने वाले भैयालाल की आमदनी में लगातार इजाफा के चलते आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल गई है। अब वह सभी बच्चों को पढ़ा-लिखा रहे हैं। साग-सब्जी की खेती में और अच्छी तकनीकी का उपयोग करते हुये ज्यादा उत्पादन करना एवं सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देखकर अच्छे मुकाम तक पहुंचाना भैयालाल का अब एक मात्र लक्ष्य बन गया है। यदि हितग्राही इन उपयोजनाओं का लाभ लेकर सही दिशा में मेहनत और लगन के साथ ईमानदारी से काम करें तो वह अपनी आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकता है और भैयालाल की तरह खुशहाल हो सकता है।

● अरुण कुशराम

रोजगार गारंटी परिषद को मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - म.प्र. अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कौशल, क्षमताओं एवं ज्ञान में वृद्धि करने हेतु योजना अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यालय द्वारा क्षेत्रिय प्रशिक्षण संस्थान इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त संभाग, जिला एवं विकासखण्ड स्तर के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर परिषद मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा ही तैयार किये जाने हैं जिनके द्वारा मैदानी अमले को प्रशिक्षित किया जाता है। इससे शासन पर प्रशिक्षण संबंधी व्यय का भार स्वतः ही कम हो जाता है।

मनरेगा को पारदर्शी बनाने एवं एक-एक पाई का हिसाब आमजन तक पहुंचाने के लिये सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान किया गया है। साल में कम से कम दो बार सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत किये गये कार्यों का हिसाब-किताब ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को मूर्तरूप देने के लिये स्वायत्त संस्था के रूप में राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन किया गया है। सामाजिक संपरीक्षा समिति गठित करने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है। म.प्र. मनरेगा संबंधी तमाम जानकारियां नागरिक टेली समाधान केन्द्र के टोल फ्री नंबर-155343 से उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना संबंधी जानकारियां मनरेगा की वेबसाइट www.nregs-mp.org पर एवं www.facebook.com/nrega.mp पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसी का परिणाम है कि शहर से लेकर दूरदराज गांव तक मनरेगा की जानकारी लोगों तक पहुंची है।

मनरेगा के प्रभाव को लेकर विभिन्न संस्थानों द्वारा किये गये शोध में भी मध्यप्रदेश में मनरेगा क्रियान्वयन के परिणामों को बेहतर

बताया है। प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार के साथ आजीविकामूलक कार्यों से स्थाई आजीविका सृजन हुआ है जिससे इन हितग्राहियों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है।

- 65 प्रतिशत ग्रामीणों ने माना है कि आमदनी में वृद्धि हुई। (आईआईएम इन्दौर)
- 70 प्रतिशत ग्रामीणों ने माना है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। (आईआईएम इन्दौर)
- 85 प्रतिशत व्यक्तियों ने माना है कि स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन हुआ। (आईआईएम भोपाल)
- उपयोजनाओं के कारण स्थाई आजीविका के साधनों में वृद्धि हुई। (विनराक इंटरनेशनल इंडिया 2010)
- मनरेगा के कारण साहूकारों पर निर्भरता कम हुई। (ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आणंद गुजरात 2010)
- रोजगार की तलाश में विवश पलायन पर रोक। (एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, उज्जैन 2011)
- सिंचाई क्षेत्र में औसतन 15.3 गुना वृद्धि। (एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, उज्जैन 2011)

मध्यप्रदेश में मनरेगा के सफल क्रियान्वयन का ही नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदाय किये गये हैं।

- नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में मनरेगा के क्रियान्वयन से जिले के बैगा आदिवासियों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने में योजना के उल्लेखनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए बालाघाट जिले को MGNREGA प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार (वर्ष 2007-08) 2 फरवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा दिया गया।
- प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले को वर्ष 2007-08 में 1 करोड़ 13 लाख मानव दिवस सृजित करने एवं इनमें से 57 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित जनजातियों के जॉब कार्डधारियों और 47 लाख मानव दिवस का रोजगार महिलाओं को उपलब्ध कराने के साथ ही जिले में कपिलधारा कूप के माध्यम से 20 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2 फरवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा दिया गया।
- प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को वर्ष 2008-09 में मनरेगा अंतर्गत कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जिले में वर्ष के दौरान 7870 कपिलधारा के कूप स्वीकृत किए गए। तत्परता से कार्य किया जाकर 4119 कूप पूर्ण किए गए एवं इससे हितग्राहियों की भूमि पर 7800 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई एवं एसएमएस साफ्टवेयर से सरपंच और सचिव द्वारा प्रतिदिन मजदूरों की उपस्थिति, काम बंद होने की स्थिति, भुगतान में विलंब की स्थिति आदि से प्रतिदिन एसएमएस द्वारा कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को अवगत कराने के लिए तत्कालीन कलेक्टर को 2 फरवरी 2010 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया।
- वर्ष 2008-09 में बालाघाट जिले योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और क्षेत्र में निरंतर सिंचाई क्षमता में होती वृद्धि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन पश्चात लोगों में बैगा आदिवासियों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली जल संरक्षण, सड़क

मनरेगा के खेल मैदान पर उभर रहीं खेल प्रतिभाएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने एक ओर जहां विभिन्न प्रकार की अधोसंरचनाओं का निर्माण किया है वहीं दूसरी ओर छात्रों के भीतर छिपी खेल प्रतिभाओं को भी उभारने का कार्य किया है। छिंदवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत सर्रा के स्कूल परिसर में मनरेगा की ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना से बना खेल मैदान इसी का एक उदाहरण है। मैदान बनने से न केवल खेल प्रतिभाएं उभर रही हैं बल्कि बच्चों का मानसिक, शारीरिक विकास भी हो रहा है। शाला परिसर में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल संचालित है यहां खेल मैदान नहीं था। परिसर से नाला बहता था और जमीन भी असमतल थी जिसके कारण छात्रों को खेलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। छात्रों की खेलने की समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामसभा में खेल मैदान बनाने का प्रस्ताव लिया गया। शाला परिसर में जमीन समतल कर 150 मीटर लंबा एवं लगभग 70 मीटर चौड़ा खेल मैदान बनाया गया। 4 लाख 41 हजार रुपए की लागत से बने इस मैदान में 2300 मानवदिवस सृजित हुए हैं। महात्मा गांधी नरेगा से बने खेल मैदान से छात्र-छात्राओं को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध होने से छात्र पढ़ाई के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। शासन की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी नरेगा की ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना से छात्रों को खेल की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। मैदान को समतल कर दिया है। क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, दौड़, कूद आदि खेल आसानी से खेले जा सकते हैं। खेल मैदान बनने से बच्चों की खेल प्रतिभाएं उभर रही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण खेल प्रतिभाएं उभर रही हैं। यह खेल मैदान न केवल सर्रा ग्राम के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।

● हेमलता हुरमाड़े

पक्की सड़क बनने से झगरहा में सुगम हुआ आवागमन

खुशी की चमक चेहरा खुद-ब-खुद बयां कर देता है। पक्की सड़क पर चहल कदमी करते बच्चे मुस्कराते हुए खुशहाली की दास्तां बयां करते हैं। महात्मा गांधी नरेगा व पंच-परमेश्वर योजना के संयोजन से गाँवों के आंतरिक मार्गों को व्यवस्थित करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। इसी की एक नाजीर है सीधी जिले की जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत झगरहा में बनायी गई पक्की सड़क और नाली निर्माण कार्य। बनायी गई पक्की सड़क तथा नाली निर्माण के कार्य से स्थानीय हरिजन परिवार खुश है। पहले बस्ती की सड़क बरसात के मौसम में कीचड़ से सनी रहती थी। अब टोले की तस्वीर बदल गई है। स्थानीय रहवासी श्रीमती सोनिया कोल ने बताया कि सड़क बनने के पहले चौमास में घर के बाहर कीचड़ से सनी सड़क हुआ करती थीं। घर के बाहर बच्चों का निकलना मुश्किल था। बाहर जाकर बच्चे दिन भर कीचड़ में गिरते-पड़ते रहते थे। हर समय बच्चों की चिन्ता के कारण घर के काम प्रभावित होते थे। गंदगी और दुर्गंध से जीना मुश्किल था। बरसात तो बरसात अन्य ऋतुओं में भी कीचड़ और गंदगी व बीमारियां घर के बाहर डेरा डाले रहती थीं। पक्की सड़क और नाली के बन जाने से इन सभी परेशानियों का अंत और सुविधाओं का विकास हुआ है।

ग्राम सरपंच झगरहा श्रीमती शान्ति कोल ने कहा कि गांव की हरिजन बस्ती में बरसात के दिनों में कीचड़ के कारण रहवासी परेशान रहा करते थे। महात्मा गांधी नरेगा की उपयोजना आंतरिक पथ निर्माण आने के बाद ग्राम सभा के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि हरिजन बस्ती को कीचड़ की गलियों से मुक्त करना है। पक्की सड़क तथा नाली निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद वहां के हालात बदल गए हैं। सहायक यंत्री मनरेगा श्री ए.के. द्विवेदी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा की उपयोजना आंतरिक पथ निर्माण व पंच-परमेश्वर योजना के संयोजन से पक्की सड़क तथा नाली निर्माण का कार्य कराया गया है। गोपाल कोल के घर से बिजली आफिस रामगरीब बसोर के घर तक पी.सी.सी. रोड व नाली निर्माण लं. 155 मीटर वर्ष 2013-14 में 4 लाख 90 हजार में स्वीकृत किया गया था। कार्य में महात्मा गांधी नरेगा से 2 लाख 26 हजार तथा पंच-परमेश्वर से 2 लाख 63 हजार रुपये स्वीकृत किये गए थे। कार्य में 1 हजार 1 सौ 12 मानव दिवस सृजित किये गए हैं। कराये गए आंतरिक पथ निर्माण से ग्रामीणों को कीचड़ की गलियों से निजात मिली है। गांवों की आन्तरिक गलियों में कीचड़ से आवागमन में होने वाली परेशानी दूर हुई है। ग्रामीणों ने कार्य में रोजगार और समय पर मजदूरी भुगतान पाया है।

● संदीप श्रीवास्तव

एवं अन्य रोजगार संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2008-09 के लिए 2 फरवरी 2010 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

- प्रदेश के अनूपपुर जिलें को मोबाइल बैंकिंग द्वारा मजदूरी भुगतान से संबंधित MGNREGA प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2009-10 के लिए 2 फरवरी 2011 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। महात्मा गांधी नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को विलंब से होने वाले भुगतान की समस्या से निजात देने एवं मजदूरों को समय पर भुगतान प्रदान करने के लिए अनूपपुर जिले के द्वारा चलाई गई एटीएम मोबाइल बैंक "आपकी बैंक आपके द्वार" योजना को भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 के महात्मा गांधी नरेगा में किए गए उत्कृष्ट प्रशासन के उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चयनित कर 02 फरवरी 2011 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित महात्मा गांधी नरेगा सम्मेलन में कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री ने समारोह में कहा कि मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले द्वारा मजदूरी के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।
- बैतूल जिले की जनपद बैतूल की ग्राम पंचायत साकादेही को 2 फरवरी 2014 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जागरूकता मेले में वर्ष 2011-12 में किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरपंच श्रीमती हेमलता वाडिवा को 2 फरवरी 2013 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्कृष्ट ग्राम पंचायत अवार्ड प्रदान किया गया।
- बैतूल जिले की विकासखंड घोड़ाडोंगरी की ग्राम पंचाचत बटकीडोह को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ग्राम पंचायत बटकीडोह की सरपंच श्रीमती कलीबाई को दिनांक 02 फरवरी 2014 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा उत्कृष्ट ग्राम

पंचायत पुरस्कार दिया गया। देश में 11 राज्यों की एक-एक पंचायतों का चयन किया गया था। बैतूल देश का एकमात्र जिला है, जिसकी ग्राम पंचायत को लगातार दूसरी बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2011-12 में बैतूल जिले की साकादेही ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

- मनरेगा में लगभग 24000 एजेंसियां कार्यरत हैं। केन्द्र शासन की इस फ्लेगशिप स्कीम के ऑडिट प्रबंधन-ऑडिट रिपोर्टों के पालन प्रतिवेदन को ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में लाने हेतु ऑडिट साफ्टवेयर का निर्माण किया गया। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आई.टी. के इस नवाचर हेतु म.प्र. शासन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को वर्ष 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई-गवर्नेन्स अवार्ड से पुरस्कृत किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लेगशिप स्कीम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा ऑनलाइन साफ्टवेयर विकसित करने एवं क्रियान्वयन करने हेतु स्कॉच डिजिटल इन्क्लूजन अवार्ड 2012 नई दिल्ली में प्रदान किया गया। गांव से पलायन कर शहर की ओर रोजगार की तलाश में आने वाले मजदूरों के कारण शहर पर बढ़ रहा आबादी का दबाव मनरेगा ने काफी हद तक खत्म कर दिया है। गांव में ही साल में 100 दिन का रोजगार मिल जाने से आज ग्रामीण मजदूर शहर की ओर पलायन के लिये विवश नहीं हैं। गांव में ही रोजगार की उपलब्धता और हितग्राही को आजीविका मूलक कार्यों ने आत्मनिर्भर बना दिया है। खासकर कपिलधारा कूप ने छोटे किसानों को सिंचाई का साधन मुहैया कराकर मजदूर से कृषक बना दिया है। इस तरह रोजगार से आजीविका संवर्धन का ध्येय मनरेगा के माध्यम से पूरा हुआ है।

• अनिल गुप्ता

मीनाक्षी तालाब में मछली उत्पादन कर लखपति बना राधेश्याम

किरनापुर विकासखण्ड अन्तर्गत सिवनीकला ग्राम पंचायत में रहने वाले राधेश्याम के खेत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से निर्मित मीनाक्षी तालाब ने गरीबी में जीवनयापन करने वाले राधेश्याम को लखपति बना दिया है। ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके 1.25 हेक्टेयर खेत में तीन साल पहले 2.60 लाख रुपये की लागत से मीनाक्षी तालाब का निर्माण करवाया गया। इस तालाब के निर्माण से गांव के जॉब कार्डधारियों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। तालाब में साल भर भरपूर मात्रा में पानी रहने के कारण इस मीनाक्षी तालाब ने राधेश्याम की तकदीर बदल दी है, वे इस तालाब में मछली उत्पादन कर लाखों रुपये कमा चुके हैं। मछली पालन की बारीकियों को सीखने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त भी प्राप्त किया है। मछुआ समिति के सदस्य के रूप में पंचायत के पुराने तालाब में मत्स्य आखेट की गतिविधियों से भी वह जुड़ा रहा है। राधेश्याम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था कि अपनी खेत में मछली पालन के लिए तालाब बनवा पाता। लेकिन शासन की अति महत्वाकांक्षी मीनाक्षी उपयोजना से उनके खेत में तालाब बन जाने से अब उनके अच्छे दिन आ गये हैं। राधेश्याम बर्वे प्रतिदिन मछली बेचकर लाभ कमा रहा है, वे आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम होते जा रहे हैं। मछली बेचकर प्राप्त आय से वे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा-लिखा रहे हैं, घर भी बना लिया है, घर में टी.वी., मोटर साईकिल इत्यादि आवश्यकता के लगभग सभी जरूरी घरेलू सामग्री भी इसी पैसे से खरीदी है। राधेश्याम मीनाक्षी तालाब में रोहू, कॉमन क्रॉप, ग्रासक्राप, कतला, मंगोरी, सींगन, भेरेडा प्रजातियों के लगभग 50 हजार मछली के बीज हर साल तालाब में डालकर समुचित देखरेख व नियमित भोजन देने का काम करते हैं । वे रोजाना 15-20 किलोग्राम मछली पकड़कर पास के ही गांवों के शुक्रवार बाजार, हट्टा, किरनापुर, हिर्री, बालाघाट एवं गोंदिया बाजार में बेचकर प्रतिमाह 20-30 हजार रुपये कमाते हैं। इस तालाब से वे तीन साल से मछली पालन का काम कर रहे हैं, साथ ही तालाब से गांव के ही अन्य किसानों के लगभग 5 एकड़ खेत में रबी व खरीब फसल को सिंचाई के लिए पानी भी देते हैं। इससे गांव के अन्य किसान भी राधेश्याम की तालाब से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मीनाक्षी तालाब में मछली उत्पादन के कारण राधेश्याम अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। राधेश्याम का कहना है कि मनरेगा से खेत में मीनाक्षी तालाब बन जाने से तालाब ने मेरी तकदीर बदल दी है, शासन की यह योजना मेरे लिए वरदान से कम नहीं है।

• देवेन्द्र राठौर

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

सपना हुआ साकार

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में प्रदेश के आवासहीन और कच्चे आवासों में निवासरत गरीब ग्रामीणों को, पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस मिशन में आवासीय ऋण के लिये अधिकतम एक हैक्टेयर कृषि भूमि धारक अथवा रु. 2.00 लाख अधिकतम वार्षिक आय तक के ग्रामीण परिवार पात्र हैं जिनके पास आवासीय भूखण्ड या तो उपलब्ध हैं अथवा शासन से प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। आवास की लागत रु. 1,20,000/- है जिसमें हितग्राही का अंशदान रु. 20,000/- है। पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु रु. 50,000/- का बैंक ऋण एवं रु. 50,000/- का शासकीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10, 12, 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस मिशन में आवासों का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जा रहा है। हितग्राहियों को आवासीय ऋण प्रदान करने के लिए इस मिशन में 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों से तथा 03 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 06 सहकारी बैंक से एम.ओ.यू. निष्पादित किया जा चुका है। मिशन में आवासों का निर्माण निरन्तर जारी है। अब तक बैंकों द्वारा 3,58,376 आवास ऋण प्रकरण स्वीकृत कर वितरित किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक प्रदेश में 3.58 लाख हितग्राहियों को राशि रु. 2658 करोड़ का बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान स्वीकृत कर वितरण किया गया। योजना में 1,78,503 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में, प्रदेश में 1.5 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है।

मध्यप्रदेश में गरीब ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन द्वारा पक्का घर बन जाने से मुकेश कुशवाह का सपना पूरा हो गया है।

ग्वालियर जिले के डबरा जनपद पंचायत के ग्राम चिनोर निवासी मुकेश कुशवाह गांव में ही एक दर्जी की दुकान में काम करते हैं। मुकेश अपनी पत्नी, माता, एक भाई और दो बहनों के साथ गांव में कच्चे मकान में निवास करते हैं। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी और आय के सीमित साधन होने से मुकेश अपना पक्का मकान नहीं बना पा रहा था। मुकेश ने बताया कि बरसात के समय अक्सर कच्चे मकान की छत से पानी टपकता था एवं गंदगी के कारण परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते थे। लेकिन पैसों के अभाव में हम गरीबी में गुजर बसर करने को मजबूर थे और ऐसे में हमारे लिए पक्का मकान एक सपने जैसा था।

एक दिन मुकेश को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत कच्चे और अर्द्ध पक्के मकानों में निवासरत ग्रामीणों को पक्का मकान बनाने के लिए ऋण और शासन द्वारा अनुदान प्राप्त होने की जानकारी मिली। मुकेश ने इस योजना के बारे में ग्राम पंचायत से संपर्क किया। ग्राम पंचायत में मुकेश की योजना की सारी जानकारी समझाई गई। इसके बाद मुकेश ने ठान लिया कि अब तो मैं पक्का मकान बनाने का सपना पूरा करके रहूँगा।

ग्राम पंचायत चिनोर के सहयोग से मुकेश ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के जरिए आवास ऋण की सारी औपचारिकताएँ पूरी कीं। और अपना आवासीय ऋण प्रकरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा चिनोर में प्रस्तुत किया। बैंक द्वारा मुकेश को एक लाख रुपये का आवासीय ऋण स्वीकृत किया गया। आवास ऋण प्राप्त होते ही मुकेश ने अपने कच्चे मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाना प्रारंभ कर दिया। मुकेश और उसका पूरा परिवार मकान निर्माण कार्य में स्वयं मजदूरी भी करते थे। शीघ्र ही मुकेश का 2 कमरे और शौचालय सहित मकान तैयार हो गया। अब मुकेश अपने पूरे परिवार सहित मकान में निवास कर रहा है।

पक्का मकान बन जाने से मुकेश खुश हैं और कहते हैं कि सभी की तरह मेरा भी सपना था कि मेरा अपना पक्का मकान हो और अब मेरा यह सपना पूरा हो गया है। राज्य शासन की इस योजना से हम जैसे गरीब परिवार भी अब अपनी पक्की छत के नीचे रह सकते हैं। मुकेश नियमित रूप से बैंक ऋण भी चुका रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के जरिए मुकेश जैसे निर्धन ग्रामीणों को अपना पक्का मकान बनाने का एक अवसर मिला है और वे इसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।

ग्रामीण अंचलों में सड़क संपर्क सुविधा

प्रदेश की सभी 23006 ग्राम पंचायतों और 53000 से अधिक ग्रामों तक अब विकास का नया सफर तेजी से शुरू हो चुका है। दूरदराज गाँवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अब ग्रामीण अंचलों में वर्ष भर किसी भी मौसम में आवागमन आसान हो चुका है। संपर्कविहीन गाँवों की तरक्की के लिए राज्य में पहुँच और बारहमासी सड़कों का निर्माण तेज गति से हो रहा है। पहुँचविहीन और दुर्गम इलाकों के गाँवों के लिए पहुँच मार्गों के निर्माण से अब वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सभी गाँवों में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए आंतरिक मार्ग और नालियों का निर्माण प्राथमिकता से हो रहा है।

देवास के टोंकखुर्द विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पालडी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण हो जाने से यहाँ के लोगों को आवागमन की काफी सुविधा हो गई है। पहले जब यहाँ सड़क नहीं थी यहाँ के लोगों को आवागमन में असुविधा होती थी।

लोगों की आवागमन की समस्या को देखते हुए पालडी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्मिलित प्रयास से ग्रेवल सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि से 17.68 लाख रुपये की राशि तथा रोजगार गारंटी योजना से 17.89 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल 35.57 लाख रुपये की राशि से यहाँ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण किया गया है। डेढ़ किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण 2010 में शुरू हुआ। सड़क निर्माण का कार्य यहाँ के ग्रामीणों द्वारा ही किया गया जिससे 10570 मानव दिवस सृजित हुए। सड़क बनने से यहाँ के लोगों की जिन्दगी खुशहाल हो गई है। स्कूल भवन, पंचायत में आने जाने में लोगों को कीचड़ की समस्या से निजात मिल गई।

● **प्रीति मजूमदार**

गंदगी का अंत स्वच्छता का विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक मुख्य कारण बीमारी भी है और इन बीमारियों को जन्म देती है गांवों में चहुंओर फैली गंदगी। इसे हरसूद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शाहपुरा माल के गांव मोजवाड़ी में भी देख सकते हैं जहां के मोहल्ले मोजवाडीटांडा के लगभग 70 आदिवासी परिवार गंदगी और कीचड़ से लबालब मार्ग से होकर गुजरने को अपनी किस्मत समझ चुके थे इतना ही नहीं इस मार्ग पर शासकीय स्कूल भी है जहां आनेवाले बच्चों को प्रतिदिन धूल मिट्टी व गंदगी से रूबरू होना पड़ता था। लेकिन अब मनरेगा योजना के समन्वय से बने 122 मीटर लम्बे पंच-परमेश्वर मार्ग ने यहां के परिवेश को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां गंदगी हुआ करती थी अब वहां 3.53 लाख रुपये की लागत से पक्की सीमेंटेड सड़क का निर्माण किया गया है जिसके दोनों ओर नालियां भी बनाई गईं जिससे घरों से बहने वाला पानी सड़क पर न बहकर गांव से बाहर निकल जाये। इस पंच-परमेश्वर मार्ग के बनने में पंच-परमेश्वर योजना से 2.25 लाख रुपये की राशि एवं मनरेगा योजना से 1.25 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया है। इस मार्ग के बनने में ग्राम पंचायत के श्रमिकों को रोजगार भी मिला है एवं उन्हें 75000/- रुपये का मजदूरी भुगतान किया गया है। सी.सी. मार्ग व नालियों के बन जाने के कारण इस मार्ग पर जमा होने वाली कीचड़ व गंदगी पूर्णतः समाप्त हो गयी है।

● **प्रमोद रघुवंशी**

स्वच्छ भारत अभियान, मध्यप्रदेश की अभिनव पहल

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिये रुपये 12000/- का प्रावधान है, जिसमें स्वच्छ शौचालय के साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी की टंकी तथा हाथ धुलाई के लिए वाश बेसिन निर्मित करना अनिवार्य होगा। इस राशि की पात्रता उन हितग्राहियों को मिल सकेगी जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं साथ ही ऐसे गैर बी.पी.एल. परिवार जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा और परित्यक्ता, विकलांग, लघु और सीमांत परिवार हों यह लाभ इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को भी उपलब्ध होगा। पात्र हितग्राही स्वयं अपना स्वच्छ शौचालय निर्मित कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्मित करा सकते हैं। मध्यप्रदेश के कुल 1.22 करोड़ परिवारों में से मार्च 2014 तक 37.26 लाख परिवारों के घरों में व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय निर्मित हो चुके हैं। वर्ष 2014-15 में सितम्बर 2014 तक 2.16 लाख शौचालय निर्मित किये जा चुके हैं। वर्ष 2019 तक क्रमबद्ध रूप से सभी के घरों में स्वच्छ शौचालय की सुविधा निर्मित कराई जा कर सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त ग्राम निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जायेगा जिसकी कुल लागत रुपये 200000/- होगी किन्तु ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां पानी की स्थाई व्यवस्था हो तथा वह इसके रखरखाव एवं निरंतर साफ सफाई बनाये रखेगी।

स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान किये गये हैं। 150 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को रुपये 7 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 12 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 15 लाख, एवं 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014-15 में 10000 से अधिक जनसंख्या वाले 31 ग्रामों में "ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन" का डी.पी.आर. तैयार किया गया है एवं 2015-16 तक 5000 से 10000 तक जनसंख्या वाले 469 ग्रामों में "ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन" के कार्य के डी.पी.आर. तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। शेष पंचायतों में विभिन्न चरणों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जावेगा।

पोती की खातिर अपंग

ग्राम पंचायत मूंडला में श्री विजय सिंह निवास करते हैं और उनकी एक पोती कक्षा 4 की छात्रा है। उसका नाम है रिया। जब समर्थन की टीम ने स्कूल में जाकर स्कूली छात्रों के साथ ट्रिगर किया गया तो रिया ने बताया कि हमारे गांव में चौकीदार प्रेम सिंह रोज सीटी बजाकर और डोंडी पीट कर बताता था कि सभी लोग जिनके घर में शौचालय है वह शौचालय का प्रयोग करें और जिनके घरों में नहीं है वह आपने घरों में शीघ्रता से निर्माण कर लें और उपयोग करें, एक माह का समय है। एक माह बाद जो भी बाहर खुले में शौच करता पकड़ा जायेगा उसको जुर्माना लगेगा। वह इस बात को रोज ध्यान से सुनती थी। एक दिन शाम को गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। उस रात्रि चौपाल में भी रिया ने भाग लिया और उस दिन रात को ही उसने अपने दादा जी से कहा कि दादा जी हमारे घर तो शौचालय नहीं है अब हम कहां जायेंगे और बाहर जायेंगे तो हमारे घर में मक्खी मल लेकर आएगी और आपको पैसा भी देना पड़ेगा हम अपने घर में ही शौचालय बना लें तो। दादा जी ने रिया को जवाब दिया कि तुम तो अभी छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जा रही हो जब लौट कर आओगी तब तक घर में शौचालय बन जायेगा। रिया अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टी मनाने चली गयी। अब दादा जी ने जो वचन दिया था, उसे भी पूरा करना था। क्या करें, कैसे करें, वह सोचते रहते क्योंकि वे स्वयं काम करने में असमर्थ थे, उनका एक हाथ नहीं है उसी समय समर्थन संस्था द्वारा ग्राम पंचायत मुंडला में राजमिस्त्री की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तब श्री विजय सिंह ने वहां आकर कहा कि मेरे घर भी शौचालय का निर्माण करना है। इस पर समर्थन सस्था के क्लस्टर

नेहा की माँ का स्नेह

भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का सबसे बहुमूल्य गहना लाज और शर्म को माना जाता है। बचपन से ही घरों में लड़कियों को समाज में उठने-बैठने के तौर तरीके का पाठ दिया जाता है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है जहां, मान-मर्यादा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जहाँ घर की औरतें घूंघट की ओट में बच्चों की पालांगी कहलाकर अपने बड़ों को सम्मान देती आयी हैं। परन्तु भारतीय समाज में खुले में शौच करने की कुप्रथा ने कैसे और कब दस्तक दी और जन-जन की आदत में शुमार हो गई ये एक चिन्तनीय प्रश्न है।

खुले में शौच की पराम्परा के चलते जब सभी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, तब महिलाओं की सुरक्षा और मान-सम्मान को लेकर बनाई गई अन्य व्यवस्थाएं झूठी और दिखावटी लगती हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर महिला जब खुले में शौच करने के लिए मजबूर होती है तो उस वक्त वह एक अनजाने डर के साथ नितक्रिया करने को विवश होती है। यह डर किसी आहट से ही प्रबल हो जाता है, किसी की घूरती आंखें ही उसके मन में भय पैदा करती हैं और वह मन ही मन महिला होने पर स्वयं को कोसती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु अगले जन्म मुझे बिटिया मत बनाना। शौच करते समय बार-बार, हर आहट पर उठना, फिर बैठना, बिना किसी गलती पर उठक-बैठक की सजा भोगना, शौच जैसी प्राकृतिक क्रिया को अंधेरा होने के इंतजार तक रोक के रखना और सबसे छिप-छिपा कर, निगाहें नीची करके घर से निकलना, ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? इससे मान-सम्मान में, मर्यादा में कैसे वृद्धि होती है? समाज की ऐसी व्यवस्थाओं और मानसिकता को समझने के लिए मेरा भोपाल जिले के फंदा विकासखण्ड के नांदनी ग्राम में जाना हुआ। वहां समुदाय के साथ खुले में शौच की कुप्रथा पर चर्चा करते समय लोग तरह-तरह के तर्क देते दिखाई दिये। लोगो के पास बढ़िया मकान, गाड़ी, मोबाइल, टी.वी. सब साधन तो थे पर शौचालय का निर्माण करने के लिए वे गरीब थे।

इस गांव में लोग खुले में शौच की परम्परा को आदतन अपनाये हुए थे, बिना इस के दुष्परिणाम पर विचार किये। पुरुषों के साथ चर्चा करने के बाद जब हम महिलाओं के साथ इस विषय पर चर्चा करने लगे तब एक महिला जिसका नाम श्रीमती कुंता बाई था उसकी आंखें विश्वास और गर्व से चमक रही थीं। कुंता बाई ने बताया कि उसके पास स्वयं का शौचालय है और ये शौचालय उसने स्वयं के पैसों से बनवाया। कुंता बाई ने बताया कि मेरी बेटी जिसका नाम नेहा है वो उस समय नौवीं कक्षा में ग्रांव टिलाखेड़ी में पढ़ती थी, इसका स्कूल हमारे घर से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर था, मुझे मेरी बड़ी हो रही लड़की की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। हमारे गांव के आस-पास से ट्रक और अन्य गाड़ियों की आवाजाही भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी। वैसे तो मैं कोशिश करती थी कि वो मेरे साथ ही कहीं आये-जाये पर कई बार शौच के लिए उसे अकेले जाना पड़ता था इस समय अंधेरा भी होता था तो खतरा और बढ़ जाता था। इस संबंध में मैंने अपने पति से कई बार घर में शौचालय बनवाने की बात कही पर हर बार कोई न कोई बहाना कर मुझे टाल दिया, परन्तु मैंने अपनी और अपनी बेटी के सुरक्षा और सम्मान के लिए घर में शौचालय बनाने की जिद कर ली और पैसे जोड़ना शुरू किया। ऐसा करने पर घर में पति के साथ कलह भी मची, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। बहुत प्रयास करने पर भी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं जुड़ पाये थे तभी मेरी बेटी को स्कूल आने-जाने के लिए सरकार ने साइकिल दी, मैंने वो साईकिल बाजार में बेच दी, वो गलत तो था पर उस समय साईकिल से ज्यादा जरूरी शौचालय था इसलिए मेरी बचत के पैसों और साईकिल के पैसों से मैंने अपने घर पर एक अच्छा शौचालय बनाया और मेरी पति ने आखिर हमको समझा और फिर वे ही मेरी बेटी नेही को रोज स्कूल ले जाने लगे।

कुछ दिनों के बाद उन्होंने नेहा को नई साईकिल लाकर भी दी। हम नेहा से जाकर मिले वो अब 12वीं कक्षा में पढ़ती है और अपनी मां पर गर्व करती है।

● आस्था अनुरागी

...ता भी नहीं आयी आड़े

समन्वयक द्वारा कहा गया कि आप अगर घर में गड्ढे का निर्माण कर लेते हो तो शौचालय आपके घर बन जायेगा। दादा जी ने उसी दिन से एक हाथ से ही काम करना शुरू कर दिया। गड्ढे की खुदाई की और राजमिस्त्री के साथ बेलदारी का भी काम किया।

उनके एक हाथ के ही दम पर घर में शौचालय का निर्माण हो गया। उनका कहना था कि मेरी पोती रिया जब मामा के घर से लौट कर आएगी तो उसको घर में शौचालय तैयार करके देना ही है। जब रिया मामा के घर से आयी तो दादा जी ने कहा कि बेटा मैंने जो आपसे बोला था वह हो गया। अपने घर में शौचालय का निर्माण हो गया है। अब अपने घर वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रिया बहुत खुश हुई कि दादा जी ने जो कहा था वह कर दिया।

आज ग्राम पंचायत मुंडला के सभी घरों में न सिर्फ शौचालय का निर्माण हुआ बल्कि उनका उपयोग भी हो रहा है। जिला तथा राज्य स्तर से भी दलों ने आकर इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की।

नागेश्वर पाटीदार

ग्राम पंचायत मुंडला बनी स्वच्छता की पाठशाला

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की जनपद पंचायत इछावर की ग्राम पंचायत मुंडला में 22 फरवरी 2014 को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें समुदाय के करीब 130 से 140 पुरुष, महिला एवं बच्चे उपस्थित हुए। मुंडला ग्राम पंचायत में कुल 286 परिवार निवास करते हैं जिसमें से मात्र 65 शौचालय युक्त परिवार थे जिनमें से मात्र 5 परिवार ही शौचालय का प्रयोग करते बाकी शेष परिवार शौच के लिए खुले में जाते थे। आयोजित रात्रि चौपाल के लिए गाँव के बीच का स्थल चुना गया, गाँव वालों के द्वारा बैठक और एवं रोशनी की व्यवस्था की गयी। इस बैठक में पंचायत सचिव, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, गाँव के चौकीदार द्वारा पूरे गाँव के लोगों को बैठक के लिये बुलाया गया। चर्चा की शुरुआत होने वाली ही थी कि गाँव के पटेल साहब कैलाश जी भी मीटिंग में आ गये। पंचायत सचिव द्वारा बैठक में एल.सी.डी. की व्यवस्था की गई, ताकि प्रस्तुतीकरण प्रभावशाली हो।

रात्रि चौपाल की शुरुआत आपसी परिचय से हुई और परिचय के बाद स्वच्छता के बारे में चर्चा की गई। समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.) पद्धति पर समर्थन संस्था के ब्लॉक समन्वयक द्वारा गतिविधि की गई तो उपस्थित समुदाय ने स्वयं ही बोलना शुरू कर दिया कि हम बाहर जो मल करने जाते हैं वह बिल्कुल गलत व्यवहार है समुदाय में प्रज्ज्वलन की स्थिति सही तरह से उत्पन्न नहीं हुई तो फिर सी.एल.टी.एस. का दूसरा ट्रिगर टूल घर की महिला की इज्जत और सम्मान को लेकर पुरुष वर्ग पर प्रहार किया गया। इसका प्रभाव जनसमुदाय पर पड़ा तब एक उद्वेलन की स्थिति पैदा हुई और सभी ग्रामीण कहने लगे कि अभी तक तो हमें ऐसा किसी ने नहीं बताया आप तो बिल्कुल सही बोल रहे, अब हम क्या करें उपस्थित समुदाय से कहा गया कि हम कुछ नहीं करने वाले जो कुछ भी करोगे आप ही करोगे तरीके हम बता सकते हैं।

ब्लॉक समन्वयक ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तो तरीका आपको अवश्य बताऊंगा लेकिन मैं यहाँ हर दिन तो नहीं आ सकता जो मैं तरीका बताऊंगा उसका फॉलोअप कौन करेगा। इस पर गाँव का चौकीदार बोला, साहब मैं करूँगा। पटेल साहब बोले, मैं करूँगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोली, मैं करूँगी और फिर गाँव के बहुत से लोग बोलने लगे कि हम सब लोग करेंगे और साथ ही स्कूल की बाल कैबिनेट के कुछ बच्चे भी बोलने लगे, सर हम भी इस कार्य के लिये अपना समय देंगे आप तो केवल अब उपाय बताओ। तो ब्लॉक समन्वयक द्वारा शौचालय तकनीकी को लेकर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म को देखकर लोगों के शौचालय निर्माण पर प्रश्न आने लगे जैसे- यह छोटा गड्ढा कितने दिन चलेगा? घर में कोई बोलता 15 लोग हैं, कोई बोलता 10 लोग हैं और यह तो 1 वर्ष में ही भर जायेगा?

इसके बाद सेप्टिक टैंक और लीच पिट में अंतर और सेप्टिक टैंक के नुकसान और लीच पिट के फायदों पर विस्तार से चर्चा हुई तो लगभग सभी ने मान लिया कि लीच पिट सही है लेकिन उपस्थित समुदाय के लोगों में से कुछ लोग कहने लगे कि आप तो हमारे को यह छोटा-सा बनाने को बोल रहे हैं, पटेल साहब ने तो बड़ा गड्ढा बनाया है उनके गड्ढे से हमारा पीने का पानी तो खराब नहीं होगा? इस पर ब्लॉक समन्वयक द्वारा बताया गया कि बिल्कुल होगा लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर बड़े गड्ढे बने तो जल्दी हो जायेगा, एक या दो गड्ढे से इतना ज्यादा अंतर नहीं होगा तो पटेल साहब ने उसी समय सभी समुदाय के सामने वचन दिया कि अगर आप सभी लोग 15 मार्च तक सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय

निर्माण कर उपयोग करते हैं तो मैं अपना सेप्टिक टैंक वाला शौचालय जिसे बनाने में मैंने 80 हजार रुपया खर्च किये हैं तोड़ दूंगा और मैं भी दो गड्ढे वाला शौचालय ही बनाऊंगा लेकिन 15 मार्च तक सब को करना होगा। सबने पटेल साहब का साथ देने का निर्णय किया और हर रोज निगरानी का भी निर्णय हुआ। मीटिंग का समापन हुआ। 24 फरवरी को गांव में एक मीटिंग शौचालय निर्माण सामग्री को लेकर आयोजित की गयी जिसमें पटेल साहब को सभी लोगों द्वारा बोला गया कि आप ही अपने हिसाब से जहां से अच्छी ईंट एवं अन्य सामग्री लाकर मुंडला में दे दो हम लोग आपके घर से ले लेंगे तब समर्थन संस्था के विनोद शर्मा, अखिलेश विश्वकर्मा ने पटेल साहब के साथ मिलकर सामग्री की व्यवस्था की। मुंडला में पटेल साहब के घर पर और फिर एक परिवार पीरू भाई के घर में शौचालय का निर्माण किया गया जिसमें यह देखा गया कि एक शौचालय के निर्माण में कितना ईंट, सीमेंट, रेत आदि सामग्री का खर्चा एक शौचालय के निर्माण में आता है। सारे गांव वालों के सामने फिर उतनी ही सामग्री को हर घर के व्यक्ति को दी गयी।

उस दिन के बाद हर दिन गड्ढे खोदना और निर्माण कार्य शुरू हो गया सबसे पहले जिन घरों में पहले से बने थे पर गड्ढे नहीं ढंके गये थे उनको ढक्कन लगाना शुरू किया एवं नये का भी निर्माण कार्य शुरू हुआ और पटेल साहब ने जो गाँव वालों को वचन दिया था कि मैं अपना शौचालय तोड़ दूंगा और पटेल साहब ने वही किया। उन्होंने अपना घर का शौचालय तोड़ कर लीच पिट वाले का निर्माण किया और 29 मार्च 2014 तक करीब 48 परिवारों में निर्माण कार्य शुरू हो गया।

वही गाँव के चौकीदार पीरू भाई द्वारा सीटी बजाकर सुबह शाम निगरानी भी की जाती है कि कोई व्यक्ति खुले में शौच न जाये। पीरू भाई ने अपने घर के शौचालय निर्माण करने के लिये खाने को जो गेहूं खरीद कर रखा था बेच दिया। इनके पास खेती की जमीन नहीं है, वो चौकीदारी और मजदूरी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं लेकिन फिर भी पीरू जी ने परिवार के खाने की चिन्ता न करते हुए शौचालय निर्माण में पैसे की कमी होने पर गेहूं को बेच दिया और शौचालय निर्माण पूर्ण कर उपयोग शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति 16 मार्च के बाद शौच के लिए बाहर नहीं जायेगा और अगर कोई बाहर शौच करते पकड़ा गया तो उसे पचास रुपया जुर्माना देना होगा।

● नागेश्वर पाटीदार

स्वच्छ वातावरण बनाना है

धार जिले की बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत पलवाड़ा को निर्मल ग्राम बनाने हेतु शासकीय स्तर से पहल की गई। ग्राम पंचायत पलवाड़ा एक ऐसा गांव हैं जिसमें गंदगी का ढेर था तथा चारों ओर से गंदगी एवं बीमारी का प्रकोप था। सरपंच सचिव के बार-बार कहने पर भी लोग स्वच्छता संबंधित किसी भी प्रकार की बातों का सुनने के लिए तैयार नहीं थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वर्ष 2012 में यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षित दल द्वारा ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम एवं बैठकें आयोजित की गई एवं शर्मसार यात्रा एवं सीएलटीएस के माध्यम से ग्रामीणों को समझाया गया। सरपंच श्रीमती चंदनबाई, पति नवीनचंद सुराना तथा सचिव सोहराब पटेल द्वारा जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत पलवाड़ा को निर्मल ग्राम बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत पलवाड़ा को निर्मल ग्राम बनाने के लिए सामूहिक रूप से अभियान चलाया गया, जिसमें स्वच्छता के सम्पूर्ण घटकों पर कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारम्भ किया गया। सर्वप्रथम गांव का सर्वे कर शौचालय विहीन परिवारों के यहां शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य प्रारंभ किया गया। ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने के वातावरण का निर्माण किया गया। इस हेतु 20 जनवरी 2013 की ग्राम सभा में गांव के सभी परिवारों के घरों में शौचालय बनाने का प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित कर इस दिनाँक में उसी दिन से कार्य योजना अनुसार अमल करना शुरू कर दिया गया, प्रत्येक वार्ड में साप्ताहिक बैठक कर लोगों को स्वच्छता की समझाईश देकर खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया एवं शपथ दिलवाई गई। इसके बाद सतत् प्रतिमाह की ग्राम सभाओं में निर्मल ग्राम की ओर तेजी से अग्रसर होने के लिए ग्रामवासियों से प्रस्तावों पर मुहर लगवाई गई तथा यह प्रयास सतत् चलता रहा।

गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए पंच-परमेश्वर योजना से नाली निर्माण का कार्य किया गया। स्कूल में बच्चों को घरेलू एवं खानपान स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाने लगी। स्कूल में एक पीरियड स्वच्छता का प्रतिदिन लगने लगा जिसमें बच्चों को स्वच्छता संबंधी शिक्षा दी जाती है एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का अनुश्रवण किया जाता है। बच्चों की टोलियां बनाकर गांव में निगरानी का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पलवाड़ा पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है।

● प्रियंका पाठक

आजीविका से स्थायी रोजगार

मध्यप्रदेश के गांव में रहने वाले गरीब ग्रामीण भूमिधारी या भूमिहीन दोनों श्रेणी में आते हैं। भूमिधारी गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन की विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। भूमि के विकास तथा कृषि उन्नयन के साथ ही गैर-कृषि विकास योजनाओं का लाभ भी ऐसे हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो ग्रामीण भूमिहीन हैं उन्हें विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण अनुदान सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके अलावा जो गरीब पहले से विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं उनके कौशल उन्नयन तथा ऐसे परिवारों के युवाओं को विभिन्न रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ दिलाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ कराने के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। आजीविका गतिविधियों से हजारों गरीब हितग्राही परिवारों की वार्षिक आमदनी एक लाख रुपये तक पहुंच गई है। आजीविका अंतर्गत म.प्र. राज्य आजीविका फोरम, म.प्र. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना एवं म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें सघन रूप से प्रदेश 25 जिलों के 116 विकासखण्डों के 12,598 ग्रामों में एवं गैर सघन रूप से प्रदेश के शेष 197 विकासखण्डों के 39,519 ग्रामों में संचालित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अभी तक कुल 93,503 स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

आर्थिक समृद्धि से आत्मनिर्भर हुईं महिलाएं

आगर जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नरवल में वर्ष 2010 में डीपीआईपी योजना लागू की गयी। इस योजना के द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों को संगठित होकर स्व प्रयास से समग्र विकास करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

यूं तो यह ग्राम भी जिले के अन्य ग्रामों की तरह ही है, यहां भी शासन की समस्त योजनाओं को विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जा रहा है। परंतु जब से महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूहों का गठन किया गया तथा इन समूहों को सुचारु रूप से चलाने के लिये ग्राम स्तरीय संगठन ग्राम उत्थान समिति का गठन हुआ है तब से ग्राम की महिलाओं के आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा सकती है। क्योंकि ग्राम उत्थान समिति इन महिलाओं को अपने समग्र विकास के संबंध में सहयोग करने की सबसे सशक्त मंच बनकर सामने आया है। यही वह स्थान है जहां पर महिलाएं अपने समूहों को सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की प्रेरणा पाती हैं। अतः यह कहना कि ग्राम उत्थान समिति ही महिला सशक्तीकरण की पाठशाला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

चूंकि ग्राम उत्थान समिति ने महिलाओं को संगठित होकर सामंजस्य से रहना सिखाया है। यहीं पर उन्होंने अपनी बात सार्वजनिक स्थान पर रखने का तरीका सीखा। इसी कारण जहां पहले ग्राम सभाओं में महिलाओं का भाग लेना कौतूहल का विषय था वहीं आजकल ग्राम नरवल में न केवल महिलाओं द्वारा ग्राम सभा में भागीदारी की जाती है बल्कि प्रभावशाली ढंग से ग्राम सभा के समक्ष अपनी बात रखने की शक्ति देखी जा सकती है।

जब ग्राम में कच्ची गलियों के कारण कीचड़ फैला हुआ था जब इनके द्वारा ग्राम सभा में इस विषय पर ध्यान दिलाया गया तो तत्काल सी.सी. रोड व नालियों का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया। इसी प्रकार महिलाओं के संकल्प से नल-जल सुविधा, घर-घर शौचालय, नाली निर्माण आदि सुविधाएं सम्भव हो सकी हैं।

महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो हुई हैं साथ ही अपने कर्तव्यों के पालन की भावना भी बढ़ी है। इनकी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के भाव से ही प्रति वर्ष अपने खेतों की मेढ़ पर तथा जो भूमिहीन परिवार की सदस्य हैं वे स्कूल या ग्राम पंचायत प्रांगण में वृक्षारोपण भी करने लगी हैं। पिछले दो तीन वर्षों से यह कार्य निरंतर किया जा रहा है।

अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति भी इनकी जागरूकता बढ़ी है। बाल विवाह नहीं करने, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने, शराब बंदी आदि विषयों पर भी इन्होंने अमल करना सुनिश्चित किया है।

उल्लेखनीय है कि शराब बंदी के संबंध में इनके द्वारा ग्राम के रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान बंद कराने के लिये एकजुट होकर तहसील एवं जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखकर दुकान बंद कराई गयी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत बैंक खाता खुलवाना, बीमा करवाना, बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिये प्रयास करना आदि कार्य यहां की महिलाएं मिलजुल कर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कर रही हैं।

● मनोज सिंह

संस्थागत विकास-आजीविका हाट

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल नाईबरोदा का ग्राम कुंजरोद जो की संकुल मुख्यालय मानपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। नाईबरोदा पंचायत का यह खूबसूरत गांव पक्की सड़क के दोनों ओर बसा है। गांव में सभी जाति, धर्मों और समाज के लोग रहते हैं।

गीता बाई ने सर्वप्रथम वैभव लक्ष्मी आजीविका स्वसहायता समूह बनाया जिसकी वह सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनी गई। समूह को अच्छी से चलाने के बाद उसने गांव में हाट बाजार लगाने की सोची और गांव में ग्राम सभा रखी गई। गांव में सभी की सोच पुरानी कुरीतियों वाली थी जिसमें महिलाओं को मंच पर पुरुषों के सामने बोलने की इजाजत नहीं थी, परन्तु गीता बाई के हौसलों के आगे सभी समस्याएं पस्त हो गयीं। वे पहली ग्राम सभा में पाँच महिलाओं के साथ पहुंची जहां सभी ने घूंघट डाल रखा था। घूंघट के अन्दर से ही इन्होंने अपनी बात रखी जिसमें हाट बाजार वाली बात सभी को पसन्द आई और उन्होंने यही बात गांव के दरबार को भी बताई जिनका रुतबा आसपास के गांवों तक फैला था उन्होंने आसपास के छः ग्रामों के ग्रामीणों को बुलाकर एक सभा करवाई और महिलाओं की राय पूछी।

गीता बाई के प्रयासों से हाट बाजार संचालन समिति कुंजरोद का गठन किया गया जिसकी अध्यक्ष गीता बाई को बनाया गया।

गीता बाई की अध्यक्षता में एक भव्य हाट बाजार का शुभारम्भ किया गया जो कि आज भी प्रति बुधवार को ग्राम कुंजरोद में लगता है गांव में हाट बाजार लगने से गांव के 30 परिवारों को रोजगार मिला इसके अलावा अन्य ग्रामों के लगभग 120 परिवार इस हाट बाजार में दुकानें लगाकर अपनी जीविका चला रहे हैं।

इसके बाद भी गीता बाई रुकी नहीं उन्होंने गांव में तीन और समूहों का गठन करवाया और स्वयं के समूह को मिलाकर 4 समूहों का एक ग्राम संगठन बना डाला जिसकी अध्यक्ष भी सर्वसम्मति से गीता बाई को बनाया गया। आज गीता के साथ गांव की 45 महिलाएं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं।

● रविन्द्र स्वप्निल

ग्रामसभा से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ

जनपद मुख्यालय सिरोंज से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित एक राजस्व ग्राम है मुगलसराय जो ग्राम पंचायत भी है। ग्राम की आबादी लगभग तीन हजार से अधिक है। ग्राम तक पहुंच मार्ग है। ग्राम में थाना, हायर सेकेण्ड्री स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन आदि भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। ग्राम में 60 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम वर्ग की है। ग्रामीण परिवारों के पास आय के मुख्य साधन कृषि और मजदूरी ही हैं। अधिकांश परिवार भूमिहीन हैं जो दूसरे की जमीन कोली पर लेकर खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव के ही जमींदारों से कर्ज लेते हैं। ग्राम में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के निरन्तर प्रयासों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवारों को समूह से जोड़ा गया जिससे ग्राम में अब तक 14 स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। ग्राम उत्थान समिति का गठन कर समूहों को आजीविका ऋण प्रदाय किया गया। यह समूह सब्जी उत्पादन, गुमठी, कबाड़ की दुकान, नाई की दुकान, अनाज क्रय-विक्रय आदि व्यवसाय कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। परियोजना के द्वारा प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन से समूह सदस्यों में शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता आई है, ग्राम में पहले नियमित ग्रामसभा नहीं होती थी और महिलाओं की भागीदारी भी नहीं होती थी। महिलाओं को ग्रामसभा के बारे में पता नहीं था। परियोजना के प्रयासों से ग्राम उत्थान समिति एवं समूह सदस्यों को ग्रामसभा के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामसभा का महत्व बताया और उसमें सम्मिलित होने के लिये प्रेरित किया। ग्राम उत्थान समिति के अन्तर्गत गठित सामाजिक गतिविधि उपसमिति के प्रशिक्षण में भी ग्राम सभा एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई।

पिछले दिनों ग्राम के ही मदीना समूह की नजमा पति भूरा की मृत्यु हो गई थी। समूह की सदस्या नजमा बी और जुबैदा बी पति चन्दू ग्राम उत्थान समिति की सदस्य हैं। उन्होंने ग्राम सभा में जाकर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और विधवा पेंशन हेतु मांग की। सरपंच ने उनके मुद्दे को गम्भीरता से लेते हुए प्रकरण बनाने की बात कही। ग्राम की ही बुककीपर राम श्री द्वारा आवश्यक दस्तावेज तैयार कर सरपंच को दिये गये जिससे नजमा बी को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से 10000/- (दस हजार रुपये) का चैक सरपंच द्वारा दिया गया। साथ ही विधवा पेंशन की कार्यवाही भी की गई है। जून माह से पेंशन भी मिलने लगी। समूह में जुड़ने से सभी समूह सदस्यों ने उनको सहयोग किया। नजमा बी को अभी समूह से आजीविका ऋण भी प्रदाय किया गया है।

स्व-सहायता समूह ने दिखाई उन्नति की राह

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास की दिशा में कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना है। इन योजनाओं से लाभान्वित लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आ रहे हैं इसी की एक बानगी सीधी जिले के संकुल मिसिरगवाँ के ग्राम घोघरा में देखने को मिला। यहाँ जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) से जुड़कर श्रीमती फुलमती देवी और उनके परिवार की किस्मत बदल गई। कल तक फुलमती और उनके पति श्री राम दशरथ कौल के पास जीवनोपार्जन को कोई जरिया न था लेकिन अब दोनों गांव में किराने की दुकान चलाकर अपना भरण-पोषण कर रहे हैं।

ग्राम घोघरा में डी.पी.आई.पी. द्वारा लोगों को स्व-सहायता समूह के गठन के लिए प्रेरित किया गया तब श्रीमती फुलमती देवी सहित 11 महिलाओं ने मिलकर जय कुण्डवासिनी स्व-सहायता समूह का गठन किया। समूह की प्रशिक्षण बैठक में फुलमती ने बताया कि उसके पति के पास कोई रोजगार न होने से उन्हें शराब की लत लग गई है और परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से होता है बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है तब समूह की महिलाओं ने मिलकर निर्णय लिया कि फुलमती के पति को शराब की बुरी लत छोड़ने के लिए समझाईश देंगी और खुद का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करेंगी। समूह के द्वारा समझाईश के बाद फुलमती और उनके पति राम दशरथ को समूह द्वारा ग्राम उत्थान समिति घोघरा के माध्यम से स्वयं की किराने की दुकान स्थापित करने के लिए दस हजार रुपये कर्ज के रूप में दिए गए। इन रुपयों से फूलमती और पति ने स्वयं की किराने की दुकान खोली अब दोनों मिलकर अपना जीवनोपार्जन का रहे हैं। फुलमती देवी बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़कर मेरी किस्मत बदल गई है। गरीबी के दिनों में हम खुद की दुकान का सपना देखते थे और वो डी.पी.आई.पी. की सहायता से सच हो गया। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे हमारी छोटी दुकान बड़ी हो रही है अब बच्चे नियमित रूप से स्कूल भी जा रहे हैं और पति की शराब की लत भी छूट गई है। सीधी जिले में डी.पी.आई.पी. के सदस्य सलाहकार सहयोग दल संकुल तरकहरिया श्री सुनील कुमार ने बताया कि फुलमती की इस सफलता का श्रेय जय कुण्डवासिनी स्व-सहायता समूह की महिलाओं और स्वयं फुलमती देवी को जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उन्नति पाई है।

अब फुलमती गांव की अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। गांवों में गठित इन स्व-सहायता समूह का उद्देश्य महिलाओं को आपस में जोड़कर उन्हें उन्नति की राह पर लाना है और फुलमती देवी जैसी महिलाएँ इस अभियान को और अधिक सार्थक बना रही हैं।

● **शिव प्रसाद सोनी**

सिलाई से स्वरोजगार

सेमलीपुरा संकुल के छोटे से गांव सेमलीपुरा की महिला कोमलबाई सुमेरसिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल सेमलीपुरा द्वारा आयोजित बी.पी.एल कार्यशाला में भाग लेकर समूह संबंधित जानकारी सुनकर प्रेरित हुई। आजीविका मिशन की टीम से मुलाकात करके समूह के बारे में विस्तारपूर्वक जाना। कोमल को लगा की समूह से जुड़कर ही उसकी समस्याओं का समाधान संभव है। कोमल ने अपने आसपास अपनी जैसी 12 महिलाओं को एकत्र करके समूह बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और जय गुरुदेव आजीविका स्वयं सहायता समूह का गठन किया। समूह गठन के बाद मासिक बचत करना प्रारम्भ कर दिया व बचत राशि का आपसी लेन-देन शुरू किया और समूह के छह माह उपरान्त प्रथम ग्रेडिंग में ए ग्रेड प्राप्त

होने से आजीविका मिशन द्वारा चक्रीय राशि 15000 रु. प्राप्त हुई। समूह बैठक मे कोमल बाई द्वारा सिलाई कार्य प्रारम्भ करने हेतु 10000 रु. का प्रस्ताव रखा जो समूह की सर्वसहमति सें स्वीकृत हुआ जिससें उसने सिलाई मशीन व कपड़ा खरीदा तथा सिलाई कार्य प्रारम्भ कर हाट में भी कपड़े सिलकर बेचना आरम्भ किया जिससें उसकी मासिक आय में 4500 रुपये की वृद्धि हुई। इससे उसके द्वारा समूह का ऋण वापस करने के साथ-साथ साहूकार से लिए ऋण को भी चुकता किया। समूह की मदद सें आज वह अपने परिवार के साथ में खुशहाल जीवन-यापन कर रही है व उसे पलायन पर भी नहीं जाना पड़ता है। कोमल समूह की महिलाओं द्वारा की गई मदद से बहुत खुश है। वह चाहती है कि समूह की सभी महिलायें इसी तरह तरक्की करें। कोमल ने अपने स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया है। अपने घर पर ही सिलाई दुकान को संचालित कर रही है और अपनी आजीविका चला रही है। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और अपना घर चलाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने मे बराबर का सहयोग दे रही है। कोमल को ये सब अपने गांव में बने समूह से जुड़कर ही हासिल हुआ है।

कृषि बनी लाभ का व्यवसाय

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने तथा अवसरों में वृद्धि करने के साथ उनके सशक्तीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) का आरंभ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के उपघटक के रूप में किया गया है। इस परियोजना अंतर्गत आसा, प्रदान एवं कार्ड संस्था द्वारा मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, झाबुआ, बड़वानी, टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले की लगभग 30 हजार 500 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित करने के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

बड़वानी जिले की जनपद पंचायत राजपुर की ग्राम पंचायत दानोद के चापरिया फलिया के ग्रामीणों की स्थिति पहले बहुत विकट थी। यहां किसान फसल लगाते थे, पर फसल का अच्छा होना और उससे आय होना तो दूर इनके वर्ष भर के खाने का अनाज भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता था। अमूमन इन्हें मजदूरी के लिए ग्राम से 15 से 25 किमी. दूर जाना पड़ता था, तब कहीं जाकर इनके परिवार का भरण-पोषण हो पाता था। गरीब किसान इसी को अपना भाग्य मानकर जैसे-तैसे जीवनयापन कर रहे थे।

वर्ष 2012-2013 में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना प्रारंभ हुई, तो इनके लिए जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण बनके आई। "आसा" संस्था ने ग्रामीणों को परियोजना से जोड़ा और तब विभिन्न प्रकार के कार्य प्रारंभ किए गए।

परियोजना के अंतर्गत आसा संस्था द्वारा यहां चेकडेम का निर्माण किया गया, जिसकी कुल लागत 3,01,675 रुपये है। इसमें जन सहयोग के रूप में 25000 रुपये का श्रम दान किया गया। चेक डेम की कुल लम्बाई 10 मीटर है तथा ऊंचाई 1.5 मीटर है। इस डेम के निर्माण के प्रथम वर्ष ही यह डेम पूरी तरह भर गया और इसका जल किसानों को सिंचाई हेतु मिला। पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो जाने से जहाँ फसलें लहलहा उठी हैं वहीं ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। चेक डेम के कुल 16 हितग्राही लगभग 32 एकड़ भूमि की सिंचाई का लाभ ले रहे हैं।

योजना में लाभान्वित हितग्राहियों का कहना है कि - पहली बार हम लोग रबी सीजन में प्याज, गेहूं एवं सब्जी की फसल ले रहे हैं।

रबी सीजन में फसल लेने के कारण अब हमें मजदूरी के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा।

चेक डेम बनने से हमारे कुओं में भी पर्याप्त पानी है, जिससे हम कुछ भूमि में गर्मी की फसल भी ले सकते।

जहां चेक डेम बनने से पूर्व प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय लगभग 22500/- रुपये ही थी, जो खाने के अनाज सहित है, परन्तु चेक डेम बनने के पश्चात् प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय लगभग 119000/- रुपये तक हो गई है, तथा इन्हें अब पलायन भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कई किसान कहते हैं कि ये अपने बच्चों को भी पाठशाला भेजने लगेंगे तथा इनके जीवन स्तर में भी निश्चित सुधार आने लगा है।

रोजगार से युवाओं की उड़ान

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से कुल 5,564 कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है जिसमें कुल 876 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,43,509 बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रदाय किया जा चुका है। इसी प्रकार 4,677 प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से 1,00,702 युवाओं को प्रशिक्षित कर नियोजित किया गया है एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से 63,025 युवाओं को आजीविका से जोड़ा जा चुका है तथा 11 सेना भर्ती रैलियों में 7,000 युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

आर-सेटी प्रशिक्षण से बदला जीवन हुनरबंद हुआ रघुनाथ

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र कल्याणपुर, शहडोल द्वारा माह जून में आयोजित टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर रिपेयरिंग प्रशिक्षण में प्रतिभागी के रूप में आये रघुनाथ चौधरी ने अपने हुनर को तराशा। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चयनित और प्रायोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रघुनाथ ने वाहन रिपेयरिंग का काम सीखा। पूर्व में अपने ग्राम मझगंवा में वह केवल सायकल पंचर बनाना जानता था परंतु प्रशिक्षण के उपरांत उसके हुनर में वृद्धि हुई और अपने चार पहिया वाहन सुधारने का काम अपने ही गांव में उसने शुरू किया। रघुनाथ के पास इस कार्य के लिए आवश्यक औजारों की कमी थी। जो उसने धीरे-धीरे अपने पूर्व व्यवसाय से लाभ प्राप्त करते हुए खरीदे। आज रघुनाथ की मासिक आमदनी 1200 रुपये से बढ़कर 6000 से 7000 रुपये हो गयी है। रघुनाथ मैकेनिक के काम के साथ-साथ अपनी पत्नी के सहयोग से बकरी पालन का काम भी करता है। रघुनाथ ने अपने बचपन में स्कूल का मुंह नहीं देखा परंतु प्राथमिक शाला पास उसकी पत्नी श्रीमती कौशल्या चौधरी हिसाब-किताब में उसकी मदद करती है। तीनों बेटियां और बेटा स्कूल जाते हैं। रघुनाथ का सपना है कि भले उसे तालीम नहीं मिली परंतु उसके बच्चे पढ़-लिख कर आगे बढ़ें। रघुनाथ का कहना है कि प्रशिक्षण से पहले उसके काम में सफाई नहीं थी, इस कारण वह कम पैसे कमाता था, परंतु आर-सेटी में 21 दिवसीय प्रशिक्षण से उसकी जानकारी बढ़ी। विशेषज्ञों ने उसके काम को तराश कर एक हुनरबंद मैकेनिक बना दिया, आज उसके पास काम की कमी नहीं है।

कौशल विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण

रीवा स्थित महिला आईटीआई में परियोजना के लक्षित परिवारों की युवतियों तथा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें प्रशिक्षण के उपरान्त स्व-रोजगार एवं रोजगार से जोड़ा जायेगा। उल्लेखनीय है कि रीवा के महिला आईटीआई में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की मान्यता के अल्प अवधि पाठ्यक्रमों के लिए परियोजना के लक्षित ग्रामों के परिवारों को कौशल उन्नयन एवं स्व-रोजगार से जोड़ने के लिये आवेदन पत्र सम्मिलित किये गए। इसमें 95 महिलाओं का चयन हुआ। इसके अंतर्गत गारमेंट मेकिंग में 50, इन्फर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन (कम्प्यूटर) में 40 तथा ब्यूटी पार्लर एवं हेयर ड्रेसर में 5 युवतियों और महिलाओं का चयन किया गया। महिला आईटीआई की प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न संस्थाओं में नियोजन के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थी लक्षित परिवारों के हैं जो एस.जी.एस.वाय. के सदस्य हैं। परियोजना द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को अध्यापन सामग्री तथा ट्रेनिंग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया गया है ।

बुलन्द हौसले में विकलांगता बाधक नहीं

जन्म से ही अपने दोनों पैर से लाचार होने के बावजूद राजगढ़ जिले के सुठालिया की मंजू राठौर ने अपना हौसला बनाये रखा। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की मदद से मंजू राठौर ने कम्प्यूटर का प्रशिक्षण लिया और वे दो माह के प्रशिक्षण के बाद एम.पी. बेसिस इंदौर में नौकरी कर रही हैं। नौकरी के लिए अपने घर से दूर रहकर भी उन्हें अपने वेतन से परिवार के लिए नियमित रूप से पैसा भेजकर बड़ी खुशी मिलती है। हायर सेकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मंजू आगे पढ़ाई नहीं कर सकी। इस बीच उनके पिता जी का स्वर्गवास होने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मंजू बताती हैं कि उन्होंने पहले कम्प्यूटर का बेसिक कोर्स किया हुआ था इसलिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण में जरा भी दिक्कत नहीं आयी लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी प्रशिक्षण के दौरान बहुत मेहनत करनी पड़ी। प्रशिक्षण के उपरान्त मंजू के आत्मविश्वास में और वृद्धि हुई। और आज वे इस मुकाम पर पहुँची हैं।

लोकतंत्र की अवधारणा को पूरा करता सामाजिक अंकेक्षण

लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया लोकतंत्र की इस अवधारणा के आधार पर ही निर्धारित है। सामाजिक अंकेक्षण जिसमें ग्राम सभा या कहें कि स्वयं ग्रामीणों को उनके ही गांव में किए गए कार्यों का मूल्यांकन एवं निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक अंकेक्षण हमारे ग्रामीण भाई-बहनों के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। भारत विश्व का महानतम लोकतांत्रिक देश है जिसकी लगभग 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यह वह आबादी है जो प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार पंचायत चुनाव में अपना मत देकर अपने विकास की बागडोर ग्राम पंचायत सरपंच को सौंपती है। किन्तु पंचायत कानून के अनुसार ग्राम सभा स्वयं एक वैधानिक इकाई है जिसका निर्णय सर्वमान्य है। ग्राम सभा की इसी वैधानिकता को बल प्रदान करता है सामाजिक अंकेक्षण, जिसमें ग्रामवासी क्रियान्वयन एजेन्सी के कार्यों का लेखा-जोखा जान सकते हैं एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर निर्णय ले सकते हैं, इतना ही नहीं, यदि ग्राम सभा क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो वह जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा करने के लिए भी स्वतंत्र है। चूंकि ग्राम पंचायत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत होने वाले कार्यों की क्रियान्वयन एजेन्सी है, अतः ग्राम पंचायत सरपंच सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित विशेष ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं करता। ग्राम पंचायत के ही किसी सर्वमान्य व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन से सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है, इससे ग्राम सभा में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है।

सामाजिक अंकेक्षण की सफलता - सामाजिक अंकेक्षण के प्रति एक आम धारणा यह बनी हुई है कि यह क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यों में गलती निकालने की प्रक्रिया है, किन्तु वास्तव में यह तथ्यों को ज्ञात करने की प्रक्रिया है जिसमें दण्ड से अधिक सुधारवादी अवधारणा को महत्व दिया गया है। सामाजिक अंकेक्षण की सफलता भी इसी बात पर निहित है कि समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को कितना समाप्त किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के 13 विकासखण्डों में मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है जिसके कई उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। इन विकासखण्डों में सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में नवाचार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं को योजना की जानकारी प्रदान करने के मंच के रूप में भी उपयोग किया गया है।

विगत माह में मध्यप्रदेश के 13 विकासखण्डों में मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है जिसके कई उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। इन विकासखण्डों में सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में नवाचार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं को योजना की जानकारी प्रदान करने के मंच के रूप में भी उपयोग किया गया है।

जिला हरदा के विकासखण्ड खिरकिया की एक ग्राम पंचायत में चल रही सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में गांव के ही एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा काम मांगने पर पंचायत द्वारा उन्हें काम नहीं दिया जा रहा। इस बात पर सरपंच और सचिव का तर्क था कि चूंकि उस वृद्ध व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक है एवं उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उन्हें मनरेगा अंतर्गत काम नहीं दिया जा सकता। यहां यह जानना आवश्यक है कि सरपंच और सचिव द्वारा उस वृद्ध व्यक्ति को किसी दुर्भावनावश कार्य नहीं दिया जा रहा हो ऐसा नहीं था, अपितु योजना की पूरी जानकारी न होने के कारण उस वृद्ध को रोजगार से वंचित रखा गया था। ग्राम सभा के दौरान ग्राम सामाजिक एनिमेटर द्वारा सरपंच और सचिव को बताया गया कि मनरेगा में 18 वर्ष की आयु से अधिक किसी भी जॉबकार्डधारी को काम की मांग करने पर रोजगार दिया जाना अनिवार्य है भले ही उसे अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल रहा हो। व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिए जाने का प्रावधान मनरेगा अंतर्गत किया गया है। योजना से जुड़ा यह तथ्य ग्राम सभा के समक्ष आने पर सरपंच और सचिव द्वारा अपनी गलती मानी गई एवं ग्राम सभा के मत से उस वृद्ध व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य देने का निर्णय लिया गया।

सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के मंच में मात्र मनरेगा के ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं के कार्यों एवं प्रावधानों पर भी चर्चा की जाती है जिसमें आवास, शौचालय, बीपीएल कार्ड आदि शामिल है। चूंकि ग्राम सभा में सरपंच और सचिव एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसी पदाधिकारी भी जवाब देने के लिए मौजूद रहते हैं, अतः ग्रामीणों को उनकी कई समस्याओं का तत्काल हल मिल जाता है। इस प्रक्रिया में क्रियान्वयन एजेंसी एवं हितग्राहियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित होता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे की बात समझने का अवसर मिलता है।

सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं में एक और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है वह है ग्राम सभाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। पहले महिलाएं जहां ग्राम सभा में आने में संकोच करती थीं वहीं अब वह ग्राम सभाओं में ना केवल प्रतिभागिता कर रही हैं, बल्कि बढ़-चढ़कर अपनी बात भी ग्राम सभा के समक्ष रख रही हैं। यह संभव हुआ है ग्राम संपरीक्षा समिति में महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल करने की अनिवार्यता के कारण। इसी प्रकार समाज के अन्य वंचित वर्ग ने भी सामाजिक अंकेक्षण में अपनी भागीदारी कर अपने हितों को जाना है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पहली बार उनके सामने यह बात आई है कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों पर कितना व्यय किया गया है, सामग्री किस दर में क्रय की गई है एवं किन लोगों द्वारा मजदूरी की गई है। अतः सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

सामाजिक अंकेक्षण कार्य को और सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण समाज के प्रत्येक वर्ग की इसमें अधिक से अधिक सक्रिय भागीदारी हो। आवश्यक है कि ग्रामीणों में अपने हितों के प्रति प्रश्न करने की प्रवृत्ति विकसित हो, ताकि ग्रामीण समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों।

● **प्रेमा शर्मा**

ऑपरेशन मलयुद्ध स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम

जिले में स्वच्छता कार्यक्रम को मांग आधारित तथा समुदाय संचालित बनाने के लिये माह मई 2014 में ऑपरेशन मलयुद्ध के रूप में एक अभिनव प्रयास किया गया, जिसके तहत स्वेच्छा से स्वच्छता, हरदा की विशेषता, की थीम पर जिले के जनप्रतिनिधियों, विधायकगण, जिला जनपद सदस्य, धार्मिक क्षेत्र के धर्मगुरु और शासकीय सेवकों के माध्यम से खुले में शौच मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। इस ऑपरेशन को प्रारंभ करने के लिये ऐसे लोगों को चिंहित किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच में बैठकर खुले में शौच मुक्ति के लिये उन्हें प्रेरित कर सकें। ऐसे लोगों को प्रेरक के रूप में चिंहित कर उन्हें फीडबैक गुड़गांव के सहयोग से 05 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और उनके समूह बनाकर सुबह शाम चयनित ग्रामों में भेजा गया। दल के आने जाने के लिये जिला स्तर से वाहन की व्यवस्था की गई। दल के सदस्य ने ग्रामों में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठकर, ट्रिगरिंग तथा फालोअप गतिविधि के तहत लोगों से चर्चाकर उन्हें स्वच्छता अपनाने, खुले में शौचबंदी हेतु विभिन्न चर्चाओं में शामिल किया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से इस कार्य को ग्राम में क्रियान्वित करने के लिये निगरानी दल के रूप में महिलाओं एवं बच्चों के दल भी बनाये गये, जिसमें ऐसी महिलायें सम्मिलित हैं, जो स्वेच्छा से खुले में शौच बंदी के लिये सहयोग करने आगे आईं। ऐसे महिला समूह की महिला कमाण्डो तथा बच्चों के समूह को बाल कमाण्डो का नाम दिया गया। जिला स्तरीय दल जिसमें शासकीय सेवक, स्वैच्छिक कार्यकर्ता, सरपंच, सचिव, पंचायत समन्वयक अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि सम्मिलित थे, वे निरंतर लोगों को विभिन्न टूल के माध्यम से प्रेरित करते रहे। साथ में शौचालय निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

प्रारंभ में 34 ग्रामों को चिंहित कर मानसून के पूर्व खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जो ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हुईं, उन्हें खुले में शौच मुक्त होने की प्रक्रिया के तहत खुले में शौच मुक्त होने पर ग्राम सभा का आयोजन ग्रामों में किया गया। इससे जहां एक ओर खुले में शौच मुक्ति का संकल्प ग्राम सभा में पारित किया गया, वहीं दूसरी ओर खुले में शौच की व्यवस्था बनाये रखने में ग्राम सभा में नियम भी बनाये गये तथा स्थानीय अखबारों के माध्यम से सभी ग्रामीणों को इन नियमों के बारे में अवगत कराया गया। ट्रिगरिंग के दौरान दल के सदस्यों द्वारा ऐसे स्थानों पर पहुंचकर जहां खुले में शौच करने जाते थे, उनसे उसी खुले में शौच वाली जगह पर चर्चा कर खुले में शौच बंदी के लिये प्रेरित किया गया। शुरू में कई हितग्राहियों द्वारा अपने मल पर स्वयं मिट्टी डाली गई तथा कइ बार ट्रिगरिंग दल के सदस्यों द्वारा ही ग्रामीण के समक्ष मिट्टी डाली गई। कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर वाट्सअप ग्रुप बनाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा गतिविधियों का निरंतर अनुश्रवण किया गया तथा ग्रामों के निगरानी दल के सदस्यों तथा ट्रिगरिंग टीम के सदस्यों के साथ चर्चा कर अनुभवों को साझा किया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों एवं धर्मगुरुओं के साथ-साथ अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को भी स्वैच्छिक रूप से जोड़ने के प्रयास किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा खुले में शौच मुक्ति के परीक्षण के लिये जिला स्तर से दल बनाकर उनके द्वारा वेरीफिकेशन भी कराया गया। खुले में शौच मुक्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में "स्वच्छता विजय उत्सव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ग्रामवासियों द्वारा स्वच्छता नियमों का पाठन किया गया एवं उस पर ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये।

● **नागेश्वर पाटीदार**

पंचायत एवं बिजली के अदेय प्रमाण पत्र नहीं देने पर निरस्त होंगे नाम निर्देशन-पत्र

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत एवं विद्युत वितरण कंपनी के बकाया (ड्यूज) के अदेय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र नहीं देने पर इसे निरस्त कर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने 22 नवम्बर को बताया कि पंचायतों के बकाया के अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद और जिला पंचायत के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उसका और यदि पूर्व में किसी पंचायत का पदाधिकारी रहा है तो, उसका भी अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा। आयोग द्वारा इस संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सुविधा केन्द्र बनाये जाने के निर्देश भी दिये गए हैं। इसी तरह सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य में अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनिया को देय समस्त बकाया का अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के माह के एक तारीख से 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में देना होगा। यदि आयोग द्वारा दिसम्बर माह में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, तो एक जून 2014 की स्थिति में समस्त विद्युत देयकों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रमाण-पत्रों के लिए प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र और पंचायत स्तर पर व्यवस्था करने को कहा गया है।

ई.व्ही.एम. की एफ़.एल.सी. समय-सीमा में करवायें

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री आर. परशुराम ने कहा है कि ई.व्ही.एम. की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफ.एल.सी.) का कार्यक्रम निर्धारित करें। उन्होंने कहा है कि आगामी पंचायत निर्वाचन के लिए ई.व्ही.एम. की एफ.एल.सी. समय-सीमा में करवायें। प्रदेश में अभी तक 45 हजार 810 कन्ट्रोल यूनिट और एक लाख 45 हजार 440 बेलेट यूनिट आ चुकी हैं। इनमें से 30 हजार कन्ट्रोल यूनिट और 90 हजार बेलेट यूनिट की एफ.एल.सी. हो चुकी है। नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में उपयोग में आने वाली ई.व्ही.एम. की एफ.एल.सी. हो चुकी है।

15 जिलों की महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने जानी चुनाव प्रक्रिया

मतदाता जागरूकता अभियान में 15 जिलों की महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत निर्वाचन-2015 में किए जा रहे नवाचारों एवं अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गयी। 11 नवम्बर को भोपाल में आयोग के उप सचिव श्री बुद्धेश वैद्य ने पंचायत चुनाव में पहली बार उपयोग की जाने वाली ईव्हीएम और फोटोयुक्त मतदाता-सूची के बारे में बताया। श्री वैद्य ने बताया कि पंचायत निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रतिभूति राशि लगभग दोगुनी कर दी गई है। श्री वैद्य ने बताया कि मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण भी किया जाएगा। सुश्री शीला दाहिमा ने आदर्श आचरण संहिता, नाम निर्देशन प्रक्रिया, घोषणा-पत्र एवं शपथ-पत्रों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिला पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में बने आदर्श मतदान केन्द्र में ले जाकर मतदान की पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाया। हंगर प्रोजेक्ट द्वारा स्वीप एवं संस अभियान में पंचायत चुनाव पर केन्द्रित 'पंचायत चुनाव के सवाल-जवाब' पुस्तिका और मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित नारों का विमोचन किया गया।